खण्ड–18, अंक–4
शुक्रवार, फाल्गुन 25, शक संवत् 1928
(दिनांक 16 मार्च, 2007 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र 2007)

(खण्ड 18 में 4 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2007

मूल्य–

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	'क'
विपक्ष द्वारा कतिपय विषयों को नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा किए जाने की माँग	1–10
जनपद रुद्रप्रयाग में स्वीकृत मोटर मार्ग पीड़ा, पावों आदि के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना ...	10
…नपद हरिद्वार में स्थित बी०एच०ई०एल० की कॉलोनी शिवालिक नगर में सीवर लाईन, स्ट्रीट लाईट, सड़क और नालियों की व्यवस्था ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	10–11
…हरी विस्थापित एम०डी०डी०ए० कॉलोनी नेहरूपुरम, देहरादून में खराब सीवर एवं नालियों की व्यवस्था ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	11–12
टहरी विस्थापित एम०डी०डी०ए० कॉलोनी, नेहरूपुरम, देहरादून में आवंटित भवनों की टूटी छतों की टूटती चारदीवारी एवं उजाड़ पड़े पार्कों के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	12
जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत बाघों द्वारा मारे गये छः बच्चों के परिजनों को वन विभाग द्वारा कोई भी राहत धनराशि न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना ...	12–13
भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत धाड़ क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा बोरिंग हुए 12 ट्यूबवैलों के अब तक चालू न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना ...	13
जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत स्वीकृत धराड़ी–नागधूणा–चौरपाल–शिबना–पाली मोटर मार्ग के छूटे वन भूमि भाग 2 किमी० व शेष 15 किमी० के हस्तान्तरण की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	14
…नपद देहरादून, सहस्त्रधारा रोड स्थित गंगाकुंज, दून ईस्ट पार्क अपार्टमेन्ट होते हुए संत श्री आशाराम जी आश्रम के ऊपर से गुजर रही 11 के०वी० की हाईटेंशन लाईन को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना ...	14–15

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य में अनुसूचित जाति–जनजाति के अधिकारियों / कर्मचारियों की पदोन्नति से सम्बन्धित "भारत का संविधान" के 85वां संशोधन को लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	15
विधान सभा क्षेत्र पंतनगर–गदरपुर क्षेत्रान्तर्गत किसान सहकारी चीनी मिल गदरपुर द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	15–16
जनपद देहरादून के वि0ख0 डोईवाला की ग्राम पंचायत बड़ोवाला तथा कान्हरवाला में पेयजल अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	16
भारत परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 35, अधिसूचना संख्या 282 / यू0टी0ए0 / 2006, दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 (सदन के पटल पर रखा गया)	16–17
गृह विभाग की अधिसूचना संख्या: 1969 / XX (3)–255 / विविध / 2005, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 (सदन के पटल पर रखा गया) –	17
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं...	17–52
महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान (क्रमागत)	52–86
काजी निजामुद्दीन, श्री सुरेन्द्र राकेश एवं श्री प्रेमानन्द महाजन द्वारा नियम 310 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री का स्पष्टीकरण	86–93
महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान (स्वीकृत)	93–124
नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं	124
जनपद रुद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली में विधायक निधि से मिलन केन्द्र 1–सेरा भरदार, 2–सौंराखाल, 3–नौली भरदार, 4–सेम बाडमा, 5– मुनालगाँव पूर्वी बांगर के निर्माण के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य	125
सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने विषयक प्रस्ताव	126
राष्ट्रगान	126

उपस्थिति

1. श्री अनिल नौटियाल
2. श्रीमती आशा
3. श्री किशोर उपाध्याय
4. " मगन सिंह
5. " गोपाल सिंह
6. " गोबिन्द लाल
7. " गोविन्द सिंह कुंजवाल
8. " जोत सिंह गुनसोला
9. हाजी तसलीम अहमद
10. श्री दिनेश अग्रवाल
11. " नारायण पाल
12. काजी मौ0 निजामुद्दीन
13. श्री प्रकाश पन्त
14. " प्रणव सिंह
15. " प्रीतम सिंह
16. " प्रेमानन्द महाजन
17. " बलबीर सिंह नेगी
18. " बिशन सिंह चुफाल
19. " भगत सिंह कोश्यारी
20. " मदन कौशिक
21. " महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)
22. " मातबर सिंह कण्डारी
23. चौ0 यशवीर सिंह
24. श्री रणजीत रावत
25. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
26. श्री शहजाद
27. " सुरेश चन्द जैन
28. डा0 हरक सिंह रावत
29. श्री हरभजन सिंह चीमा
30. " हरिदास
31. " त्रिवेन्द्र सिंह रावत
32. श्री अजय टम्टा
33. " ओम गोपाल
34. " करन मेहरा
35. " केदार सिंह फोनिया
36. " केदार सिंह
37. " खजान दास
38. " खड़क सिंह बोहरा
39. " गणेश जोशी
40. " गोपाल सिंह रावत
41. " गोबिन्द सिंह बिष्ट
42. " चन्दन राम दास
43. " जोगा राम टम्टा
44. " दिवाकर भट्ट
45. " दिवान सिंह
46. " प्रेम चन्द अग्रवाल
47. " बलवन्त सिंह भौर्याल
48. " बंशीधर भगत
49. " बृज मोहन कोटवाल
50. " मनोज तिवारी
51. " मयूख सिंह
52. " मुन्ना सिंह चौहान
53. " यशपाल बेनाम
54. डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
55. श्री राजकुमार
56. " राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
57. " विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
58. श्रीमती वीना महराना
59. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
60. " सुरेन्द्र राकेश
61. " सुरेन्द्र सिंह जीना।

शुक्रवार दिनांक 16 मार्च, 2007 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

विपक्ष द्वारा कतिपय विषयों को नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा किए जाने की मांग

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जो विवेकाधीन कोष के चेकों के वितरण पर रोक इस सरकार द्वारा लगा दी गयी है, वह बहुत ही निन्दनीय है। इसलिए अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के इस प्रश्न पर चर्चा करायी जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, बंगाली समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आज संभवतः सदन का आखिरी दिन होगा। प्रदेश की जनता के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर यहाँ चर्चा होनी चाहिए। इसलिए सदन को चलाने में सहयोग दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है। सारी नियुक्तियों पर इस सरकार द्वारा रोक लगा दी गयी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु है। इसलिए इस पर चर्चा करायी जाए।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरी बात को सुन लें। कृपया माननीय सदस्यगण अपना आसन ग्रहण करें। आज महत्वपूर्ण विषय आये हैं। आप लोगों की बात आ गयी है। जब तक माननीय सदस्यगण अपना आसन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक कार्यवाही में कुछ भी अंकित नहीं किया जायेगा।

(घोर व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर एक साथ अपनी बात कहने लगे और नारे लगाने लगे : युवा विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नौजवानों को रोजगार दो।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, कृपया आसन ग्रहण करें। मैं चाहता हूँ कि आपकी बात सदन में आये इसलिए कृपया आप आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री नारायण पाल–

[X X X]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। मैं चाहता हूँ कि आपकी बात आ जाए, कृपया आसन ग्रहण करें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी बात सदन में आए इसलिए कृपया आप आसन ग्रहण करें। आप नहीं चाहते हैं तो अलग बात है, ऐसे कैसे बात हो पायेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आप नियमों को शिथिल करके चर्चा कराने के लिए तैयार हैं?

नोट– [X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाएं। मैं चाहता हूँ कि आपकी बात सदन में आए, इस सदन की, इस महान जनता की इच्छा है, माननीय सदस्यगण मैं जानता हूँ कि यह बात आनी चाहिए, जब आप आसन ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं क्या बात करूँगा।

(माननीय अध्यक्ष जी के अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय सदस्यों से आसन ग्रहण करने का निवेदन करने पर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ गये और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" से अपने स्थान पर जाकर बैठ गये।)

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या केवल विपक्ष को बोलने का मौका दिया जायेगा, कृपया हमको भी बोलने का मौका दे दें।

(विपक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट की गई)

श्री अध्यक्ष–

आप सभी माननीय सदस्य निश्चित मानिए, सभी माननीय सदस्यों के साथ न्याय किया जायेगा। सभी नये माननीय सदस्यों की भावनाएं, पुराने माननीय सदस्यों की भावनाएं चाहे वे सत्ता पक्ष के हों, प्रतिपक्ष के हों या अन्य दलों के हों सभी की भावनाएं इस सदन में आये। देश और प्रदेश की पूरी महान जनता इस विषय पर सुनना चाहती है। उनकी भावनाएं इस सदन के माध्यम से सरकार तक, जनता तक पहुँचे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया सदन को व्यवस्थित ढंग से चलने दें, ऐसी हम सब की भावनाएं हैं।

आज नियम–310 के अन्तर्गत कुल तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं चाहता हूँ तीनों सूचनाओं पर यहाँ बातचीत हो और आपका पक्ष भी आये और सरकार का पक्ष भी इसमें आये। यह तीनों विषय मैंने देख लिये हैं। यद्यपि यह निवेदन है कि यह तीनों विषय नियम–310 के अन्तर्गत नहीं आते हैं। .... (व्यवधान) माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि पूरी बात तो सुन लीजिए।

यद्यपि ये तीनों विषय नियम–310 के अन्तर्गत नहीं आते हैं, परन्तु विषय में आने चाहिए और इसे एक परम्परा न मानते हुए, मैं इन तीनों नियम–310 की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत सुन रहा हूँ। इसमें आपकी और सत्तापक्ष की बात आ जायेगी और दोनों का पक्ष भी आ जायेगा। .... (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, रोजगार का मामला है, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह तात्कालिक विषय नहीं है, ये पुराने विषय हैं, नियम–310 के अन्तर्गत तात्कालिक विषय आते हैं और विस्तार से आने चाहिए। जनता की भावनाएं सदन में आनी चाहिए, बहुत सारे नये सदस्य सदन में आये हैं, हम उनके लिए क्या मापदण्ड स्थापित कर रहे हैं? .... (व्यवधान) सभी माननीय सदस्यों की बातें आ जायेंगी। .... (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह प्रश्न बेरोजगारों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बेरोजगारी, अनुसूचित जाति के सभी विषय सदन में आयेंगे।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, परसों ही नेता सदन ने अपने उत्तर भाषण में यह कहा है कि:– "नियुक्तियां इसलिए निरस्त की हैं, क्योंकि इसमें पैसा लिया जा रहा था"। यह गम्भीर विषय है। .... (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

नियम–58 के अन्तर्गत जब ये विषय आयेंगे, तब उसकी ग्राह्यता पर आप अपनी बात रख सकते हैं। .... (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के तथा भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे– .... (व्यवधान))

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं आपको पूरा अवसर दूंगा। .... (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सदन को गुमराह करने की बात है। यह कार्यवाही का हिस्सा है। (माननीय सदस्य के हाथ में कार्यवाही की प्रति थी, जिसे वे लहरा रहे थे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, यह संसदीय परम्परा है कि किसी विषय पर आपका विनिश्चय आने के पश्चात् इस पर प्रश्न उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। आपने अपना विनिश्चय कर दिया है। उसके पश्चात् किसी को प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं है। .... (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

क्या व्यवस्था आ गयी इसमें?

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय बहुत गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष–

हाँ, बताइये क्या बात है?

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों की जो बहुत बड़ी चिन्ता है और पूरे सदन की बहुत बड़ी चिन्ता है कि माननीय मुख्यमंत्री और नेता सदन ने अविश्वास प्रस्ताव पर ....

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यहाँ कोई अविश्वास प्रस्ताव आया ही नहीं है। (व्यवधान) मान्यवर, यह सदन का अपमान है। यहाँ पर कोई अविश्वास प्रस्ताव आया ही नहीं है और नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आया।

(कई माननीय सदस्यों के अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, हम विश्वास मत की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, यहाँ पर क्या व्यवस्था आ गयी? (व्यवधान) कृपया बैठ जाइये। माननीय चौहान जी, व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आपने 310 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर अपना विनिश्चय दिया। मान्यवर, सदन की प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियमावली ये निर्दिष्ट करती है कि अध्यक्ष पीठ द्वारा किसी विषय पर कोई विनिश्चय हो जाने के पश्चात् उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। आपने इस सूचना को नियम–310 से परिवर्तित कर नियम–58 में सुनने का विनिश्चय दे दिया है, उसके बाद भी बार–बार प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया व्यवस्था का प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, हमारा यह कहना है। (व्यवधान) मान्यवर, हमारा अनुरोध है, आपका संरक्षण चाहिए। आपने 310 की सूचना को 58 में सुनने का विनिश्चय किया।

श्री अध्यक्ष–

और साथ में यह भी अनुरोध किया कि यह परम्परा नहीं बननी चाहिए। आज विशेष परिस्थितियों में क्योंकि संभवतः आज सदन का आखिरी दिन है और पूरे प्रदेश की जनता हमारी ओर देख रही है। कल भी कोई कार्यवाही नहीं हो पायी। माननीय सदस्यों की बात पूरी तरह से नहीं आ पायी है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल ''निशंक'')–

मान्यवर, इनको प्रदेश की जनता से क्या लेना–देना है, इन्होंने पाँच साल यहाँ पर .... (व्यवधान)

(श्री किशोर उपाध्याय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मानननीय किशोर उपाध्याय जी, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। मैंने मुन्ना सिंह चौहान जी को बोलने की अनुमति दी है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, निशंक जी की बात कार्यवाही से निकाली जाए कि हमको प्रदेश की जनता से कोई लेना–देना नहीं है। इन्होंने बड़ा भारी आरोप लगाया है कि हमें प्रदेश की जनता से कोई लेना–देना नहीं है। इसको कार्यवाही से निकाला जाय, यह मेरा अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष–

श्रीमन्, मेरा आग्रह है कि माननीय चौहान जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। मैंने उनको अनुमति दी है। (व्यवधान) आप चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही न चले, आपके प्रश्न सदन में न आएं, जनता तक न पहुँचे, तो अलग बात है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, सदन के सदस्य के रूप में हमारे अधिकारों का भी हनन हो रहा है। हम सदन के अन्दर बैठ कर सदन में चर्चा करके अपना योगदान देना चाहते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं व्यवस्था के प्रश्न के तहत कहना चाहता हूँ .... ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, कॉंग्रेस के लोग विधान सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालकर जनता के मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी आप कृपया बैठें, मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब यहाँ पर पूरे प्रदेश की भावनाओं को, समस्याओं को, सदन के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं और सदन को

चलाने में सभी माननीय सदस्यगण सहयोग दें। जनता आपको सुनना चाहती है, आपके विषयों को सुनना चाहती है, उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, उसे सुनना चाहती है।

मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया है कि नियम-310 को एक परम्परा न बनाया जाय। यद्यपि यह नियम-310 की परिधि में नहीं आते हैं फिर भी मैं नियम-58 में इन सब विषयों को सुन लूँगा। आज नियम-310 की कुल 3 सूचनायें मुझे प्राप्त हुई हैं। मैं इन तीनों सूचनाओं को नियम-58 पर सुन लूँगा। आप सब लोग सहयोग करें ताकि सारी बातें आ जावें। (व्यवधान)

मान्यवर, अब कोई बात नहीं रही, माननीय नेता प्रतिपक्ष आप अपनी बात रखें।

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, नेता सदन ने जब विश्वास मत सदन में प्राप्त किया था तो यहाँ पर एक गम्भीर बात कही थी, जो कि विधान सभा की कार्यवाही का एक हिस्सा बना है और यह पूरे प्रदेश के लिए और इस सदन के लिए चिन्ता की बात है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, जो विषय आप रखना चाह रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि उसे आप महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर, फिर आपको और समय मिलेगा, आपको पहले भी समय मिला था अभी और मिलेगा, उस समय आप अपनी बात को रख सकते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था के प्रश्न के अन्तर्गत यह बात कह रहा हूँ, माननीय नेता सदन ने कहा है .... ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पंत)-

माननीय अध्यक्ष जी, जो विषय माननीय नेता प्रतिपक्ष उठा रहे हैं, वह व्यवस्था के प्रश्न के अन्तर्गत कहाँ से आता है?

(कई माननीय सदस्यों के साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह व्यवस्था के प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है।

(कई माननीय सदस्यों के साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, हम यह जानना चाहते हैं, कि यह विषय किस नियम के तहत उठाया जा रहा है?

(कई माननीय सदस्यों के साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया आप लोग सदन को चलाने में सहयोग करें।

मान्यवर, यदि आप नहीं चाहते हैं कि नये माननीय सदस्यों को भी मौका दिया जाय और उनकी बात भी सदन में आनी चाहिए तो मैं सदन की कार्यवाही को स्थगित करता हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12.20 तक स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 12 बजकर 20 मिनट पर पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अभी माननीय निशंक जी ने बीच में बड़ी गम्भीर बात कही है, प्रतिपक्ष के लोगों की तरफ, कि राज्य से इन लोगों का कुछ लेना–देना नहीं है। इसे कार्यवाही से निकाल दिया जायें।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे दिखवा लूँगा। आज नियम–300 के अन्तर्गत 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें श्री मातबर सिंह कण्डारी, मौ0 शहजाद, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री हरिदास, श्री दिवाकर भट्ट, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री जोगाराम टम्टा, श्री गणेश जोशी, श्री नारायण पाल, श्री प्रेमानन्द महाजन तथा श्री प्रेमचन्द अग्रवाल जी की कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सभी सूचनाओं को स्वीकार कर रहा हूँ।

सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, पढ़ी हुई मान ली जायें।

श्री शहजाद–

मान्यवर, पढ़ी हुई मान ली जायें।

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी सूचनाओं को स्वीकार कर रहा हूँ और ये सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी।

जनपद रुद्रप्रयाग में स्वीकृत मोटर मार्ग पीड़ा, पावौ तथा अन्य मोटर मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

[मान्यवर, जनपद रुद्रप्रयाग में स्वीकृत मोटर मार्गों पीड़ा, पावौ, भुनका, खांकरा पौड़ीखाल, गहडखाल, रतनगढ़, थापला कुन्याली, उत्यासू कोटली बांसी सेरा, गंगतल डांगी बैंजी, त्युखर धिरबटिया लुठियाग, जखनोली बैंड से कुरछोला तथा सूर्यप्रयाग से बन्द्रतोली तैला के निर्माण हेतु वन भूमि की पत्रावली बनाकर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी जाए।

शासन द्वारा उक्त मोटर मार्ग विगत 3–4 वर्षों से स्वीकृत है। किन्तु आज दिन तक लो0नि0 विभाग रुद्रप्रयाग ने इन मोटर मार्गों में पड़ने वाली वन भूमि की स्वीकृति हेतु पत्रावली तैयार नहीं की है। जबकि मैंने तथा जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने कई बार लो0नि0 विभाग एवं वन विभाग की बैठक ली है। लो0नि0 विभाग बड़ी लापरवाही से काम कर रहा है।

मैं माननीय सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि लोक निर्माण विभाग को चेतावनी देकर शीघ्र उक्त मोटर मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि की पत्रावली तैयार कर भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण कार्यालय लखनऊ को भेजी जाए ताकि स्वीकृत मोटर मार्गों का निर्माण कार्य शुरु किया जा सके।]

जनपद हरिद्वार स्थित बी0एच0ई0एल0 की कॉलोनी शिवालिक नगर में सीवर लाईन, स्ट्रीट लाईट, सड़क और नालियों की व्यवस्था ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री शहजाद–

[मान्यवर, जनपद हरिद्वार में स्थित बहादराबाद विधान सभा के अन्तर्गत बी0एच0ई0एल0 में पॉश कॉलोनी शिवालिक नगर है, जिसकी जनसंख्या लगभग

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

30,000 है। यह कॉलोनी आवास विकास परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित की गई थी और बी0एच0ई0एल0 द्वारा गृह निर्माण समिति इसकी देखरेख करती थी। दो फेस इसके नोटिफाईड एरिया घोषित थे। दो फेस अभी तक आवास विकास परिषद् उत्तर प्रदेश के अधीन हैं। कुछ माह पहले मा0 उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में शिवालिक नगर स्थापित नोटिफाईड व्यवस्था को समाप्त करते हुए, बी0एच0ई0एल0 को आदेश दिए कि शिवालिक नगर की देखभाल बी0एच0ई0एल0 प्रशासन करेगा। कार्यरत कर्मचारियों को बी0एच0ई0एल0 में समायोजित करने का आदेश दिया जिसके खिलाफ बी0एच0ई0एल0 प्रशासन पुनः मा0 उच्च न्यायालय गया। जिसकी, अभी सुनवाई में वक्त लगेगा।

आज शिवालिक नगर पॉश कॉलोनी की 30,000 आबादी के लिए शासन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था करने वाला, देखने वाला नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि सीवर लाईन का गन्दा पानी घरों में, सड़कों में व नालियों में बह रहा है। जिससे वहाँ महामारी फैलने की आशंका बनी हुई है। विद्युत स्ट्रीट लाईट नहीं जल रही है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। सभी नालियाँ चोक हो चुकी हैं। यहाँ की स्थिति अत्यन्त दुःखद है, जनता आन्दोलन के लिए बाध्य हो चुकी है। मैं शासन से माँग करूँगा कि यहाँ कोई प्रशासक नियुक्त किया जाए। सीवर, लाईट, सड़क और नालियों की व्यवस्था तुरन्त ठीक कराई जाए। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

टिहरी विस्थापित एम0डी0डी0ए0 कॉलोनी नेहरू पुरम, देहरादून में खराब सीवर एवं नालियों की व्यवस्था ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दिनेश अग्रवाल–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देहरादून स्थित टिहरी विस्थापित एम0डी0डी0ए0 कॉलोनी नेहरूपुरम, कांवली रोड में विगत कई माह से कॉलोनी की सड़कों में बह रहे सीवर की गंदगी एवं नालियों में भरे गन्दे पानी से उठती बदबू एवं मच्छरों के कारण परेशानियों से जूझ रहे कॉलोनी वासियों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ।

महोदय, अवगत कराना है कि 140 परिवारों की इस कॉलोनी में निवास करने वाले सभी परिवार इसके कारण फैलने वाली महामारी के खतरे से भयभीत हैं। कॉलोनी वासियों ने कई बार नगर निगम एवं जल संस्थान तथा मुख्य सचिव को पत्र

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कराया परन्तु किसी के भी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। कॉलोनी वासियों द्वारा अवगत कराया गया है कि कॉलोनी में निर्मित नालियों का ढाल एम0डी0डी0ए0 द्वारा शुरु से ही ठीक ढंग से न बनाये जाने के कारण यह समस्या हमेशा से ही रही है।

अतः महोदय, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान दिलाते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

टिहरी विस्थापित एम0डी0डी0ए0 कॉलोनी, नेहरूपुरम देहरादून में आवंटित भवनों की टूटी छतों की टूटती चार-दीवारी एवं उजाड़ पड़े पार्कों के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिदास-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एम0डी0डी0ए0 कॉलोनी, नेहरूपुरम, कांवली रोड में टी0एच0डी0सी0 द्वारा विस्थापितों को आवंटित भवनों की टूटती छतों की चारदीवारी एवं उजाड़ पड़े पार्कों की ओर दिलाना चाहता हूँ।

महोदय, अवगत कराना है कि टी0एच0डी0सी0 द्वारा जब से विस्थापित परिवारों को यहाँ भवन आवंटित किये हैं, तब से आज तक विभाग द्वारा इन भवनों के रखरखाव व पार्कों के सौन्दर्यीकरण के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये। कॉलोनी की छतों की टूटती चारदीवारी से कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। इस सम्बन्ध में कॉलोनी निवासियों द्वारा समय-समय पर कई बार विभाग से निवेदन किया गया है। परन्तु विभाग द्वारा इस पर कोई भी कार्यवाही अभी तक सुनिश्चित नहीं की गई है, जबकि विभाग के पास इस मद में धन की व्यवस्था आरम्भ से ही है।

अतः मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत बाघों द्वारा मारे गये छः बच्चों के परिजनों को वन विभाग द्वारा कोई भी राहत धनराशि न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

खाद्य एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)-

[मान्यवर, दिनांक 13-3-2007 को दिन के 3 बजे को ग्राम सिलेती, पट्टी बनगढ़, विकास खण्ड हिण्डोलाखाल, जनपद टिहरी गढ़वाल में बाघ ने एक महिला,

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो घास लेने के लिए गांव से 200 मीटर के पास गयी थी, उस पर अचानक हमला कर दिया। ग्रामवासियों के हल्ला मचाने पर बाघ ने महिला को गम्भीर रूप से घायल कर छोड़ दिया, साथ ही दिनांक 14–3–2007 को ग्राम गहड, पट्टी लोस्तु, विकास खण्ड कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल में बाघ ने 10 वर्षीय लड़की को सायंकाल मार डाला। अभी तक प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है। पूर्व में भी बाघों द्वारा छः बच्चों को मार डाला गया। मृतकों के परिजनों को कोई भी राहत धनराशि नहीं दी गई और न ही घायलों के लिए कोई धनराशि दी गई है।

मैं माननीय सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वन विभाग द्वारा मृतकों के परिजनों एवं घायलों के उपचार हेतु नियमानुसार राहत धनराशि दिलायी जाय।]

भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत धाड़ क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा बोरिंग हुए 12 ट्यूबवैलों के अब तक चालू न किए जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

[मान्यवर, सिंचाई विभाग द्वारा नाबार्ड से स्वीकृत मार्च, 2004 में भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में 26 ट्यूबवैल बनाये गये। इनमें से 12 ट्यूबवैल, जो विशेषतः धाड़ क्षेत्र में स्वीकृत हुये थे, सिंचाई विभाग द्वारा बोरिंग कर बनवा दिये गये। लेकिन इन 12 ट्यूबवैलों की बोरिंग हुये एक साल से 2 साल का समय हो चुका है। लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के कारण विद्युत का इस्टीमेट सिंचाई विभाग द्वारा जमा करने के बाद भी विद्युत विभाग ने विद्युत के कनेक्शन देकर इन ट्यूबवैलों को चालू नहीं किया है। जिन गांवों में इन ट्यूबवैलों को बनवाया गया है वहाँ सिंचाई के अन्य कोई साधन नहीं हैं। किसान सूखे की मार झेल रहे हैं तथा बिजली विभाग की लापरवाही के कारण इस विभाग की भी मार उन गांवों के गरीब किसान झेल रहे हैं, गांव निम्न हैं:– (1)–डांडा जलालपुर– 2 ट्यूबवैल, (2)– खोड़ी शिकोपुर– 2 ट्यूबवैल, (3)– शहीद वाला ग्रान्ट– 3 ट्यूबवैल, (4)– नौकराग्रान्ट– 2 ट्यूबवैल, (5)– लाल वाला मजबता– 1 ट्यूबवैल।

धाड़ क्षेत्र के इन गांवों में सिंचाई का अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं है। गर्मी का मौसम आ रहा है सिंचाई की बहुत आवश्यकता है। पिछले वर्ष भी सूखा पड़ गया था। इसलिए इस वर्ष किसानों को सही समय पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकें इसलिए इस अविलम्बनीय अति लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित कर कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत स्वीकृत घराड़ी–नागधूणा–चौरपाल–शिबना–पाली मोटर मार्ग के छूटे वन भूमि भाग 2 किमी0 व शेष 15 किमी0 के हस्तांतरण की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जोगाराम टम्टा–

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान जनपद पिथौरागढ़ में अत्यन्त पिछड़े एवं यातायात विहीन क्षेत्र के निर्माणाधीन मोटर मार्ग की ओर दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर, शासनादेश संख्या 826/111–2/06–41(प्रा0)/2003 दि0 28–3–2006 द्वारा घराड़ी–नागधूणा–चौरपाल–शिबना–पाली के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2005–06 में की गयी। यह मोटर मार्ग गंगोलीहाट से पव्वाधार 12 किमी0 निर्मित है और 12 किमी0 के बाद 2 किमी0 का भाग वन भूमि प्रकरण के कारण छूटा हुआ है इस मार्ग के (1) गंगोलीहाट–पव्वाधार–चौरपाल के किमी0 12 से छूटे हुए भाग का निर्माण (02 किमी0) तथा (2) घराड़ी–नागधूणा–चौरपाल (15 किमी0) का वन भूमि का प्रकरण प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, अल्मोड़ा को भेजा गया। वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक– 866/2–1 मू0ह0 दि0 1–11–2006 पर तत्कालीन वन मंत्री द्वारा दो सप्ताह में संयुक्त निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। किन्तु मान्यवर, वन संरक्षक, अल्मोड़ा दो बार इसके निरीक्षण के लिए इस मोटर मार्ग के पास तक गये और बगैर निरीक्षण किये वापस लौट गये। छः माह से ऊपर का समय व्यतीत होने के बाद भी अभी मार्ग के वन हस्तान्तरण की कार्यवाही नहीं हो पायी है, इससे सामान्य जनता को यातायात की बहुत परेशानी है। सुदूरवर्ती क्षेत्र होने के कारण इसकी वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति शीघ्र दिये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन में उठाते हुए इस पर त्वरित कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद देहरादून, सहस्त्रधारा रोड स्थित गंगाकुंज, दून ईस्ट पार्क अपार्टमेन्ट होते हुए संत श्री आशा राम जी आश्रम के ऊपर से गुजर रही 11 के0वी0 की हाईटेंशन लाईन को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गणेश जोशी–

[मान्यवर, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण) उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन, देहरादून के अधीन डाण्डा धोरन, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थित 11 के0वी0 की हाईटेंशन लाईन देहरादून स्थित गंगाकुंज दून ईस्ट पार्क अपार्टमेंट होते हुए संत श्री आशाराम जी आश्रम के ऊपर से गुजर रही है। इससे वहाँ के भूस्वामियों, अपार्टमेंट के निवासियों तथा आश्रमवासियों को खतरा है। साथ ही आश्रम जो एक तपस्थली है और हजारों लोगों की श्रद्धा इससे जुड़ी हुई है और इसमें नित्य प्रति लोगों का आना-जाना रहता है। विशेष अवसर पर यहाँ पर काफी भीड़ होती है। विद्युत लाईन तथा हाईटेंशन लाईन के ठीक उसके ऊपर से जाने के कारण लोगों के तप एवं ध्यानादि में पूरा लाभ नहीं मिलता। साथ ही आश्रम के निर्माण कार्य आदि भी बाधित हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में दि0 4-10-2006 को शासन को तथा दि0 1-12-2006 को तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा गया। आदेशों के बावजूद इस लाईन को हटाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। जनहित तथा क्षेत्रहित में इस लाईन को हटाना आवश्यक है। अतः जनहित के इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर मैं सदन के माध्यम से शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

राज्य में अनुसूचित जाति-जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति से सम्बन्धित "भारत का संविधान" के 85वां संशोधन को लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नारायण पाल-

[मान्यवर, राज्य में आरक्षण (नौकरी में) विसंगति है। कई विभागों में आरक्षण के लाभ से अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को वंचित किया जा रहा है। इसमें राजस्व, समाज कल्याण एवं वन, चिकित्सा एवं मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मुख्य हैं। ऐसे ही राज्य में लम्बित बैकलॉग भरने का भी है, जिससे कई हजार पात्र नौकरी से वंचित हैं। ऐसे ही भारत के संविधान का 85वां संशोधन, जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारियों, कर्मचारियों की पदोन्नति से सम्बन्धित है, इसे राज्य में लागू नहीं किया जा रहा है। मैं इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर क्षेत्रान्तर्गत किसान सहकारी चीनी मिल गदरपुर द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेमानन्द महाजन-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना है कि किसान सहकारी

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीनी मिल, गदरपुर द्वारा गन्ना किसानों को शीघ्र भुगतान की ओर ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ। महोदय, चीनी मिल गदरपुर द्वारा 28 फरवरी तक भुगतान हो जाना चाहिए था। जबकि जिले के अन्य मिलों द्वारा लगभग भुगतान कर दिया गया है। महोदय, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ। साथ ही आवश्यक कार्यवाही की आशा करता हूँ।]

जनपद देहरादून के वि0ख0 डोईवाला की ग्राम पंचायत बड़ोवाला तथा काण्डरवाला में पेयजल अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

[मान्यवर, आपका ध्यान डोईवाला विकास खण्ड जि0 देहरादून के ग्राम पंचायत बड़ोवाला तथा काण्डरवाला में पेयजल के अभाव से उत्पन्न गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

उक्त क्षेत्र में एक माह से अधिक समय से पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जिससे लगभग 10000 से अधिक व्यक्ति एवं पशु–पक्षियों के जीवन पर गम्भीर संकट पैदा हो गया है, जनता में रोष व्याप्त है। कई बार जनता आन्दोलन कर चुकी है, लेकिन विभागीय अधिकारी कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं हैं जिससे कभी भी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जनता सड़कों पर आन्दोलन कर सकती है तथा कभी भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय तथा लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

भारत परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 35, अधिसूचना संख्या 282/यू0टी0ए0/2006, दिनांक 28 दिसम्बर, 2006

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 10 की उपधारा (3) के अनुसरण में धारा 8 एवं 9 में दिये गये प्राविधानानुसार भारत परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 35, अधिसूचना संख्या 282/यू0टी0ए0/2006, दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी जो परिसीमन से सम्बन्धित विधेयक को रखा है, क्या इस पर सरकार बहस कराने पर विचार करेगी? (व्यवधान)

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह तो फाईनल हो गया है। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, बात केवल पहाड़ और मैदान की ही नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का भी (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह संवैधानिक बाध्यता है इसको पटल पर रखना। यह केवल लेईंग आईटम है जिसको 'ले' किया जा रहा है यदि माननीय सदस्य इस पर अपनी भावनाओं से सदन को अवगत कराना चाहते हैं तो वे किसी दूसरे नियम पर कोई संकल्प या प्रस्ताव लेकर आएं तो उस पर बहस हो जाएगी।

गृह विभाग की अधिसूचना संख्या 1969/XX(3)–255/विविध/2005, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24(5) के अन्तर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा (4) के अधीन जारी की गई गृह विभाग की अधिसूचना संख्या 1969/XX(3)–255/विविध/2005, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005, को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–8 पुकारे जाने पर)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, पहले नियम–58 ले लें।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत कुल 08 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से मैं मौ0 शहजाद, हाजी तसलीम अहमद जी की सूचना तथा श्री सुरेन्द्र राकेश जी की सूचना

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयीं। इसके अतिरिक्त आज जो नियम-310 की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिन्हें नियम-58 में परिवर्तित किया गया था, उन्हें भी मैं ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। पहले मैं नियम-310 की नियम-58 में परिवर्तित सूचनाओं को ले रहा हूँ।

*श्री किशोर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, आज पूरा प्रदेश, इस प्रदेश की युवाशक्ति, जिस सबसे बड़े मसले के प्रति चिंतित हैं, जो बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। मान्यवर, पिछली सरकार ने राज्य के युवाओं के हितों को देखते हुए यहाँ तक कि इस प्रदेश में जो निजी क्षेत्र में यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगेंगी, इकाईयाँ स्थापित होंगी, उसमें भी स्थानीय बेरोजगारों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। मान्यवर, आज पूरा प्रदेश, प्रदेश का ऐसा कोई मुख्यालय नहीं है जिसमें आज लोगों ने, नौजवानों ने प्रदर्शन नहीं किया हो और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन नहीं भेजा।

श्री भगत सिंह कोश्यारी-

मान्यवर, प्रदेश का तो एक ही मुख्यालय होता है। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय-

माननीय कोश्यारी जी, आप यहाँ हैं, नजर आपकी उस तरफ रहती है, यह बड़ी समस्या की बात है। (व्यवधान)

मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार ने युवा शक्ति के लिए, बेरोजगारों के लिए विभिन्न विभागों में, अर्द्धसरकारी विभागों में रोजगार के लिए साक्षात्कार की परीक्षाओं की व्यवस्था की थी। एक ही संदेश में सारी की सारी प्रक्रिया पर रोक लगा दी और मान्यवर, सबसे बड़ी चिन्ता का विषय यह है कि ये जो जन विरोधी सरकार है, युवा शक्ति विरोधी सरकार है, दिशाहीन सरकार है, सोच विहीन सरकार है। जिन नौजवानों का, जिस युवा शक्ति का, जिन लोगों की आज ऐज ओवर हो गयी होगी, आज जो यह आदेश किया है, उनका क्या होगा? सबसे बड़ी चिन्ता का विषय आज यह है और अगर यही स्थिति रही तो मान्यवर, पूरा राज्य अराजकता की तरफ जाने वाला है। सारी की सारी युवा शक्ति संगठित होकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करने वाली है यह सबसे बड़ा चिन्ता का विषय है। मान्यवर, 34 की संख्या में ये लोग अगर इतना इतरा रहे हैं, इस प्रदेश ने आपको कोई सुस्पष्ट बहुमत नहीं दिया है, इसलिए इतना इतराने की आवश्यकता नहीं है और उसके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथ–साथ अगर आपको इसी प्रकार की बहस करनी है तो यह विषय से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में तो चर्चा यह है कि .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठिये। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए उचित होगा कि माननीय सदस्य अपनी भावनायें ठीक प्रकार से पूरी तरह व्यक्त कर पायें। मात्र 05 मिनट का समय मैं आपके लिए निर्धारित करता हूँ। अपनी बात आप रखिए।

*श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सदन व्यवस्थित रहे ....।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुरोध कर दिया है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, पहली समस्या यह है कि मुन्ना सिंह चौहान जी .... (व्यवधान)

*श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय किशोर उपाध्याय जी विषय से भटक रहे हैं। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आज पूरा का पूरा प्रदेश आन्दोलित है और हमने इसीलिए विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन किया था, यह महत्वपूर्ण विषय है पीठ की जो आज्ञा है उससे बंधे हुए हैं।

श्रीमन्, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और अब इस पीठ की जो आज्ञा हो हम उससे बंधे हुए हैं। श्रीमन्, लेकिन इस विषय पर सरकार का जब तक सुस्पष्ट वक्तव्य न आ जाय। मान्यवर, यहां पर चिन्ता की जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जिसको कि हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी अभी आपके सम्मुख रखा है और नेता सदन ने जो अपने विश्वास मत में, जो भाषण दिया उसमें उन्होंने साफ–साफ एक बात कही है और मैं उसको कोड कर रहा हूँ। .... (व्यवधान) उससे सम्बन्धित मामला है [x x x]

नोटः– [x x x] * वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(व्यवधान कांग्रेस के माननीय सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा जिस प्रश्न का उत्तर यहां पर पढ़ा जा रहा है, उस प्रश्न के उत्तर का संशोधन पत्र भी मंगा लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने मूल प्रश्न में आयें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक'')–

श्रीमन्, ये पीठ हमारे लिए बहुत सम्मानित है। श्रीमन्, अलग वक्तव्य पर थोड़ा परिहास हो जाता है, लेकिन अन्ततोगत्वा जब आपके पीठ से निर्देश मिलते हैं, उसका सब सदस्य सम्मान करते हैं। इससे पहले तो श्रीमन् व्यवस्था का प्रश्न है कि इस पीठ को ये कह देना कि मैं नहीं सुनूंगा। ये बहुत ही खराब बात है .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य से अनुरोध है कि मैं सुन चुका हूँ। नेता प्रतिपक्ष .... (व्यवधान)

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करता हूँ। श्रीमन्, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य किशोर उपाध्याय जी .... (व्यवधान), माननीय सदस्य कहें कि हम पीठ के अन्दर निर्देशों का सम्मान नहीं करेंगे। .... (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

माननीय अध्यक्ष जी, जब तक इस प्रश्न का संशोधन पत्र नहीं आता, तब तक चर्चा न की जाय।

श्री अध्यक्ष–

संशोधन मंगा लिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''—

श्रीमन्, यह सदन के नियमों के विरुद्ध है। आप संशोधित भाषण मंगा लीजिए, श्रीमन्, जब किसी भी सदस्य का भाषण होता है वह जब तक संशोधित नहीं होता तब तक उसकी चर्चा नहीं की जा सकती। माननीय नेता सदन का संशोधित भाषण मंगा लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

अभी मंगा लेते हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''—

उसके बाद उस पर चर्चा की जाए। यह बिल्कुल गलत है। संशोधित प्रतियों को सदन में वितरित करके चर्चा करा लें। यह गलत परम्परा है।

श्री दिनेश अग्रवाल—

मान्यवर, संशोधन शब्दों का होगा कि अर्थों का होगा?

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय को बोलने का अवसर दिया। वे अपनी बात को रखना चाहते हैं। आपकी पीठ से यह निर्देश था लेकिन बीच में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी श्री प्रकाश पंत जी ने उनकी बात को रखने से रोकने का प्रयास किया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी ने पीठ के प्रति अविश्वास, यह बात नहीं कही कि मैं नहीं सुनना चाहता। यह बात उन्होंने माननीय प्रकाश पंत जी के लिए कहा और माननीय निशंक जी का यह बोलना कि, पीठ की अवहेलना की, वे शब्दों को तोड़–मरोड़ कर कह रहे हैं।

श्री प्रकाश पंत—

श्रीमन्, उन्होंने कहा कि आई एम नॉट यल्डिंग।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा पीठ पर पूरा विश्वास है। मैं सदन की कार्यवाही को चलाना चाहता हूँ। प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे जैसे रोजगार विषयों पर चर्चा कराना चाहता हूँ। आपने चर्चा को स्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर सुने जाने के लिए स्वीकार किया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, ग्राह्यता पर चर्चा होनी है। माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी के विचारों को आने देना चाहिए।

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, विचारों को न आने देने का, कहीं कोई रोकने की बात नहीं की है। सरकार तैयार है आपके हर विषय पर चर्चा कराने को लेकिन नियमों के आधार पर।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जब सरकार अपना पक्ष रखती तब कह सकती थी। लेकिन माननीय सदस्य के विचारों को रोकना सदन को अव्यवस्थित करना है। माननीय अध्यक्ष जी, जब नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर बोल रहे हों तो इस प्रकार की अव्यवस्था फैलायी जायेगी, तो जब नेता सदन में खड़े होंगे तो हमारी ओर से भी होगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, नेता सदन पर आरोप लगा रहे हैं, यह गलत बात है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं नहीं समझता। आपने कुछ बात कहनी चाही, यहाँ व्यवस्था का प्रश्न उठा है, उन्होंने अपनी बात कही है और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात कही है और संशोधित भाषण की बात कही है, तो मैं बता दूँ कि वह मेरे पास आ गई है और मेरा आपसे अनुरोध है कि जब नेता सदन खड़े होते हैं तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप इन्हें सुनने का अवसर देंगे। उसी प्रकार से जब माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं तो अन्य सदस्यों से भी अपेक्षा ये करता हूँ कि उनकी बात पर व्यवधान न डालें और अपनी बात जरूर कहें, किसी नियम के अन्तर्गत कहें। संशोधित भाषण मैं आपके समक्ष रख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, जिस विषय पर आप चाहते हैं, यह संशोधित भाषण है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जो लाईन है मैं पढ़कर सुना दूँ। (घोर व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, यह तो पीठ को अपनी बात न कहने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, संशोधन में लाईन हटा दी जायेगी। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि सदन की कार्यवाही चलने दें। सभी लोगों की निगाहें आपके ऊपर लगी हैं, सब सुनना चाहते हैं, कृपया आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, ये सदन के सचिवालय के प्रति भी अविश्वास व्यक्त करते हैं। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अभी बात आई नहीं है जो बात भी कही जाती है वह पीठ को सम्बोधित करके बात की जाती है। हम आपसे नहीं कहते हैं कि इसकी बात नहीं सुनना चाहता, मैं उसकी बात नहीं सुनना चाहता तो मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है, ऐसी कोई भाषा या शब्द अगर कार्यवाही में आए हैं तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(घोर व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैंने यह कहा कि ....

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर जी मेरा निवेदन है .... (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, नियम–58 में माननीय किशोर जी को सुन लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

बिल्कुल मौका दिया जायेगा। संशोधित भाषण की जानकारी दे दूँ कि ऐसी भी शिकायत मिली है, मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि किसी प्रकार

की कटौती नहीं होगी इस सम्बन्ध में आप कह रहे थे और उसमें 'ऐसी शिकायत भी मिली है' यह इसमें जोड़ा गया है, संशोधित भाषण आपके समक्ष है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, कार्यवाही के पेज 28 की लाईन नं0–15 में है।

श्री अध्यक्ष–

भर्ती के लिए भी कहते हैं कि 'हम इसे ठीक कर रहे हैं। हमने इसलिए रोक लगाई है क्योंकि आचार संहिता के समय में भी भर्तियों की चिट्ठी बैक डेट में एप्वाइंटमेण्ट दिये गये क्योंकि ऐसी भी शिकायत मिली है, पैसे लेकर दिये गये थे ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है।' संशोधित कार्यवाही हमारे समक्ष आ गई है तो इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने अभी कार्यवाही का अंश पढ़ा उसमें लिखा है कि भर्तियों की चिट्ठी बैक डेट में एप्वाइंटमेण्ट दिया गया, यह माननीय नेता सदन द्वारा सदन में दी गई है, तो क्या उसकी भी जाँच हुई है।

श्री अध्यक्ष–

'ऐसी भी शिकायत मिली है' जब सरकार अपना पक्ष रखेगी तो बतायेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

''ऐसी शिकायतें भी मिली हैं'' कहा गया है। .... (व्यवधान) इसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता सदन द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि बैक डेट में एप्वाइंटमेण्ट दिये गये .... (घोर व्यवधान) मान्यवर, यहाँ पर नोट हुआ है। .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

''ऐसी शिकायतें मिली हैं'' कहा गया है। (व्यवधान) इसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी, तो आपको बता देगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश में चिन्ता का विषय है। सत्तामद में चूर, ट्रेजरी बैंच के लोग सदन की कार्यवाही नहीं चलने .... (व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, कुछ हमें भी सुन लिया जाय। आपने प्रश्न उठाया है, उसका उत्तर शासन देगा या नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं यह निवेदन कर रहा हूँ, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी अपने उत्तर भाषण में इस बात को रखेंगे। .... (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, पहले हम अपना पक्ष रखेंगे, तभी तो उत्तर आयेगा।

श्री अध्यक्ष–

मेरा निवेदन है कि जब माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, अपना उत्तर भाषण रखेंगे .... (व्यवधान)

*वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

मान्यवर, हम पीठ का सम्मान करते हैं, तमाम जो नये सदस्य आये हैं। यहाँ पर अपने–अपने क्षेत्र की समस्या उठायेंगे। यह समय की बरबादी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी, मैं आप से निवेदन कर रहा हूँ, कृपया आप सदस्यों को सम्बोधित न करें। कृपया आप पीठ को सम्बोधित करके अपनी बात कहिये। मेरा प्रत्येक सदस्य से यह निवेदन है कि कृपया पीठ को सम्बोधित करके अपनी बात कहें और आपस में इन विवादों में न उलझें, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें। हमारे पास सीमित समय है। सभी माननीय सदस्यों की बातें आनी हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने कहीं पर भी पीठ का असम्मान नहीं किया है, पहली बात यह है। .... (व्यवधान) मैंने कहीं पर भी पीठ का असम्मान नहीं किया है, आपका निर्णय सर्वोपरि है। .... (व्यवधान)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, अब संशोधित आ गया।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, शायद माननीय सदस्यों ने सही ढंग से सुना नहीं। मैंने निवेदन यह किया था कि ट्रेजरी बैंच के किसी भी सदस्य के लिए ऐम नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों को पांच मिनट का समय निर्धारित हुआ था, आपको 15 मिनट हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, सबसे बड़ा चिन्ता का विषय रोजगार है और क्योंकि यह रिलीवेंट प्वाइंट था। मान्यवर, मैं इससे सहमत हूँ जिस समय नेता सदन ने यह कहा था कि हमने भर्तियों पर तो रोक लगायी है उस लाईन को मैं यहाँ पर कोड करना चाहता हूँ। .... (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आप असंशोधित प्रति कोड नहीं कर सकते हैं, संशोधित प्रति मंगाईये।

श्री अध्यक्ष–

आप संशोधित प्रति मंगाईये।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, असंशोधित क्या होता है?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो भी माननीय सदस्य सदन के अन्दर अपनी बात बोलते हैं, उसमें उनको अवसर मिलता है कि 24 घण्टे के अन्दर अपने उत्तर भाषण को संशोधित करके सचिवालय को दें। अगर उन्होंने अपना भाषण संशोधित किया है तो वह सचिवालय से मंगा सकते हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, भाषा बदली जा सकती है? इस पर हम आपका विनिश्चय चाहते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, भाषा नहीं बदली जा सकती है। .... (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, क्या मूलभावना को भी बदला जा सकता है?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मूल भावना भी नहीं बदली जा सकती है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इसमें तो भाषा भी बदली गई है। .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मूल भावना नहीं बदली गयी है। यह प्रकरण समाप्त हो चुका है। दुबारा क्यों इसको बार–बार उठा रहे हैं?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, ...

श्री अध्यक्ष–

मुन्ना सिंह चौहान जी, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूँ आपको। कृपया आप बैठ जाइये। माननीय किशोर उपाध्याय जी।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, चूँकि जो प्रकरण यहाँ पर नियम 310 के माध्यम से उठाने की आपसे इजाजत मांगी थी, 58 में आपने इजाजत दी क्योंकि उससे रिलेटेड नेता सदन का यह बयान है, ''इसलिए हमने ....

श्री अध्यक्ष–

यह प्रकरण समाप्त हो चुका है इसलिए आप इसका उल्लेख न करें। आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इसमें लिखा है कि रोजगार पर हमने क्यों रोक लगायी।

श्री अध्यक्ष–

बात आ गयी है। आपका कहना है कि हमने रोक नहीं लगा रखी है। कृपया अपनी बात जारी रखिए।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, कौन कह रहा है रोक नहीं लगायी है?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, सरकार कह रही है कि रोक नहीं लगायी है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसमें सरकार का पक्ष भी आ जाए। उन्होंने पहले भी कहा और अब भी कह रहे हैं कि हमने रोक नहीं लगायी है। कृपया आप अपनी बात पूरी करें।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, संशोधित देख लें।

श्री अध्यक्ष–

इसमें लिखा हुआ है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इसमें लिखा है, "इसलिए रोक लगायी है ....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष–

यह प्रकरण समाप्त हो चुका है। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, हमें आपत्ति है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इसमें पूरा भाव बदल गया है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम–313 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, बार–बार व्यवस्था के प्रश्न पर इस सदन को अव्यवस्थित करने का काम सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, आपके द्वारा निर्देश देने के बाद भी आपके निर्देशों का पालन न होना इस पीठ का असम्मान है। (व्यवधान)

*काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं की किताब है, ये अध्यक्ष पीठ द्वारा दिये गये निदेश हैं, इसमें साफ–साफ दिया गया है कि एक भाषण के बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न कभी नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसे देख लिया है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, नियम–313 में लिखा है कि अध्यक्ष पीठ से विनिश्चय होने के बाद उस विषय पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता। श्रीमन्, विधान सभा की कार्यवाही अध्यक्ष पीठ का हिस्सा है और विधान सभा की जो कार्यवाही है और विधान सभा के सचिवालय द्वारा जो कार्यवाही सम्पादित की जाती है, उसके ऊपर प्रश्न उठाने का मतलब होता है, अध्यक्ष पीठ के ऊपर प्रश्न चिन्ह और अध्यक्ष पीठ पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इसमें लिखा है "भाषण में भाषा और व्याकरण की अशुद्धियां ही, यदि कहीं हों, तो संशोधित करके भाषण की मूल प्रति भाषण देने के 24 घण्टे के भीतर भेज दें। इसके केवल भाषा और व्याकरण की बात लिखी है।

श्री अध्यक्ष–

इस विषय पर मेरा विनिश्चय आ चुका है कृपया इसे दोबारा न उठाएं। माननीय किशोर उपाध्याय जी, कृपया आप अपना भाषण जारी रखें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी प्रदेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर अपनी बात को रखना चाहते थे।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, चाहते थे, और वे चाहें, मेरा तो अनुरोध है कि वे इस पर अपनी बात को जारी रखें। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, लेकिन व्यवस्था के नाम पर बार–बार व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। श्रीमन्, बेरोजगारी के ज्वलंत मुद्दे पर, जो उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण की मूल भावना थी। लेकिन यह सरकार उत्तराखण्ड के हमारे नौजवान साथियों के हाथों को रोजगार देना नहीं चाहती है। इसलिए यह सरकार उत्तराखण्ड के नौजवानों की विरोधी सरकार है, इसलिए मैं और मेरा दल इस मुद्दे पर वाकआउट कर रहे हैं।

(तत्पश्चात् माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, यह तो चाहते ही नहीं हैं कि सदन चले, ये सिर्फ व्यवधान करते हैं और यह लोग नये सदस्यों को बोलने का, सीखने का मौका नहीं देना चाहते हैं, यह भी मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रेम चन्द अग्रवाल जी, आपको जो भी बात कहनी हो, नियमों के ही तहत कहेंगे। कृपया इस बात का ध्यान रखें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जिस विषय को लेकर अभी हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने, कांग्रेस दल के सम्मानित बन्धुओं ने जिन बिन्दुओं को नियम–310 के अन्तर्गत इस सदन में अपना विरोध प्रकट करने का प्रयास किया और पीठ से आपने, सदाशयता का परिचय देते हुये आपने, श्रीमन्, ग्राह्यता पर उनके विचार सुनने का विनिश्चय लिया था और बड़े खेद के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर, जो इस राज्य के निर्माण के मूल अंतर्विरोध से जुड़ा हुआ प्रश्न था। जिस विषय पर इस राज्य के आन्दोलन की मूल भावना जुड़ी हुई थी, लेकिन उस विषय को यहां पर इतने हल्के तरीके से ....।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, लगभग 30 मिनट का समय यहाँ पर बर्बाद किया गया। यह निश्चित रूप से हम सब के लिए चिन्ता का विषय है मान्यवर, निर्वाचन से पहले जब उत्तराखण्ड राज्य की दूसरी विधान सभा का गठन हो रहा था तो उससे पूर्व कुछ विभागों में चयन की प्रक्रिया चल रही थी और इस चयन की प्रक्रिया में राज्य के सभी विभागों के अन्तर्गत कार्यालयों में कनिष्ठ सहायकों के पद, एल0टी0 ग्रेड में शिक्षकों के पद, परिवहन विभाग में समूह 'घ' के पदों पर, गृह विभाग के अन्तर्गत पुलिस में कांस्टेबलों की भर्ती आदि की कार्यवाही चल रही थी। निर्वाचन की तिथियाँ घोषित होने पर पुलिस विभाग द्वारा उक्त कार्य प्रारम्भ करने के लिए चयन का कार्य स्थगित कर दिया और निर्वाचन के पश्चात् शेष कार्यवाही पूरी करने के लिए, जहाँ चयन हो गया है, वहाँ नियुक्तियाँ प्रारम्भ करने और उसमें विज्ञापन प्रकाशित करने का कार्य निर्वाचन आचार संहिता लागू होने के कारण रोक दिया गया था, विज्ञापन प्रकाशन के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जानी है।

श्रीमन्, इसी मध्य जब उत्तराखण्ड राज्य के जनादेश को प्राप्त करने के बाद भारतीय जनता पार्टी गठबन्धन की सरकार स्थापित हुई और लगातार विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि निर्वाचन की तिथियाँ घोषित होने के बाद भी और उससे एक माह पूर्व यह प्रयास किया जाता रहा कि भ्रष्ट तरीकों से नियुक्तियों की प्रक्रिया हो, इन शिकायतों को देखते हुये श्रीमन्, 3 मार्च, 2007 को एक आदेश निर्गत हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाय। ये निरस्त नहीं किया गया, ये केवल स्थगित किया गया ताकि सम्पूर्ण प्रक्रिया की गहनता से जांच हो और इस राज्य के मूल अंतर्विरोध रोजगार के विषय को न्याय संगत तरीके से और पारदर्शी तरीके से, जन सामान्य के मध्य रखा जाये। ताकि हर बेरोजगार नौजवान को अवसर प्राप्त हो और जहाँ तक रोजगार का विषय है श्रीमन्, मैं एक और बात सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। अभी प्रतिपक्ष के साथी रोजगार के विषय पर बहुत गम्भीर तरीके से अपनी बात कहने का प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। श्रीमन्, जबकि सच्चाई यह है कि 5 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार इस उत्तराखण्ड राज्य में रही और इन्होंने वायदा किया था श्रीमन्, वर्ष 2002 के प्रथम निर्वाचन के समय कि यदि हम सरकार में आये तो हम 2 लाख लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे और आज का जो आंकड़ा मेरे पास है श्रीमन्, उसके आधार पर आज की तिथि तक समस्त निजी क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में, सारे रोजगारों के आंकड़ों पर अगर हम गौर करते हैं तो इन पांच वर्षों में 56 हजार 59 रोजगार इन्होंने दिये हैं इन पांच वर्षों में। जबकि इन 5 वर्ष में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था इनकी घोषणा के अनुसार और इसके साथ ही

इन्होंने श्रीमन् इसी 56 हजार 59 रोजगारों में औद्योगिक इकाईयों में जो रोजगार प्रदान किये हैं वह 23 हजार 810 हैं। ये उसी 56 हजार में सम्मिलित हैं और इनमें 14 हजार 172 सीधी भर्ती के माध्यम से इन औद्योगिक इकाईयों में हैं और इन औद्योगिक इकाईयों में आज भी 9 हजार 638 ऐसे श्रमिक हैं जो संविदा के आधार पर कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से ये आंकड़े साफ प्रदर्शित करते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने रोजगार के नाम पर बेरोजगारों को ठगा है और उनका, मानव संसाधन का, शोषण करने में भागीदार रही है यह सरकार।

इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ श्रीमन्, कि आज के ही समाचार पत्र में यह जो भ्रम की स्थिति कॉंग्रेस ने निर्माण करने का प्रयास किया कि उत्तराखण्ड के समस्त रोजगारों को वर्तमान सरकार ने निरस्त कर दिया है, उस भ्रम की स्थिति को तोड़ने के लिए आज विज्ञापन भी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि विभिन्न विभागों में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया के स्थगित होने से उत्पन्न भ्रम के बारे में स्पष्ट करना है कि नियुक्तियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और न ही इन्हें निरस्त किया गया है इन्हें मात्र कुछ समय के लिए स्थगित किया है। निर्वाचित सरकार द्वारा इन नियुक्तियों में पूर्ण पारदर्शिता लाने एवं चयन प्रक्रिया की जांच के कारण कुछ समय के लिए इन्हें रोका गया है। विभाग में होने वाली नियुक्तियों में प्रक्रिया का परीक्षण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के पश्चात् शीघ्र ही नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएगी और इस प्रकार से हमारे प्रतिपक्ष के, कांग्रेस दल के सम्मानित साथियों ने जिस विषय को ले करके भ्रम की स्थिति बनाने का प्रयास किया और जिस नोटिस के जरिये यहाँ अपनी बात रखना चाहते थे श्रीमन्, चूँकि आपने सदाशयता का परिचय देते हुए उसको नियम–58 में सुना है, ग्राह्यता पर सुना है लेकिन चूँकि उनके पास बोलने के लिए कोई विषय था नहीं इसलिए संभवतः इस विषय को लेकर जब उनके पास कोई सामग्री नहीं थी, कोई आधार नहीं था, तो उन्होंने सदन का परित्याग किया है इसलिए इस सूचना को श्रीमन्, अग्राह्य करने का कष्ट करें और सरकार की पूरी तरह से मंशा है कि इस राज्य के अन्दर पारदर्शी तरीके से नियुक्तियाँ हों और नियुक्ति की प्रक्रिया को शीघ्र से शीघ्र प्रारम्भ करेगी, सरकार यह आश्वासन इस सदन के माध्यम से देना चाहती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूँ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य सदन में आ गये।)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न, हालांकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय निशंक जी, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ये तीनों ही मेरे गुरु हैं, मैंने तीनों से बहुत कुछ सीखा है। मान्यवर, मेरे पास एक किताब है, अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय का संकलन, इसमें मान्यवर, तीन अलग–अलग व्यवस्थायें हैं कि एक सदस्य के बोलते समय अन्य सदस्यों को बैठ जाना चाहिए तथा बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। इसमें यहाँ तक लिखा है कि भाषण के बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। सदन में एक सदस्य को दूसरे सदस्य की बात सुननी चाहिए, चाहे कितनी भी सख्त बात क्यों न हो। ऐसी इसमें 4–5 व्यवस्थायें हैं। मान्यवर, व्यवस्था के नाम पर कम से कम शासन पक्ष के लोगों को अव्यवस्था नहीं फैलानी चाहिए। मान्यवर, ये आपके सामने किताब है चाहे खुद ही इसको दिखवा लें। ये तीनों मेरे बड़े हैं। मान्यवर, आपसे व्यवस्था चाहिए।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, सदन की परम्परा भी रही है और कार्य संचालन नियमावली उत्तर प्रदेश जिसका आपने उल्लेख किया। बार–बार व्यवस्था का प्रश्न .... (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह जो प्रकरण काजी निजामुद्दीन ने उठाया है यह आपकी जानकारी में लाया गया है न कि निशंक जी की जानकारी के लिए लाया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं मात्र इतना कहना चाहूँगा कि इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं है, किसी अन्य नियमों में इसे चर्चा का विषय बना दिया जायेगा। परन्तु वर्तमान में जो माननीय काजी जी ने जिन विषयों पर ध्यान आकर्षित किया है, मैं समझता हूँ कि इस पीठ के द्वारा इस सदन में महत्वपूर्ण निर्णय समय–समय पर होते आये हैं और अनेक विद्वान इस पीठ पर आसीन हुए हैं जिन्होंने समय–समय पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं कृपया आपसे अनुरोध करूँगा, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो हमारी मर्यादायें बनी हुई हैं सदन में, इस सदन का अनुपालन करें और सदन की कार्यवाही को ठीक प्रकार से चलने दें। जिससे कि सभी माननीय सदस्यों के प्रश्न और उनके उत्तर आ सकें और विशेषकर जो इस समय पीड़ा का अनुभव मैं कर रहा हूँ कि जो नये सदस्य चुनकर आये हैं, जो अभी–अभी निर्वाचित होकर आये हैं और अभी यह इस सदन का पहला सत्र है, तो कृपया दोनों पक्ष इस बात पर ध्यान दें।

श्री नारायण पाल—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान हमारे उत्तरांचल में करीब तीन लाख बंगाली जाति के लोग जिसमें पौण्ड, माझी और नमःशूद्र रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये पाँच साल में हमने इस समस्या को कई बार उठाने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश में जब हम लोग थे, 1952 से इस समस्या को उठाते रहे हैं। बंगाली विस्थापित जो लोग हैं जिसकी उत्तरांचल में तीन लाख की संख्या है उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात हमेशा उठती रही और माननीय कांशीराम जी ने इसको राज्य सभा में बोला था। 1967 में एक अन्थ्रोग्राफिकल सर्वे हुआ जिसमें इन उप जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात हुई और संसदीय कमेटी ने भी एक अनुशंसा की कि जो आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से कमजोर जातियाँ हैं, उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाय। हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी से, भारत के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी बाजपेयी साहब से, भारत के प्रधान मंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी से और जो भी इस समस्या का समाधान के लिए प्रयास कर सकते थे, उनके सामने हमने अपनी बात रखी।

मान्यवर, एक बार हम लोग करीब एक वर्ष पहले सी0पी0एम0 नेता बासुदेव जी के साथ एक डैलिगेशन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे। उसके बाद भारत के समाज कल्याण मंत्री जी से मिले थे। उसके पश्चात् प्रधानमंत्री हाउस से पत्राचार हुआ। तो हम लोगों को पता लगा कि सवा डेढ़ साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उसके बाद पांच साल तक कांग्रेस की सरकार रही जिसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभी इस सरकार को बने कुछ दिन हुए हैं लेकिन इतने समय में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कोई अनुशंसा भारत सरकार को नहीं भेजी गयी। माननीय अध्यक्ष जी, ये समाज कल्याण से सम्बन्धित मामला है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दिनेशपुर, शक्तिपुर फार्म में और उत्तराखण्ड के कई हिस्सों में जो तीन लाख बंगाली लोग रहते हैं उनके जीवन स्तर को देखेंगे। आर्थिक रूप में और सामाजिक रूप में, तो आपको लगेगा कि बहुत से अनुसूचित जाति के लोगों से भी वे बड़े कमजोर हैं। अभी नियम–310 में हमने जो आपको सुनने के लिए कहा, उसमें आपने नियम–58 में हमारी बात को सुना। किन्तु आप भी इस बात को संज्ञान में लेंगे कि इससे पहले भी इसको नियम–58 में सुना गया था।

मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इसमें अध्ययन करेंगे तो जो हमारी मूल समस्या है उसमें आपको भी लगेगा कि उनकी समस्या भारत सरकार को भेजी जाय। हम लोग जानते हैं और सब महसूस करते हैं कि इसमें समय लगेगा। लेकिन जो उत्तराखण्ड में बंगाली लोग रहते हैं, जिनकी ये मूल समस्या है, उनका आर्थिक और

सामाजिक विकास होना चाहिए। जबकि शासन भी इस बात को मानता है। लेकिन इसकी संस्तुति अगर भारत सरकार तक नहीं जायेगी तो इसमें अपेक्षित काम नहीं हो पायेगा। मैं अपने साथियों की ओर से, हमारी बहुजन समाज पार्टी और जो बड़े दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के सहयोग से, हम सभी की ओर से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उत्तराखण्ड सरकार का संस्तुति पत्र भारत सरकार को चला जाये जिस पर अपेक्षित काम हो जायेगा।

मान्यवर, यह कोई छोटी समस्या तो है नहीं और ना ही कम समय में हल होने वाली है लेकिन इसके बारे में आप लोग भी व्यवहारिक रूप से अच्छी तरह से समझेंगे तो लाखों बंगाली लोगों की मदद हो जायेगी, उनका जीवन सुधर जायेगा। मान्यवर, आपने इस विषय के बारे में मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी मूल समस्या पर बातें करें।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस विषय को, नियम–310 की सूचना को नियम–58 के तहत सुनने की कृपा की, मैं अपनी पार्टी की तरफ से और पूरे बंगाली समाज की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड में, इसके साथ–साथ भारत के विभिन्न क्षेत्र में, जब हमारे देश को आजादी मिली और उसके बाद जो बंटवारा हुआ उसी समय से हम लोग विस्थापित होकर वर्तमान उत्तराखण्ड में हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपनी बात को संक्षिप्त में रखेंगे।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, और इस जाति को बसाया गया। पूरे लोगों को भारत वर्ष में विभिन्न प्रदेशों में बसाया गया। आज उत्तराखण्ड के ऊधमसिंह नगर में करीब ढाई लाख लोग हैं और विशेष कर विधान सभा क्षेत्र के रूप में देखें तो पन्तनगर, गदरपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा में बहुत ज्यादा के हिसाब से हैं। इसमें जो जातियाँ हैं उनमें से माझी जाति है और ये सारी जातियाँ पूरे प्रदेश में हैं। मान्यवर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ और पूरी क्षेत्र की जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को अनुसूचित जाति के अन्तर्गत जो "स्टाइपेंड" मिलता है। और जब हमारे बच्चों को पढ़ाई पूरी करने के बाद ये सुविधा छिन जाती है, तब अनुसूचित

जाति के ये बच्चे नहीं रहते हैं। तब इस विधान सभा में अपनी बात कही और बात को टाला गया और हमारे दोनों बड़े दल, इस सदन में उपस्थित हैं और ये दोनों दलों की ओर से चुनाव घोषणा-पत्र में सम्मिलित किया गया। मान्यवर, आपने अनुशंसा पूर्वक हमारी बात सुनी आपका धन्यवाद।

श्री प्रकाश पन्त-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित सदस्यों द्वारा जिस विषय को सम्मानित सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया उस विषय को नियम-310 में रखने का प्रयास किया गया जिसको आपने नियम-58 में सुना है। इसके सम्बन्ध में विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहूँगा कि भारत के संविधान की धारा 341 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मान्यवर ये जाति भारत की संसद में निहित है। श्रीमन्, और इस अधिकारी पर अतिक्रमण करने का अधिकार इस सदन को नहीं है। श्रीमन्, लेकिन इसके बाद भी मैं सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा। अनुच्छेद 341 के (1) में राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में और जहाँ वह राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों, अथवा जातियों मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति का समझा जाएगा। श्रीमन्, इसी अनुच्छेद के खण्ड (2) में यह कहा गया है कि संसद, विधि द्वारा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ को खण्ड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से उपार्जित कर सकेगी। किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खण्ड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्‌वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मान्यवर, इस अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं।

श्रीमन्, 3 दिसम्बर, 2001 को सरकारी संकल्प के माध्यम से इस सम्मानित सदन के माध्यम से उक्त जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के लिए यहाँ से संकल्प पारित करके भारत की संसद को भेजा था। श्रीमन्, संकल्प था 'यह सदन उत्तरांचल राज्य में बसे बंगाली समुदाय के नमःशूद्र, पौण्ड तथा माझी जाति के व्यक्तियों को जो भारतीय नागरिकता के हों, उत्तरांचल राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की संस्तुति करता है।' यह संकल्प 3 दिसम्बर, 2001 को भारतीय जनता पार्टी की उस अंतरिम सरकार ने इस सम्मानित सदन के माध्यम से प्रेषित कर दिया था लेकिन उसके बाद सम्पूर्ण घटनाक्रम पर मैं विस्तृत विचार नहीं रखना चाहूँगा। उसके पश्चात् उत्तरांचल अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग

आयोग के परामर्श के उपरान्त पुनः 01 अगस्त, 2002 को भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को राज्य सरकार की संस्तुति भी भेजी थी जिसमें 'बंगाली समुदाय के नमःशूद्र, पोण्ड या पोद, माझी आदि जाति के ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है एवं जो वर्ष 1952 से दिनांक 25 मार्च, 1971 के बीच विस्थापित होकर उत्तरांचल में आए हैं, उत्तरांचल राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया जाए।' इस प्रकार की संस्तुति भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजी गयी।

अब वर्तमान परिदृश्य जिसका जिक्र सम्मानित सदस्यों ने किया। ये भावना श्रीमन्, हमारे दल की और हमारे सहयोगी दल की है और इसी भावना को अवगत करते हुए, इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए, जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर को नमःशूद्र, पोण्ड या पोद, माझी बंगाली विस्थापित समुदायों को एथनोग्राफिक सर्वेक्षण पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय से कराकर सर्वेक्षण रिपोर्ट, विशिष्ट संस्तुति एवं सहायक सामग्री सहित समुचित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने हेतु रु0 1.50 लाख की धनराशि शासनादेश दिनांक 02 मार्च, 2006 द्वारा अवमुक्त की गई है। इस धनराशि के माध्यम से जिलाधिकारी अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करेंगे और सरकार को प्रेषित करेंगे। जिसके माध्यम से विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत सरकार को उपलब्ध कराई जा सके। सरकार इस विषय पर गम्भीर है।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए यथाशीघ्र इस रिपोर्ट को भारत सरकार को प्रेषित करने का प्रयास करेंगे और अब इस विषय पर सम्बन्धित माननीय सदस्यों की जिज्ञासा समाप्त हो गयी होंगी। इसलिए अच्छा होता कि वे अपनी इस सूचना को स्वयं आग्रह कर देते कि इसे निरस्त कर दिया जाए, नहीं तो मान्यवर, आपके माध्यम से आपके विचारार्थ इस सूचना को निरस्त करने का आग्रह करता हूँ।

श्री नारायण पाल—

मान्यवर, 3 दिसम्बर, 2001 को संकल्प पारित किया गया और 1 अगस्त, 2002 को इसकी अनुशंसा की गयी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ लेकिन हम सोचते हैं कि इस पर व्यवहारिक रूप से कुछ काम हो। जब भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हल्द्वानी आये थे तो उन्होंने 90 दिन में बंगाली समाज की जाति को शामिल करने की बात कही थी और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो बी0जे0पी0 का घोषणा पत्र था और कॉंग्रेस का घोषणा पत्र .... ।

श्री अध्यक्ष—

मैं चर्चा की इजाजत नहीं देता हूँ।

श्री नारायण पाल–

सबके घोषणा पत्र में अनुसूचित जाति को शामिल करने की बात हमेशा होती रही है। सात साल में जब से उत्तरांचल का निर्माण हुआ उसके बाद से घोषणा पत्र में उसको शामिल करने की बात हमेशा होती रही है और यह सबको मालूम है कि भारत सरकार से इसका निर्णय होना है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि इसमें अपेक्षित कार्यवाही हो ताकि बंगाली समाज का भला हो सके।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, स्पष्ट आश्वासन आ गया कि इस पर यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी और रु0 1.50 लाख जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर को दे दिया गया है जिससे वे विशिष्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे और भारत सरकार को भेजेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय नारायण पाल जी, माननीय प्रेमानन्द महाजन जी एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूँ।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपने मेरी सूचना को नियम–58 में सुनने के लिए जो विनिश्चिय दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से प्रदेश के विभिन्न मदों में धन आवंटित किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उस धन का आवंटन जो किया गया था, उसमें चुनाव के समय पर कुछ जगह पर वह धन आवंटित नहीं हुआ, जिसके चेक विभिन्न जगहों पर जिलाधिकारियों के पास पहुँच गये, विभिन्न जगहों पर वह चेक लाभार्थियों तक पहुँच गये जिलाधिकारी के माध्यम से। लेकिन आज तक उन जरूरतमंद व्यक्तियों के, लाभार्थियों के उन चेकों को रोक दिया गया है, उनको निर्गत करने से रोक दिया गया है और यह बहुत गम्भीर विषय है। यह विषय किसी एक दल का नहीं या किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, क्योंकि जो विवेकाधीन कोष का पैसा दिया गया, वह किसी एक दल को नहीं मिला, किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं मिला। सभी लोग लाभान्वित हुए, उसे लोग किस रूप में लेते यह अलग बात है। लेकिन आज जो रोक शासन द्वारा लगा दी गई है इससे जो जरूरतमंद लाभार्थी हैं उनमें दुःख और निराशा का वातावरण बन गया है।

बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के उन कष्टों से जूझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। जिनको चेक मिलना था जिनका पैसा मिलना था, आज उनके सामने समस्या खड़ी हो गयी। वह अपना किस तरह से

इलाज करायें, यह गम्भीर समस्या पूरे प्रदेश में पैदा हो गई है और वो आशान्वित
थे कि ये पैसा हमको मिल जाएगा और इससे हम अपना उचित इलाज करा पाएंगे,
लेकिन यह रोक लगाकर निराशा के भाव पैदा कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ
कि यह ऐसा निर्णय हो गया है जिससे हमारे यहाँ के गरीब, निसहाय लोग थे उन
लोगों में ऐसा भाव पैदा हो गया है कि इस सरकार ने यह क्या कदम उठा दिया है।
तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसा कदम जो सरकार द्वारा उठाया
गया है यह बहुत लोगों के हित का नहीं है, इससे लोगों का बहुत बड़ा अहित हो
रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार इस मामले में अविलम्ब निर्णय ले और यह जो
रोक लगाई गई है उसे हटाये नहीं तो बहुत गरीब जनता और इन लाभार्थियों को
बहुत बड़ा नुकसान होगा।

*श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, यह बड़ा अहम मुद्दा है, मैं माननीय दिनेश अग्रवाल की बातों से
सहमत होता हूँ कि यह दुर्भाग्य है कि जिन लोगों के लिए विवेकाधीन कोष दिया
गया है, राहत कोष दिया।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना नियम–58 के अन्तर्गत दी गई है, फिर उसमें नहीं बोलने
दिया जायेगा। आप इसमें बोलें या उसमें बोलें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल जी ने बहुत गम्भीर
विषय उठाया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से जो धनराशि प्रदेश
के जरूरतमन्द लोगों के लिए स्वीकृत हुई थी, जिसमें बहुत सारे निर्धन परिवार थे,
लड़कियों की शादी के लिए, इलाज के लिए और अचानक उस पर जो शासन के द्वारा
रोक लगा दी गई है, मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि राजनीतिक
पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय नहीं लिये जायें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री कोई भी
रहे, माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष माननीय मुख्यमंत्री की हैसियत से स्वीकृत
हुआ है। और सरकार बदलने के बाद अगर जनहित के कार्यों पर राजनीति से प्रेरित
होकर और राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय लिये जायेंगे तो यह प्रदेश
के हित में नहीं है। मान्यवर, क्योंकि सरकारें आती और जाती हैं। मान्यवर, यदि हर
सरकार एक सरकार के द्वारा किये गये जनहित के कार्यों पर रोक लगायेगी तो इससे
हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे, दूसरी सरकार आयेगी, वह नया रास्ता तय करेगी
और आगे बढ़ेगी और धन का अपव्यय होगा और इसमें पूरे प्रदेश का विकास
सम्भव नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर राजनीतिक भावनाओं से ग्रसित होकर निर्णय नहीं लेना चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय नेता प्रतिपक्ष इस बात को बार–बार कहते हैं कि "मैं छात्र राजनीति से आया हूँ।" मान्यवर, जो छात्र राजनीति का स्वरूप यहां पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। निश्चित रूप से हम लोग बार–बार डरने .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ऐसी उनकी कोई मंशा नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, ऐसी मंशा तो नहीं है, लेकिन अपने–आप डरने लगे तो क्या करें?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, 29 दिसम्बर 2006 को राज्य में आदर्श आचार संहिता स्थापित हुई और चूंकि आदर्श आचार संहिता लग जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य जिससे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता हो, वह चुनाव आयोग द्वारा प्रतिबंधित कर दिया है और उस प्रतिबन्ध के चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष पर भी प्रतिबन्ध लगा। यह सरकार ने नहीं लगाया, यह चुनाव आयोग ने लगाया और इस प्रतिबन्ध के कारण ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई कि अनेकों जनपदों और जिलाधिकारियों के पास विवेकाधीन कोष के धनराशि के ड्राफ्ट और लम्बी–लम्बी सूचियाँ वहाँ वर्तमान में मौजूद हैं और जब यह सरकार गठित हुई तो सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से ऐसी सभी धनराशि जिसका आहरण लाभार्थियों द्वारा नहीं किया गया हो और जिसका वितरण नहीं किया गया हो, ऐसी सभी धनराशि और अभ्यर्थियों का परीक्षण करा लिया जाय। चूंकि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, इसके वितरण की एक प्रक्रिया है, उसके लिए एक नियमावली बनी है और जिसके आधार पर लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से धनराशि दी जाती है विगत पाँच वर्षों के दृष्टांत हैं। अनेकों प्रकरण विभिन्न माध्यमों से, जनता के माध्यम से सामने आये, जिसमें यह कहा गया, वह शिकायतें की गयीं कि पूरे राज्य की जनता के सामने संशय का वातावरण था कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इस विवेकाधीन कोष को खुले हाथों से लुटाया गया, ऐसा संशय पूरे उत्तराखण्ड राज्य की जनता के मध्य बना हुआ था .... (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय। .... (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, यह जनता के बीच में संदेश है। .... (व्यवधान)

मान्यवर, अल्मोड़ा जिले के अन्दर माननीय मुख्यमंत्री जी के ओ०एस०डी० और उनकी पत्नी विवेकाधीन कोष के दुरूपयोग के मामले में जेल चल गये। (मेजों की थपथपाहट) (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी और प्रकाश पंत जी ने जो कहा, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं तो आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से अब तक किन–किन की संस्तुति के आधार पर इस प्रदेश में धन आवंटित किया गया, उसको जारी कर दिया जाय। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह तो होना ही चाहिए। लेकिन इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हमने जांच के लिए मना नहीं किया है। (व्यवधान)

*श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, इसमें जांच भी होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा नहीं हो रही है। दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से सुन लें कि यह चर्चा नहीं हो रही है। ग्राह्यता पर जिनको बोलने की इजाजत दी गयी है, वही बोलेंगे, और नहीं बोलेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार का सुस्पष्ट मत है कि विवेकाधीन कोष की जितनी भी धनराशि आचार संहिता लगने के आस–पास निर्गत की गई थी।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, उस आस–पास की कोई सीमा है?

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आस–पास की कोई सीमा होनी चाहिए। एक हफ्ते पहले, दस दिन पहले या महीना भर पहले।

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, सीमा मैं बता रहा हूँ। जिस धनराशि को लाभार्थी द्वारा आहरित नहीं किया गया।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आहरित कैसे करेगा?

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, जिसको चैक मिल गया उसने पैसा जेब में डाल लिया। वह आहरण है और जिस धनराशि के चैक अभी भी पैण्डिंग हैं, श्रीमन्, जिलाधिकारियों के यहाँ या माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में, इन सभी प्रकरणों पर जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की नियमावली है, उसके अनुरूप अगर निर्गत किये गये होंगे तो निश्चित रूप से उनको निर्गत किया जाएगा। श्रीमन्, हम किसी लाभार्थी का पैसा रोकना नहीं चाहते। यह सरकार का कोई मन्तव्य नहीं है लेकिन इन सभी प्रकरणों का परीक्षण हो जाए और उसके पश्चात् वह धनराशि जो ठीक होगी या जो नियमावली के अनुरूप होगी, उसको निर्गत किया जाएगा। श्रीमन्, ऐसा सरकार की ओर से मुझे कहना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय दिनेश अग्रवाल जी, माननीय हरक सिंह रावत जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अब हम उठते हैं, अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 3.00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री गोपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा उत्तराखण्ड राज्य जो है, वह तीर्थाटन और पर्यटन के लिए मशहूर है और देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक

प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं और यह हमारे राज्य के रोजगार और व्यवसाय से भी जुड़ा है। हम उनकी कितनी सुरक्षा कर सकते हैं, यह एक विचारणीय विषय है। मान्यवर, पूर्णागिरी धाम हमारे प्रदेश का एक मुख्य तीर्थ स्थल है और दूर-दूर से लोग यहाँ आते हैं। यह दिनांक 07-03-2007 का मामला है, जब उत्तराखण्ड के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माँ पूर्णागिरी के दर्शन कर कानपुर, उत्तर प्रदेश के विनय कुमार पुत्र श्री बनारसी लाल एवं उनके साथ अन्य 22-23 श्रद्धालु जिसमें महिला, पुरुष एवं जवान लड़कियां अपने घर जा रहे थे।

दिन के लगभग 3 बजे कुछ असामाजिक तत्व उनके साथ आई जवान लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने लगे। जब विनय कुमार आदि ने उन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ से मना किया तो उन बदमाशों ने तीर्थ यात्रियों को लात-घूसों से बुरी तरह मारा और पीटा, जिससे उनको काफी चोटें आई और उनकी जवान लड़कियों के कपड़े फाड़ दिये गये। चोटिल श्रद्धालुओं को खटीमा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से उत्तराखण्ड में बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों पर बुरा प्रभाव पड़ा है और उत्तराखण्ड की इस देवभूमि का सिर शर्म से झुक गया है तथा राज्य की छवि धूमिल हुई है। इस शर्मनाक घटना की जितनी भी निन्दा की जाय वह कम है। मान्यवर, इस मामले पर नियम-58 पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

कृपया शाह्यता पर अपने विचार रखें।

श्री गोपाल सिंह-

मान्यवर, यह विषय बहुत अविलम्बनीय और लोकमहत्व का है, इसलिए मैं इस पर सदन में चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक अति लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। श्रीमन्, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि 7 मार्च को श्री विनय कुमार पुत्र श्री बनारसी लाल, निवासी कानपुर द्वारा खटीमा क्षेत्र में सूचना दी गई कि 7 मार्च, 2007 को वह पूर्णागिरी दर्शन करने के पश्चात् टनकपुर से ट्रेन से वापस जा रहे थे और उनके साथ उनके परिवार के बच्चे, महिलायें और बुजुर्गों समेत कुल 22 लोग सवार थे। उसी डिब्बे में टनकपुर से 5-6 युवक भी सवार हुये और उन्होंने डिब्बे में बैठी हुई महिलाओं के साथ छेड़खानी प्रारम्भ कर दी।

मान्यवर, और विनय कुमार ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि उनके मना करने पर रेलवे स्टेशन खटीमा में उनके साथ गाली-गलौज और

मारपीट भी की गयी और जिसमें राजेश कुमार, गुड्डू और विनय कुमार को चोटें आयीं। इस सूचना पर थाना खटीमा में तत्काल अभियुक्त गिरीश चन्द्र भट्ट, जितेन्द्र सिंह आदि व 9–10 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या– निल/2007 धारा– 147/148/354/323/504 भारतीय दण्ड विधान, सम्बन्धित थाना जी0आर0पी0 काठगोदाम में अंकित किया गया।

चूँकि घटना ट्रेन में घटित हुई इसलिए घटना की विवेचना थाना जी0आर0पी0, काठगोदाम द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान नामजद पाँच अभियुक्तों में से अभियुक्त जितेन्द्र सिंह एवं खीम सिंह भण्डारी निवासी कंजाबाग, थाना खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर को घटना के दूसरे ही दिन 8 मार्च, 2007 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सघन प्रयास किये जा रहे हैं और शीघ्र ही वे भी गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पर माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन यह घटना 7 मार्च की है और आज काफी विलम्ब से यह घटना यहाँ उठायी गयी है। यह ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके कारण सम्पूर्ण प्रदेश का कार्य अव्यवस्थित हो रहा हो। इसलिए यह सूचना ग्राह्य करने योग्य नहीं है। आपने ग्राह्यता पर सुना।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इसका क्या मतलब हुआ कि जब घटना हो तब सदन बुलाया जाये।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, नियम–58 के अन्तर्गत घटना तात्कालिक होनी चाहिए। इसे आप अग्राह्य कर दें।

श्री अध्यक्ष–

बात आ गई है, गिरफ्तारी हो गयी है।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गोपाल सिंह राणा जी और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, एक बड़ी घटना घटित हुई है। बी0एच0ई0एल0 में 6–7 साल से एक मस्जिद स्थापित है, वहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं। आज कुछ साम्प्रदायिक लोगों ने वहाँ जाने से मना किया और जब पीड़ित लोग थाने गये तो उन्हें यह कहकर वहाँ से चलता कर दिया गया कि आप किस सम्प्रदाय के हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप किस नियम के तहत इसे उठा रहे हैं?

श्री शहजाद–

मान्यवर, नियम–310 में। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। पुलिस उनके खिलाफ कार्यवाही करने से मना कर रही है। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों द्वारा अपनी बात एक साथ कहने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है। मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। यहाँ इस अभिभाषण पर चर्चा का क्या महत्व है। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, एक धर्म विशेष के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उनको रोकना चाहिए, यह एक गम्भीर विषय है। जब इस सरकार की स्थापना हुई, शपथ ग्रहण समारोह में कुछ धर्मात्माओं का मंच पर होना, इससे अल्पसंख्यक भाईयों के मन में डर की भावना हो गई है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, 6 माननीय सदस्यों ने लिख कर दिया है .... (घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर प्रकरण है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज की सारी कार्यवाही को रोककर इस प्रकरण पर चर्चा करायी जाये।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यहाँ पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि यह नोटिस मुझे माननीय सदस्य के माध्यम से प्राप्त हुई है। चूँकि प्रक्रिया यह होती है कि माननीय अध्यक्ष जी को नोटिस भेजते। 310 की नोटिस माननीय अध्यक्ष जी के पास आती और उसके माध्यम से यह प्रचालित होता तो अच्छा होता। यह जो सूचना, नोटिस माननीय सदस्य ने यहाँ रखी, जो नोटिस है उसमें दिनांक का उल्लेख नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आज लिखा है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसका संज्ञान लेते हुए इस पर तत्काल विस्तृत विवरण हम प्राप्त कर लेते हैं। इसमें हम निश्चित रूप से कार्यवाही का आश्वासन देते हैं।

श्री शहजाद–

मान्यवर, इसमें एक धर्म विशेष के लोगों को आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सदन उठने से पहले सारी घटना की सूचना हम सदन के सामने रख देंगे।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण विषय पर नियम–58 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जनपद–हरिद्वार के अन्तर्गत जिन लोगों को पूर्व में स्थापित या बसाया गया था, उसमें से सर्वप्रथम हरिद्वार जनपद के अन्तर्गत आने वाले अहमदपुर ग्रान्ट व डेरा के आसपास बसी अनेक आबादियों पर सिंचाई विभाग द्वारा उन लोगों पर बुलडोजर चलाकर उजाडा जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूँगा कि जो लोग वहाँ पर स्थापित हैं, उन लोगों को किस–किस

रूप में सरकार आवास देने के लिए प्रयासरत हैं और उनके बच्चों को हरिद्वार जिले में ही स्थापित करने के कोई दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं या कहीं अन्य स्थानों पर बसाने का प्रयास किया गया? मान्यवर, उस क्षेत्र में लगभग 05 हजार लोग निवास कर रहे हैं।

मान्यवर, इन परिवारों के अधिकार छीने जा रहे हैं। जबकि सरकार द्वारा वर्ष 2003 से जिला अधिकारी के माध्यम से राशन कार्ड के अनुसार वहाँ विस्थापित किया गया था। मान्यवर, उन परिवारों के बच्चों पर लाठियां चलायी जा रही हैं, वे सुरक्षित नहीं हैं। मान्यवर, वहाँ पर आम जनता का जीना कठिन हो चुका है और उनके बच्चों पर पशुओं की तरह लट्ठे चलाये जा रहे हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उन परिवारों के प्रति अन्याय सहन नहीं किया जा सकता हैं मान्यवर, भारत सरकार की ओर से गरीब परिवार के लोगों के लिये जो इन्दिरा आवास योजना दी जाती है उसके अन्तर्गत इन परिवार के लोगों को भी आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जाय जिससे उन पर हो रहे अन्याय को रोकने का प्रयास हो सके। मेरा कहना है कि यदि इस परिक्षेत्र में पाँच सौ लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं की जाती है तो कम से कम सौ–दो सौ लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध करा दी जाय। बी0एच0ई0एल0 में भी इसी प्रकार से जो पूर्व से बसाये लोग थे, जी0एम0 कॉलोनी, केशव कुन्ज कॉलोनी, जोटोवाला बाग आदि लोगों के परिवारों की बस्तियों को भी प्रशासन द्वारा उजाड़ने के लिए नोटिस दे दिये गये हैं और प्रशासन द्वारा कभी भी बुलडोजर चलवाया जा सकता है और वर्तमान में यहाँ रह रहे हजारों लोग आज भी बिना छत के खुले आसमान के नीचे अपना जीवन बसर पशुओं की तरह करने को मजबूर हैं। मान्यवर, आज उनकी हालत यह है कि आये दिन इन लोगों का स्वास्थ्य भी खराब रहता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि इनके स्वास्थ्य के लिए भी कोई समुचित व्यवस्था की जाय। मान्यवर, 50–50 हजार रु0 लेकर प्लाट दिए जा रहे हैं। मान्यवर, गरीब आदमी कहाँ से पैसे लाए?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, माननीय सदस्य बसपा द्वारा सम्मानित सदन के समक्ष कार्यस्थगन सूचना के माध्यम से रखा है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि जनपद हरिद्वार में विभिन्न बस्तियों को शासन–प्रशासन द्वारा उजाड़े जाने, उन्हें बेघर करने, हरिद्वार स्थित भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड में रहने वाले लोगों के आज भी खुले आसमान के नीचे पशुओं की तरह जीवन बसर करने, इसके अतिरिक्त बी0एच0ई0एल0 में शेष बची जी0एम0 कॉलोनी, केशवकुंज कॉलोनी व अन्य बस्तियों को उजाड़ने हेतु नोटिस दिये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि औद्योगिक विकास

अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा 39.05 एकड़ बी0एच0ई0एल0 की भूमि विकसित करने हेतु हरिद्वार विकास प्राधिकरण को सौंपी थी। जिस पर हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाट विकसित किए जा रहे हैं। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2003 तक बी0एच0ई0एल0 की भूमि पर अवैध रूप से काबिज कुछ व्यक्तियों को कुछ शर्तों के अनुसार पुनर्वासित किया जाना था।

उक्त निर्णय के अनुसार बी0एच0ई0एल0 द्वारा गंगानगर एवं पंजाबी बाग कॉलोनी के पात्र विस्थापितों को पुनर्वासित किया जा चुका है तथा उक्त दोनों कॉलोनियों को खाली कर दिया गया है। अन्य कॉलोनियों के पात्र विस्थापितों को पुनर्वासित करने की प्रक्रिया गतिमान है। जो व्यक्ति पूर्व की निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करते, उन्हें पुनर्वासित नहीं किया गया है। बी0एच0ई0एल0 द्वारा प्रत्येक कॉलोनी के पात्र व्यक्तियों को पुनर्वासित करने के उपरान्त ही खाली करने की कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, जैसा कि आपने अपने नोटिस में दिया है कि सिंचाई विभाग द्वारा अहमदपुर ग्रांट एवं धौलूहेरा के आसपास बसी अनेक आबादियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सिंचाई विभाग द्वारा वर्तमान में इस पर कोई भी कार्यवाही न तो गतिमान है और न ही कोई योजना विचाराधीन है। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि औद्योगिक विकास के लिए सिडकुल को भूमि उपलब्ध करायी जानी थी, जिसके अन्तर्गत बी0एच0ई0एल0 द्वारा अवैध कॉलोनियों के कब्जा हटाए जाने के लिए प्रशासन से शान्ति व्यवस्था हेतु सहयोग मांगे जाने पर ही प्रशासन द्वारा केवल प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। पात्र विस्थापितों को प्लाटों का आवंटन बी0एच0ई0एल0 द्वारा ही किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा मात्र शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कार्यवाही की गई है।

श्री शहजाद–

अहमदपुर ग्रांट को उजाड़ा नहीं जायेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य हमें विस्तार से जानकारी दे दें। सरकार की मंशा होगी कि किसी को अनावश्यक परेशान नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 के अन्दर ग्राह्यता पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको कोटि–कोटि धन्यवाद। मान्यवर, यह गम्भीर प्रकरण है। हरिद्वार

जनपद में वे क्षेत्र, जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बनाये जा रहे हैं, जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। जो जमीन 5 लाख रुपये बीघे बेची जाती है शीघ्र ही उसको अगले 2–3 दिन बाद 10 लाख रुपये बीघे बेच दी जाती है। इसी वजह से जमीनों की खरीददारी में बेईमानी हो रही है। इस कारण से इसमें बड़े–बड़े बदमाशों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिनका आतंक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और हरिद्वार के बड़े बदमाश व भू–माफियों से मिलकर स्थानीय पुलिस का सहयोग लेकर करोड़ों का माल कमा रहे हैं। गरीब किसानों का शोषण कर रहे हैं। मान्यवर, इसी का प्रमाण है कि निर्मला देवी विधवा की हत्या 11–3–07 की रात्रि 10 बजे होती है। थाना पुलिस 9 घण्टे बाद सुबह 7.30 बजे रिपोर्ट दर्ज करती है। कितनी संवेदनशील है थाना पुलिस हरिद्वार की, यह इसी से अन्दाजा लगता है कि दलित महिला की हत्या हुए पाँच दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी किस्म के नामजद बदमाशों की गिरफ्तारी तक नहीं होती है।

मान्यवर, मैं इस हत्या के पीछे कुछ कारणों को उजागर करना जरूरी समझता हूँ। मान्यवर, मृतका का पिता हरचन्द अपनी साढ़े बारह बीघे जमीन 10 लाख रुपये बीघे के हिसाब से बेचकर एग्रीमेन्ट कर देता है। जगदीश ने उस जमीन का एग्रीमेन्ट अन्य व्यक्तियों के नाम कर दिया था तथा 30 लाख रुपये कुल रकम 25 प्रतिशत हरचन्द को दिये जाते हैं। हरचन्द दिनांक 19–7–06 को बीस लाख रुपये अपने खाते में जमा कर देता है। 5 लाख रुपये अपने सगे लड़के हुकम व उसकी पत्नी अमरछड़ी को देता है। मृतका, जो हरचन्द की सगी बेटी थी, विधवा होने के कारण अपने पिता के साथ रहती थी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मृतका की भाभी अमरछड़ी को यह एहसास हुआ कि सारा धन हरचन्द अपनी विधवा बेटी को देगा। मृतका की हत्या हो जाती है। जिससे अमरछड़ी के मौसेरे भाई बिन्दर बेलड़ा को तथा उसके साथी मोतीराम को, जो अपराधी किस्म का है, नामजद किया जाता है, साथ जगदीश के भाई राजा व अन्य को भी नामजद किया जाता है। मान्यवर, पुलिस पर सन्देह इसलिए किया जा रहा है कि 1 मार्च को हरचन्द थाने में तहरीर देकर जगदीश को पकड़ा देता है। थाना पुलिस व थानाध्यक्ष जगदीश पर जोर देता है कि तुम अपना एग्रीमेन्ट खारिज करवा लो नहीं तो तुम्हें जेल भेज दूँगा। जगदीश कहता है मैं जमीन आगे चौड़ी करके प्रशान्त गोयल, शिव चरण, सुभाष चन्द आम्रपाल सिंह को बेच रहा हूँ, उन्हीं से रुपये लेकर मैंने हरचन्द को दिये हैं। जो हरचन्द के खाते में जमा हैं। थानाध्यक्ष कहता है उससे मैं निपट लूँगा।

मान्यवर, मैं प्रकरण की गम्भीरता से आपको अवगत इसलिए करा रहा हूँ कि थाना पुलिस ने एक भी दिन अपराधी प्रवृत्ति के नामजद बदमाश बिन्दर व मोती को पकड़ने की कोशिश नहीं की। केवल उन व्यक्तियों को परेशान करने के लिए थाने में बिठा रखते हैं, जिनसे निपटने की बात थानाध्यक्ष ने पूर्व में ही कह दी थी।

मान्यवर, दलित महिला की हत्या की गयी उसके अपराधियों को पकड़ने में थाना पुलिस कोई रुचि नहीं ले रही है, इनकी रुचि है कि साढ़े बारह बीघे जमीन का एग्रीमेन्ट खारिज हो जाये और जमीन उनके चहेते, जिनके साथ इनकी साझेदारी है, उन्हें मिल जाये, जिससे करोड़ों रुपये कमाये जा सकें। इसलिए जिन व्यक्तियों ने अपनी कमाई से इकट्ठा किये धन को हरचन्द को 30 लाख दे रखे हैं, उन्हें थाने में बिठा कर उनका उत्पीड़न शोषण कर रहे हैं। मान्यवर, सच्चे हत्यारे जेल जाने चाहिए, झूठे व्यक्तियों का उत्पीड़न बन्द हो। दलित महिला के सच्चे हत्यारे को तत्काल पकड़ा जाये। अपराधी किस्म के भू-माफिया पकड़े जायें। जो इस केस में अपराधी किस्म के भू-माफिया व पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए।

मान्यवर, सिर्फ एक केस नहीं अन्य अनेकों केस हैं जिसमें पुलिस और भू-माफिया मिलकर गरीब किसानों को थाने में बिठाकर कम दामों में जबरदस्ती जमीन खरीद कर करोड़ों रुपये अवैध रूप से कमा रहे हैं। ऐसा केस थाना पुलिस भगवानपुर में तीन महीने पहले हुआ। रजिस्ट्रार को भी गाड़ी में बिठाकर भगवानपुर लाकर रजिस्ट्री बैनामा किया गया है। गरीब व्यक्ति शिकायत नहीं कर सकता, अपनी जान का खतरा नहीं ले सकता। आज पूरे क्षेत्र में इस केस की चर्चा के साथ अनेकों केसों में थाना पुलिस भगवानपुर और भू-माफिया मिलकर शोषण कर रहे हैं। यदि आप अपने स्तर से जाँच करायेंगे तो स्वतः पता चल जायेगा कि थाना पुलिस किसी माफिया की गाड़ी को अपने व्यक्तिगत कार्यों में प्रयोग करता है, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर सरकार से उनके खिलाफ कार्यवाही करने की माँग करता हूँ।

मान्यवर, हरिद्वार जनपद में जो घटना हुई, मैं आपसे माँग करता हूँ कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाय। मान्यवर, जो वहाँ पर अधिकारी नियुक्त हैं, उनकी जाँच हो। मान्यवर, ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। इसलिए मैं ऐसी घटनाओं पर भी प्रकाश डालना चाहता हूँ कि वहाँ पर भू-माफिया पुलिस से मिले हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपने जिस घटना का उल्लेख किया था, वह आ गयी है। नियम-58 के अन्तर्गत आप दूसरा प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। आपकी सूचना आ गयी है।

श्री सुरेन्द्र राकेश-

मान्यवर, इस प्रकरण की थाना स्तर पर कोई जाँच नहीं हो सकती है, वहाँ की पुलिस, थानेदार से मिली है। 30 लाख रुपये उस किसान को दिये हैं। इसकी जाँच सी0बी0सी0आई0डी0 से की जाय। हरिद्वार जनपद में थानेदार भू-माफियाओं

से मिलकर गड़बड़ करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मेरी बात सुनी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इस सदन में नया सदस्य हूँ, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, माननीय विधायक भगवानपुर, माननीय सुरेन्द्र राकेश जी ने अपनी सूचना की ग्राह्यता पर बोलते हुए जिस विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है, उसमें जनपद हरिद्वार के थाना कोतवाली के अन्तर्गत ग्राम सलेमपुर महमूद में दिनांक 11 मार्च की रात्रि में विधवा श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री हरचन्द की हत्या कर दी गई। इस घटना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 12 मार्च, 2007 को वादी श्री सुनील कुमार पुत्र श्यामसिंह निवासी ग्राम सलेमपुर थाना रानीपुर हरिद्वार ने सूचना अंकित करायी कि गांव के पल्टूराम, जगदीश मास्टर, फूलसिंह ने उनके नाना से जमीन का एग्रीमेन्ट 25 लाख रु0 देकर कराया था। परन्तु उनकी माँ श्रीमती निर्मला व उनकी नानी ने कहा था कि उन्हें जमीन नहीं बेचनी है तथा पैसे वापस लेने हेतु इनसे कहा था, परन्तु वह लोग वापस पैसे लेने के लिए तैयार नहीं थे। मान्यवर, दिनांक 11 मार्च, 2007 को रात्रि में जब उसकी माँ श्रीमती निर्मला देवी, उसकी मौसी व नानी घर में सोने की तैयारी कर रहे थे तो उस समय रात्रि लगभग 10 बजे मोती पुत्र स्वरूप, रमेश पुत्र फुल्लू एवं राजा पुत्र फूलसिंह निवासी सलेमपुर थाना रानीपुर, बिन्दर निवासी बेलड़ा एवं इनके 5-6 साथी अज्ञात घर में घुस आये और जमीन के पैसे मांगने लगे तथा गोली मारने की धमकी दी। मान्यवर, वादी के अनुसार उसकी माँ ने कहा कि वह पैसे देती है, उस पर इन लोगों ने उसकी माँ को दूसरे कमरे में ले जाकर गोली मार दी तथा उसकी नानी व मौसी को कमरे में बन्द कर दिया। उसकी नानी व मौसी द्वारा शोर मचाने पर भी कोई उनकी मदद को नहीं आया।

मान्यवर, इस सूचना के आधार पर थाना रानीपुर में मु0अ0सं0 56/2007 धारा 147/452/302 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही कर नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु रुड़की, पुरकाजी, (मु0नगर) एवं सलेमपुर आदि में संभावित छिपने के स्थानों पर निरन्तर दबिश दी जा रही हैं। परन्तु अभी तक मुल्जिम फरार हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सघन प्रयास जारी हैं। अब तक विवेचना में जमीन का विवाद परिलक्षित हुआ है। प्रकरण में गिरफ्तारी के सघन प्रयास किये जा रहे हैं और अब तक की विवेचना से यह स्पष्ट हुआ है। जैसा कि माननीय सदस्य ने भी अपनी ग्राह्यता की सूचना पर बोलते हुए बल दिया है।

श्रीमन्, यह विवाद, जमीन विवाद परिलक्षित होता है और स्थानीय पुलिस पूरी तरह से इस विवाद से जुड़े हुए हर पहलू को ध्यान में रख कर अन्जाम दे रही

है और इसके आधार पर उम्मीद है कि यह प्रकरण शीघ्र ही खुल जाएगा और अपराधी जेल की सींखचों के पीछे होंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। (व्यवधान)

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत्त) एवं मतदान

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, 3 महीने से सिडकुल, पंतनगर में आन्दोलन चल रहा है।

श्री अध्यक्ष–

शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

माननीय रणजीत रावत जी, आप महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी चर्चा जारी रखें।

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। जैसा कि मैंने परसों भी कहा था कि सपने देखना और दिखाना हर राजनीतिक दल के कार्य में सम्मिलित है। लेकिन जिस दल को नया–नया जनादेश प्राप्त हुआ हो, उसे तो सपनों का पिटारा लोगों को दिखाने का अधिकार है। यह अभिभाषण भी सत्ताधारी लोगों के सपनों का पिटारा ही है। मैं इनको अपनी सद्भावना देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये इस सपने को पूरा करके दिखाएंगे। मान्यवर, इसमें पर्वतीय कृषि पर चिन्ता प्रकट की गयी है, इसलिए मैं इसकी सराहना करता हूँ लेकिन इसमें कहा गया है कि वानिकी, औद्यानिकी और फलों की खेती द्वारा पर्वतीय खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे और सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की मान्यता प्रदान करके गोविन्द बल्लभ पन्त विश्वविद्यालय को हाईटैक बनाने की कोशिश की गयी है। लेकिन मान्यवर, आज जो पर्वतीय क्षेत्र का किसान है, उसकी जो पीड़ा है, वह नहीं है कि उसे परम्परागत खेती से कुछ नहीं मिल रहा है। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके आता हूँ, वहाँ पर अदरक और मिर्च की इतनी पैदावार है कि किसान अच्छी तरह से गुजारा कर सकता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है, जंगली जानवर और सबसे ज्यादा नुकसान जंगली सुअर से होता है। हाईटैक खेती कर लें, पॉली हाऊस बना लें, जड़ी–बूटी की खेती कर लें लेकिन जंगली सुअर एक रात में आकर 6 महीने की

मेहनत पर पानी फेर देते हैं। मान्यवर, माननीय कण्डारी जी के शब्दों में कहना चाहूँगा कि कितना अच्छा होता कि अगर इस ओर भी ध्यान दिया गया होता।

श्री अध्यक्ष–

आपने पुरानी याद ताजा कर दी।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, खेती का नुकसान हो रहा है। मान्यवर, दो–चार ही सुझाव देना चाहता हूँ। इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए था कि जंगली जानवरों से खेतों को नुकसान हो रहा है, उसे कैसे रोका जाए। मान्यवर, हमारी सरकार ने सोलर फैंसिंग का काम शुरू किया था। कई क्षेत्रों में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान और जिला प्लान में गाँवों की सोलर फैंसिंग शुरू की गयी थी, उसके बारे में इस अभिभाषण में कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा खर्च करके इसे चालू किया जाय। क्योंकि हम कितने भी रोजगार के अवसर खोल दें, हम सरकारी ऑफिसों को ही पहाड़ की ओर नहीं ले जा पा रहे हैं। हर हाथ को जिसमें काम मिल सकता है, वह खेती है। जड़ी–बूटी की खेती करने, उद्यानिकी करने, फलों की खेती करने, फूलों की खेती करने से सुरक्षा नहीं होगी। इस प्रकार सुरक्षा की उम्मीद करना बेमानी होगा।

मान्यवर, इसके साथ ही इसमें एक बात और कही गई है कि "निर्धन और अनाथों के लिए रैन बसेरा का निर्माण किया जाना हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। गरीबों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी जायेगी, यह हमारी सरकार का संकल्प है।" मान्यवर, मेरा यह कहना है कि अभिभाषण में इन गरीबों को आर्थिक सहायता दिये जाने की बात कही जा रही है और आज जिन गरीब लोगों के पास आर्थिक सहायता के चैक पहुँच गये थे, उनको निरस्त किया जा रहा है, यह बात माननीय सदन के समक्ष पहले आ चुकी है। इसके अलावा मान्यवर, एक महत्वपूर्ण चीज जिसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, वह है पेयजल, पेयजल के लिए इस भाषण में कहा गया है कि "राज्य के प्रत्येक परिवार को वर्ष 2012 तक सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।"

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप अपनी बात को ही रखें।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, संकल्प 2012 का कर दिया गया, लक्ष्य 2012 का कर दिया गया, जब यह सरकार अपना बिस्तर समेट रही होगी। इसमें यदि लक्ष्य देना ही था तो इस

प्रकार से होना चाहिए था कि वर्ष 2008 में हम इतने गांवों को, 2009 में इतने गांवों में पेयजल की उपलब्धता कर देंगे, अगर इस प्रकार का संकल्प होता तो कितना अच्छा होता। मान्यवर, इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि समाज के हर वर्ग की बढ़ोत्तरी के लिए कार्य करेंगे, लेकिन एक वर्ग जो आज पीड़ित है और जिसे हम आज समाज में हर जगह देखते हैं, वह हैं वृद्ध व्यक्ति, सीनियर सिटीजन। लेकिन कहीं भी नहीं कहा गया कि हम प्रदेश में रहने वाले सभी वृद्धों को पेंशन देंगे। पिछली सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाया था, लेकिन यह सरकार उसी अवधारणा के साथ काम करेगी या नहीं, इसका कोई उल्लेख नहीं है।

मान्यवर, यह पेंशन उन्हीं वृद्धों को मिलती है, जिनके बच्चे अवयस्क हैं या जिनके बच्चे नहीं हैं। लेकिन यह पेंशन उनको भी मिलनी चाहिए, जिनके बच्चे तो हैं, लेकिन वह रोजगार में नहीं हैं और उनके पास ही खाने को नहीं है तो वह अपने माता पिता को क्या खिलायेंगे और अगर किसी के बच्चे रोजगार में भी हैं तो वह प्रदेश से बाहर इतनी दूर हैं कि माँ–बाप का वह हाल ही नहीं ले पाते हैं तो सहायता क्या करेंगे। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस प्रदेश में हर वृद्ध व्यक्ति को, जिसको आवश्यकता है उनको पेंशन दी जानी चाहिए।

मान्यवर, इसके अलावा आज संयुक्त परिवार की अवधारणा धीरे–धीरे समाप्त होती जा रही है, खास तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ लोगों को रोजगार के लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। मान्यवर, आज तो जोड़े भी इस कारण से टूट रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि हर ब्लॉक स्तर पर एक वृद्ध आश्रम की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जिसमें उनके रहने, खाने–पीने का प्रबन्ध हो।

मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार में जितनी भी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में कार्यों की स्वीकृति हुई थी, उस पर काम किया जायेगा, ऐसा मेरा मानना है। मान्यवर, आपके द्वारा सीमित समय दिया गया था और उसी समय में, मैं अपनी बात को पूरा करते हुये आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ओम गोपाल जी, परिसीमन पर कुछ कहना चाहते हैं, जब महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आप बोलेंगे तो उसमें इसे भी सम्मिलित कर लें।

राजस्व एवं भू–प्रबन्धन मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अभिभाषण पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। मैं इस बात के लिए भी आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी का भाषण हमको सुनने को मिला।

मान्यवर, रोजगार के बारे में सरकार ने अपनी चिन्ता जाहिर की है, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन कुछ बातों पर जिन पर मेरे दल की बात बहुत साफ है, उससे सदन को भी अवगत कराना चाहता हूँ और इस विश्वास और आग्रह के साथ कि उनको भी इस अभिभाषण में शामिल किया जायेगा, उन बातों को रखना चाह रहा हूँ। हमने उन पर चर्चा भी की थी साथ में बैठकर और कुछ बिन्दुओं पर जिन पर हम सब सहमत थे।

मान्यवर, वह इसमें नहीं आयी। मैं आग्रह कर रहा हूँ कि उन बिन्दुओं को इसमें सम्मिलित करने की कृपा करें। राजधानी के मसले पर यह बात हम सभी लोगों ने स्वीकारी थी कि कोई प्रशासनिक, आर्थिक कठिनाई यदि आयेगी तो उसको मिल बैठकर देखेंगे। यह पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ में हो यह हमारा मकसद था। यदि राजधानी पहाड़ में होगी तो पहाड़ों के विकास का खाका उनके दिमाग में आता रहेगा। मैं इतना ही कहकर इस बात को समाप्त कर रहा हूँ। यहाँ पर तमाम सम्मानित सदस्य बैठे हैं, हम इस पर विचार करेंगे। यदि कहीं कोई दिक्कत आयेगी तो उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। आप लोग हंसे मत। अगर मैं बोल भी दूँगा तो आप समर्थन नहीं करेंगे। (व्यवधान)

मैंने एक शब्द भी अभिभाषण पर नहीं बोला है। मेरी तरफ से कोई भी रूकावट की बात नहीं आयी है। परिसीमन के मुद्दे पर आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस राज्य का परिसीमन जो जनसंख्या के आधार पर तय हो रहा है जिसका गजट कल पटल पर रखा गया है, उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

जैसा कि अभी माननीय रणजीत सिंह जी ने कहा कि पहाड़ों से तेजी से पलायन हो रहा है, विभिन्न राज्यों में पलायन हो रहा है और पिछली सरकार जब राज्य में बनी थी तो सरकार ने जो मानक जनता के सामने प्रस्तुत किये उसमें यह बात साफ हो गयी कि राज्य बनने के बाद इस राज्य के अन्दर पलायन की जो स्थिति थी, उसमें 20 प्रतिशत इजाफा हुआ था। राज्य बनने के लिए जब हम लड़ रहे थे तो हमने एक सपना दिखाया था कि पलायन को हम रोकेंगे और नौजवानों को रोजगार देंगे और पहले से जो 60 लाख लोग बाहर जा चुके हैं, उनको वापस लायेंगे। परिसीमन एक महत्वपूर्ण बिन्दु है और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि मैदान के विकास की कीमत पर हम पहाड़ का विकास नहीं चाहते हैं और पहाड़ की कीमत पर मैदान का विकास भी नहीं चाहते हैं। यह सभी साथियों को समझना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम मिल बैठकर इस पर बात करेंगे। इसीलिए मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा। मैं चर्चा करना चाहता हूँ उन बिन्दुओं पर

जिन पर आपस में सहमति बनी थी। यह बात तय हुई थी कि हम लोग मिल करके हमारी जिस सम्पत्ति पर उत्तर प्रदेश काबिज है, उसे हम वापस लेंगे। यह शायद इसमें नहीं है। यह अज्ञानतावश या किसी कारणवश रह गया है तो इसे रखें।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी सम्पत्तियाँ हैं, जिनका बंटवारा नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, ये लोग सम्पत्ति लेना नहीं चाहते।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, मैं इस बात का उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारा जल पर कितना अधिकार है, जमीन पर कितना अधिकार है और जंगल पर कितना अधिकार है। पिछली सरकार में हमारा जो डेम बन रहा है, मैं टिहरी डेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुपारा डेम की बात कर रहा हूँ, उसमें ठेका अमर सिंह जी ने दिलाया। यह मैंने टेलीवीजिन पर देखा। डेम हमारे यहाँ बनेगा, हमारी धरती पर बनेगा, पानी भी हमारे यहाँ का है। मान्यवर, मैं सत्ता पक्ष के तमाम साथियों से आग्रह कर रहा हूँ कि जो कार्य पिछली सरकार द्वारा नहीं हुए हैं उनको हम पूरा करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) हम रोजगार की बातें करते हैं, पूरे राज्य की बात कर रहे हैं। मैं मूल निवास प्रमाण–पत्र की बात कर रहा हूँ चाहे वह धारचूला का हो या बद्रीनाथ का हो वह यहाँ का मूल निवासी है। हम नहीं चाहते कि वह स्थाई प्रमाण–पत्र के लिए गिड़गिड़ाये। क्या यह काफी नहीं है कि वह यहाँ का मूल निवासी है और यहाँ की परवरिश से जुड़ा है।

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि इसके लिए हमें एक मत होना चाहिए। स्थायी प्रमाण–पत्र के लिए भी हम लोगों को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति नौकरी यहाँ करता हो और मनीआर्डर दूसरे प्रान्त करता हो उन तमाम बातों पर गम्भीरता से विचार करना है कि किस व्यक्ति को स्थायी निवासी मानना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई आई0ए0एस0 बाहर से टेलीफोन करे कि हमारे चहेते को स्थायी प्रमाण–पत्र दे दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मान्यवर, इस पर हमारे सदन को एकमत होना चाहिए। जो यहाँ का रहने वाला है, जिसकी आस्था और समर्पण राज्य की सोच है उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसकी आस्था–निष्ठा इस राज्य के लिए है ही नहीं उसको स्थायी प्रमाण–पत्र देने से बचना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 371 की बात आती है, मैंने पढ़ा तो नहीं है, इसलिए मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। हमारे साथी ने कहा कि भू–माफिया द्वारा तमाम जमीन खरीदी जा

चुकी है, जो ये प्रदेश के बाहर के लोग हैं, उनकी गतिविधियाँ बढी हैं, इनकी ईमानदारी, निष्ठा, कोई देनदारी इस राज्य पर रहेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अनुरोध करूँगा कि ये कौन हैं? इसके लिए हमें एक कानून बनाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग मिल बैठकर इस राज्य के भविष्य को सवारें, सजायें और इस तरह से हम इस राज्य को आगे ले जा सकते हैं। हम लोग जीतकर आये हैं, हम अपनी जनता का बहुमत लेकर यहाँ पर आये हैं।

मान्यवर, राज्य में निवास प्रमाण-पत्र का हक उन लोगों को दिया जाना चाहिए, जो इस राज्य के निवासी हैं, जिससे राज्य की युवा शक्ति का दूसरे राज्य के लिए पलायन न हो। मान्यवर, इसके बारे में सभी माननीय सदस्यों ने सोचा भी होगा। मान्यवर, इस बारे में सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि आज उन लोगों को निवास प्रमाण-पत्र नहीं मिल रहा है जो लोग इस राज्य के मूल निवासी हैं और वास्तविक रूप से इसके हकदार हैं। मान्यवर, अभी तक राज्य ने कोई ऐसी नीति नहीं बनायी जिसके अन्तर्गत इस समस्या का निदान हो सके। मान्यवर, इस सम्बन्ध में सरकार को भी सोचना चाहिए और एक नई नीति बनानी चाहिए। मान्यवर, मेरी इस बात से शायद इस सदन में बैठे सभी माननीय सदस्य भी सहमत होंगे।

मान्यवर, आज इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा कि यह निवास प्रमाण-पत्र उन लोगों का बनाया जा रहा है, जो दूसरे राज्य में निवास कर रहे हैं। उन लोगों के लिये दिल्ली में बैठे अधिकारियों द्वारा फोन यहाँ के अधिकारियों के लिये किया जा रहा है, कि ये आदमी मेरा है देख लेना। इस प्रकार की व्यवस्था को हमें इस सदन के माध्यम से सुधारना ही होगा। मान्यवर, मैं यह समझता हूँ कि इस राज्य को बनाने में सबसे पहले यहाँ की युवा शक्ति और यहाँ के लोगों का हाथ था। मान्यवर, इसके लिए हम सभी साथियों को सोचना होगा। मान्यवर, आज नहीं तो कल हमारे राज्य में रहने वाले लोगों के सामने निवास प्रमाण-पत्र बनाने की कठिनाई आ सकती है। मान्यवर, मुझे सन् 1965 के समय की याद आ रही है, जब इस राज्य को बनाने में हमारे तत्कालीन माननीय सांसद श्री स्वर्गीय प्रताप सिंह नेगी जी, जो पौड़ी संसदीय क्षेत्र से थे। उन्होंने सबसे पहले राज्य निर्माण हेतु भूख हड़ताल में बैठकर आन्दोलन किया था, उस समय मैं श्रीनगर (गढ़वाल) में छात्र जीवन में था। तथा उनके आन्दोलन को समर्थन करने हेतु मैं छात्रों को लेकर पौड़ी गया था।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ जो हमारे राज्य के आन्दोलनकारी लोग हैं, उनका चिन्हीकरण ठीक रूप में होना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि ऐसे लोगों को भी आन्दोलनकारी मान लिया जाय, जो वर्ष 1979 से राज्य की प्राप्ति के लिए आन्दोलनरत थे।

मान्यवर, मुझे इस बात पर भी कोई एतराज नहीं है कि इससे पूर्व वालों को भी इस परिधि में ले लिया जाय। मान्यवर, हमारे राज्य की भौगोलिक स्थिति बहुत ही विषम है, जिससे राज्य में रह रहे नौजवानों को अपना जीवन यापन करना कठिन हो रहा है। यदि सरकार यहाँ के लोगों का निवास प्रमाण–पत्र और जो वास्तव में आन्दोलनकारी हैं, उनका प्रमाण–पत्र बनाती है तो यह राज्य हित में होगा। यहाँ के नौजवान अन्य प्रदेशों की ओर कम पलायन करेंगे और यहाँ पर रह कर खेती का कार्य भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे राज्य में पर्याप्त खेती है, और यहाँ के लोग अपना जीविकोपार्जन कर सकेंगे। मेरा अनुरोध है कि राज्य में एक ऐसी नीति बनायी जाय, जिससे कि यहाँ का पलायन रुक सके। यह तभी सम्भव है, जब हम यहाँ पर रोजगार के अधिक से अधिक साधन मुहैया करायेंगे, इससे प्रदेश भी ज्यादा उन्नति करेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आखिर कब तक हम उत्तर प्रदेश की नीतियों पर चलते रहेंगे? आज राज्य बने हुए छः–सात साल हो गये हैं अब हमें अपनी अलग नीतियाँ बनानी होंगी। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न हैं। हमारे राज्य में जंगली जानवरों की वजह से भी काफी नुकसान होता है।

मान्यवर, आए दिन बाघ गाँव में चला जाता है और वह लोगों की जान ले लेता है। इस पर भी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ बाघ 7 बच्चों को खा गया और 2 बच्चे घायल कर चुका है। इन नरभक्षी बाघों से बचने के लिए यहाँ की जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि वह उसको मार सके, अगर वह हमारे घर में घुसता है तो। लेकिन इसके लिए बड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वन्य जन्तु संरक्षक को बताना पड़ता है। वन विभाग को इसके लिए सूचना देनी पड़ती है, इन जानवरों को मारने के लिए वन विभाग की जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए पहले उस बाघ को आदमखोर घोषित करना पड़ता है तभी उसे मारा जा सकता है। मान्यवर, इसमें होना तो यह चाहिए कि अगर एक भी बार बाघ ने किया तो उसको मारने की अनुमति देनी चाहिए। मान्यवर, गाँवों में 200–300 लोगों की आबादी होती है और पहाड़ों में आबादी घनी नहीं होती, दूर–दूर घर होते हैं, अगर बाघ किसी के घर में आ जाए, उसके घर में अकेले पति और पत्नी रहते हैं तो वे अपनी सहायता कैसे कर पायेंगे? इसके लिए यहाँ यह परमीशन देनी चाहिए अपनी रक्षा करने के लिए। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में बाघ का आतंक ज्यादा है, वहाँ के स्थानीय लोगों को हथियारों के लाइसेंस दिये जाने चाहिए और उनको लाइसेंस दिये जाने की प्रक्रिया को और सरलीकृत किया जाना चाहिए ताकि वक्त पर वे अपनी मदद स्वयं कर सकें। मान्यवर, उसको मारने का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार मानव का मूल अधिकार है। यदि कोई जंगली जानवर किसी पर हमला करे तो अपनी आत्म रक्षा में, यदि वह व्यक्ति उस जानवर को मार भी दे तो वह कोई अपराध नहीं हो सकता।

श्रीमान्, मैं अपने तमाम विद्वान साथियों से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि इस राज्य को बाँटने का कार्य न किया जाए बल्कि विकास की बात कही जानी चाहिए। सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। यह जो आरक्षण की बात की जा रही है इसमें सबको समान नजर से देखना होगा कि गरीब जनता के साथ क्या हो रहा है। गरीब किसी भी वर्ग का हो सकता है। इसमें हमारे मुस्लिम भाई हो सकते हैं और तमाम लोग हो सकते हैं, सबका ध्यान रखना होगा। हमारे मुस्लिम भाइयों की आज क्या स्थिति है, वे गरीब मुस्लिम भाई कैसे जी रहे हैं, आरक्षण का लाभ कौन उठा रहा है, इसको हमें देखना होगा। क्या वही लोग उसका लाभ लेंगे जो सक्षम हैं, इस पर हमें विचार करना होगा।

मान्यवर, जो निर्धन हैं, चाहे वे किसी भी जाति वर्ग या धर्म से ताल्लुक रखते हों, सबको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रयास होना चाहिए और सभी गरीबों के लिए एक समान नीति बनाई जानी आवश्यक है, सभी गरीबों को आरक्षण मिले, सबकी मदद हो सके, यह प्रयास हमें करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पहाड़ों में कई वृद्ध लोग अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे रोजगार के लिए प्रदेश के बाहर या सेना में कार्य कर रहे हैं, वह वहाँ पर अकेले रहते हैं, उनकी भी सहायता हमें करनी चाहिए। इसके अलावा जो विकलांग लोग हैं, जो चल-फिर नहीं पाते, विधवायें हैं और समाज के वे गरीब लोग जो अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हैं, उनके भी सामाजिक उत्थान के लिए हमें सोचना होगा।

मान्यवर, मैं इस समय ज्यादा समय न लेते हुए एक कहानी जो मेरे दादा ने मुझे बचपन में सुनायी थी, सुनाकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। उस कथा को मैं अपने पर भी कहना चाहता हूँ, नेता प्रतिपक्ष पर और नेता सदन पर भी। मान्यवर, एक बहुत बड़ा पहलवान था। जिसके बारे में सारे इलाके में चर्चा हो गयी कि उसको तो काल भी नहीं खा सकता। अब वह सोचने लगा कि काल क्या होता है। मान्यवर, काल के बारे में पहलवान ने इधर-उधर पूछना शुरू किया, तो एक बूढ़े से पूछा तो बूढ़े ने कहा कि काल एक दिन अवश्य आयेगा। वह सब के जीवन में आता है। जब लोगों का अन्त आता है, तब वह सिराहने पर आकर सिर से प्राण निकालकर चला जाता है। तो उसने कहा कि काल मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो एक दिन पहलवान का भी समय आ गया, वह चारपाई पर पड़ा हुआ था, उसकी निगाहें काल की ओर थीं। वह देखता रहा, तो अपने समय पर काल भी आ गया, काल सिराहने आया तो वह उधर पलट गया, फिर काल उधर गया तो वह इधर पलट गया। काल भी इधर आया तो फिर वह उधर हो गया। काल और उसमें इधर-उधर में काफी तेजी हुई। जो दोस्त थे उन्होंने उसे दबाया, काल ने कहा कस के दबाओ। पहाड़ी में चौरा बोलते हैं यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, उसी दौरान प्राण सिर से निकाला और चल दिया।

काल ने रास्ते में पूछा कि तू मुझे भी चैलेंज कर रहा था। तो उसने कहा कि सुन लो काल, यदि अपने साथियों ने ऐसा न किया होता, मेरे हाथ–पैर न बांधे होते तो मैं तुझे देख लेता।

मान्यवर, मेरा कहना अन्यथा न लें, मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलजुल कर अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया, मैं माननीय सदस्य श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" जी के समर्थन प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। मैं, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के लिए हार्दिक धन्यवाद प्रकट करती हूँ और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का स्वागत करती हूँ।

मान्यवर, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड की जनता की अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुये जनहित के विकास कार्य के लिए जो इस समय महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में व्यक्त किये हैं, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी जी का धन्यवाद करती हूँ कि जैसे इस राज्य की जनता की अपेक्षायें हैं, जिसके 7 वर्ष इस राज्य के गठन के पूरे होने के बाद भी जन अपेक्षाओं के विकास कार्य नहीं हो पाये थे। और मेरा भरोसा है, विश्वास है इस पूरे उत्तराखण्ड की जनता का विश्वास है मेजर जनरल माननीय भुवन चन्द्र खण्डूड़ी के नेतृत्व में इस राज्य की जो नींव पड़ेगी, जो विकास होगा, उससे इस राज्य के आन्दोलन में बलिदान देने वालों का सपना भी साकार होगा।

मान्यवर, इस राज्य की स्थापना के लिए कई लोगों ने अपना बलिदान दिया और उसमें एक मूल भावना विकास की छिपी हुई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहते हुए इस राज्य का विकास नहीं हो पा रहा था। हमने सोचा था कि जब अलग राज्य का गठन होगा, तब इस राज्य का विकास होगा। लेकिन राज्य बने सात वर्ष व्यतीत होने पर भी इस राज्य का विकास जैसा होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। मान्यवर, इस राज्य में पर्वतीय क्षेत्र के कई गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। जबकि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस पर अनेक पैसा खर्च हुआ। मान्यवर, सड़क यातायात जैसी सुविधाएं अभी तक पूरी नहीं हो पायीं। मान्यवर, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत भी कई योजनाएं स्वीकृत की गयी थीं। लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाया है। हमारी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार ने यह लक्ष्य किया है कि केन्द्र सरकार से प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जो पैसा स्वीकार होगा, उसका उपयोग किया जायेगा क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को 20–25 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता है।

मान्यवर, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क एवं शिक्षा न होने के कारण इन जगहों पर बहुत तेजी से पलायन हो रहा है, इसको रोकने के लिए मेरी सरकार प्रयास करेगी और जनता को लाभ देगी। मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण में जिन मूलभूत सुविधाओं का जिक्र किया गया है, उनका स्वागत करते हैं। मान्यवर, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सरकार, इसके प्रति वचनबद्ध है। मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण में मातृशक्ति की बात कही गयी है, इस हेतु मेरी सरकार ने एक नयी योजना बनायी है। मान्यवर, जितने भी विकास कार्य होंगे, उनमें महिलाओं की सहभागिता होगी, चाहे वह स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जुड़े हों। मान्यवर, यह एक सराहनीय कार्य है। मान्यवर, मेरी सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2012 तक का समय निर्धारित किया है। हमारी सरकार झूठे वायदे नहीं करती है। मान्यवर, पेयजल उपलब्ध कराना एक चुनौती है, यदि यह कहा जाता कि हम वर्ष 2008 तक इसे पूरा कर लेंगे, लेकिन यह कार्य आसान नहीं है।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल पहुँचाने के लिए चुनौती के रूप में लेना होगा। इसके स्रोत सूख चुके हैं। पम्पिंग योजना द्वारा इस कार्य को पूरा करना होगा। मान्यवर, जो हमारी सरकार का घोषणा–पत्र है, जिसका जिक्र किया गया है। मैं उसका स्वागत करती हूँ।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा को सुधारने की आवश्यकता है। पर्वतीय क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में दो अध्यापक भी नहीं होते हैं और उनको अन्य कार्यों में भी लगाया जाता है। मेरा अनुरोध है कि अध्यापकों को अन्य कार्यों में न लगाकर सिर्फ शिक्षा के लिए ही डिप्यूट किया जाय। मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक प्राईमरी स्कूलों में दो अध्यापकों की नियुक्ति की जाय। मैं अपनी सरकार से इसका भी अनुरोध करूँगी कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में भी दो–दो अध्यापकों की नियुक्ति की जाय, भले ही इसके लिए ....

मान्यवर, शिक्षा मित्र और शिक्षा बन्धु की नियुक्ति करनी पड़े लेकिन यह कार्य होना चाहिए। ऐसा मैं अपनी सरकार से अनुरोध करूँगी। मान्यवर, इसके अलावा कृषि के बारे में कहना चाहती हूँ। मान्यवर, हमारे यहाँ कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाया जाना चाहिए और यही हमारा व्यवसाय भी होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े–बड़े उद्योग धंधे लगाना सम्भव नहीं है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में हम विकास कर सकते हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम कृषि को व्यवसाय

के रूप में अपनाएंगे। फूलों की, जड़ी-बूटियों की खेती के रूप में इसको अपनाएंगे। इसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मान्यवर, इसके अलावा पर्यटन के बारे में कहना चाहती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

कृपया सीमित करें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल-

मान्यवर, हमारी सरकार ने जनोपयोगी कार्य किया है। हमारा राज्य पर्यटन में एक अच्छा राज्य बन सकता है। इसके लिए हमारी सरकार ने "विलेज टूरिज्म" को बढ़ावा देने की बात कही है। ग्रामीण क्षेत्र में "विलेज टूरिज्म" को बढ़ावा देने से नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे प्रदेश में पर्यटन की सम्भावनाएं और विकसित होंगी, इसके लिए भी मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी सरकार ने पर्यटन सर्किट बनाने का फैसला लिया है, इसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सैनिक के रूप में, मेजर जनरल के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा की, अब इस राज्य की बागडोर संभालने के बाद भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने में सक्षम होंगे। इस समय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के रूप में जो दस्तावेज रखा गया है, निश्चित रूप से वह सराहनीय है। मैं इसका समर्थन करती हूँ। स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य एक वैभवशाली राज्य बनेगा और जनता की सभी अपेक्षाओं पर यह सरकार खरी उतरेगी। उन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ।

*श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर इस विधान सभा में पहली बार निर्वाचित होकर आया हूँ। हमारे सदन में पूरे उत्तराखण्ड प्रदेश से जो हमारे विधायकगण आये हैं, मैं सभी को नमन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि जो नवनिर्वाचित विधान सभा के सदस्य आये हैं, आप लोग उन्हें अपना अनुभव बताएंगे, जिससे कि प्रदेश के विकास के लिए हम भी उसमें अपना कुछ योगदान दे सकें। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कुछ बिन्दुओं पर विचार नहीं हो पाया था। मैं आपके माध्यम से उन बिन्दुओं का उल्लेख कर रहा हूँ। मान्यवर, पुरोला विधान

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभा क्षेत्र के अन्दर मोरी ब्लॉक, मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें 42 गाँव गोविन्द पशु विहार के अन्तर्गत आते हैं। यह भारत सरकार का मामला है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले में भारत सरकार को उत्तराखण्ड सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजे जाएं कि जो यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वह वहाँ के लोगों को मिल सकें। आज भी उस क्षेत्र में न तो यातायात की सुविधाएं हैं, न शिक्षा की सुविधाएं हैं।

मान्यवर, इस 21वीं सदी के युग में भी, लोगों को आज भी 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वहाँ पर स्वास्थ्य की भी सुविधायें नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जाय कि इस क्षेत्र की जो मूलभूत आवश्यकतायें हैं, उनको जन-जन तक पहुँचाने के लिए छूट दी जाय। मान्यवर, उत्तरकाशी जिला दो घाटियों में विभाजित है, एक यमुना घाटी और एक गंगा घाटी। मेरा अनुरोध है कि उत्तरकाशी जिले में यमुना घाटी को जनपद घोषित किया जाय। क्योंकि हिमकाल में जब बर्फ पड़ती है तो हमारी यमुना घाटी का सम्पर्क गंगा घाटी से टूट जाता है और हम अपने जिले के हैडक्वार्टर उत्तरकाशी तक नहीं पहुँच पाते हैं। मेरा निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में इसे जोड़ा जाय।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में रोजगार का कोई साधन नहीं है, कृषि ही वहाँ का एकमात्र रोजगार का साधन है। वहाँ पर इसे बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्य होने चाहिए ताकि हमारे बेरोजगार नौजवानों और महिलाओं को रोजगार मिल सके। मेरा अनुरोध है कि वहाँ पर कुछ लघु उद्योग भी स्थापित किये जायं, जिससे वहाँ के युवाओं और महिलाओं को रोजगार मिल सके। मान्यवर, हमारे यहाँ पर्यटन की बहुत संभावनायें हैं, पुरोला विधान सभा के मोरी विकास खण्ड में हर की दून में यदि वहाँ पर्यटकों को अच्छी सुविधायें दे सकें तो बेरोजगारों को रोजगार मिल पायेगा।

मान्यवर, पुरोला विधान सभा, जो हमारी गंगा घाटी है, वह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है मेरा आपसे निवेदन है कि उस क्षेत्र में, जो कि एक कृषि प्रधान घाटी है, वहाँ पर मंडी आदि खोली जानी चाहिए जिससे वहाँ के कृषकों को बीज की उपलब्धता हो सके और कृषकों को अन्य सुविधायें भी मिल सकें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

सर्वप्रथम मैं, माननीय अध्यक्ष जी, और सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को नमन करता हूँ और प्रथम बार सदन में बोलते हुये यदि मुझसे कोई गलती हो जाये तो उसे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नजर अन्दाज करने की आप सभी से आशा करता हूँ। मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद करने के लिए आपके समक्ष रू–ब–रू हुआ हूँ और मुझे पृष्ठ संख्या एक पर कही गई इस बात के लिए आप सभी से ये आशा है कि सभी सदस्य दलगत राजनीति, वर्ग, जाति व क्षेत्र आदि की भावनाओं से ऊपर उठकर प्रदेश के समग्र विकास के लिए कार्य करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन के क्षेत्र में कार्य करने के विषय में जानकर मैं धन्यवाद देता हूँ कि नये–नये पर्यटन सर्किटों की स्थापना होगी, पर्यटन स्थानों पर रज्जु मार्गों का निर्माण होगा और बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। यह बहुत ही खुशी की बात है। मान्यवर, पर्यटन स्थलों में, मैं अपने क्षेत्र मानिला, जौरासी व नैथड़ा देवी पर्यटक स्थल का उल्लेख भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। यदि इन क्षेत्रों की तरफ ध्यान दिया गया तो ये नैनीताल, मसूरी, कश्मीर, बल्कि मेरा मानना तो यह है कि यह स्विट्जरलैंड से भी कम नहीं होंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार राज्य में स्थानीय हाईस्कूलों तथा इण्टर कॉलेजों का विस्तार करने, शिक्षकों की तैनाती के साथ–साथ भवन, कक्षा–कक्ष एवं प्रयोगशाला निर्माण करने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कॉमन हॉल व पृथक् शौचालय तथा कोई भी शिशु शिक्षा से वंचित न रहे, उसके लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करेगी, इसके लिए मैं कोटि–कोटि धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं यह भी निवेदन करता हूँ कि अच्छा परीक्षाफल देने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाये और खराब परीक्षाफल देने वाले शिक्षकों को इसका स्पष्टीकरण मांगते हुये उचित कार्यवाही की जाये, ताकि प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ता चला जाये।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार सड़कों का निर्माण करने जा रही है ये हर्ष का विषय है, पर मेरा यह विनम्र निवेदन है कि पूर्ववर्ती सरकार के मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसी सड़कों के निर्माण करने का बोर्ड लगा दिया जिस पर अंकित था कार्य 2003 में प्रारम्भ होगा और समाप्त होगा 2005 में, पर बड़े दुख की बात है कि 2007 में भी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। हमारी सरकार जनता के साथ किये गये ऐसे छलावे से उन्हें निजात दिलायेगी और शीघ्र ही ऐसी सड़कों का निर्माण करायेगी, ऐसा विश्वास क्षेत्रीय जनता हमारी सरकार से करती है। माननीय अध्यक्ष जी, सड़क निर्माण की भांति पेयजल योजनाओं के बारे में भी ठीक चुनाव से पहले पूर्व सरकार ने मेरे क्षेत्र में मानिला–बरकिण्डा पेयजल योजना व धमड़खान–गगास पेयजल योजना का उद्घाटन कर बड़े–बड़े बोर्ड लगा दिये हैं, पर यह चिन्ता का विषय है, क्योंकि पिछले चुनावों में जैसा लोकसभा या अन्य में हमेशा से देखा

गया है कि हर कार्यों में चुनाव से पहले चूना आदि लगा दिया गया, घोषणायें कर दी गई पर कार्य कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ये दोनों पेयजल योजनाएं शीघ्र शुरू करवा दी जायें ताकि खाली बोर्ड लगाने वाले लोग यह न कहने लगें कि हमने तो कार्य शुरू करना था पर दूसरी सरकार ने कार्य रोक दिये हैं। इसलिए विनम्र निवेदन के साथ शीघ्र ये कार्य आरम्भ करने की आशा करता हूँ।

मान्यवर, अब जब नये परिसीमन के अनुसार भिक्यासैंण विधान सभा समाप्त कर सल्ट, रानीखेत तथा द्वाराहाट में मिल जाने से क्षेत्र की समस्त जनता काफी दुखी है, इसलिए यदि भिक्यासैंण को जिला बना दिया जाता है तो ये समस्त क्षेत्रीय जनता की चोट पर मलहम लगाने जैसा कार्य होगा और निर्वाचन आयोग द्वारा छीन ली गयी विधान सभा का दुख जिला मिल जाने के कारण कम जरूर हो जायेगा।

अन्त में मैं पूरे विश्वास के साथ कि उत्तराखण्ड की महान जनता हमारी सरकार की योजनाओं के साथ चहुँमुखी विकास करेगी और यह पंचवर्षीय योजना 21वीं सदी की विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी, इस विश्वास के साथ कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करते हुए आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ।

सिंचाई एवं पेयजल मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। सर्वप्रथम तो मैं डा0 रमेश पोखरियाल जी द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर जिसका माननीय बिशन सिंह चुफाल जी ने समर्थन किया, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। उत्तरांचल की जनता ने उत्तराखण्ड राज्य बनाने के लिए बड़ा संघर्ष किया। जो मुख्य बिन्दु थे उनमें पहला बिन्दु था कि यहाँ का चहुँमुखी विकास करना है। दूसरा यहाँ बेरोजगार भाई–बहनों को रोजगार देना, तीसरा यहाँ के पलायन को रोकने के लिए यहाँ पर उद्योग–धन्धे लगाना। महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में इन सारे बिन्दुओं को रखा गया है और यह अभिभाषण उत्तरांचल की जनता के हित में होगा। (व्यवधान)

माननीय सदस्य कहते हैं मातबर सिंह कण्डारी कहते हैं कि 'कितना अच्छा होता' और आज मैं कह रहा हूँ कि कितना अच्छा है कि इस अभिभाषण को सदन में रखा गया है, जिससे उत्तरांचल का चहुँमुखी विकास होगा। यहाँ के बेरोजगार भाईयों को रोजगार मिलेगा। (व्यवधान) यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ का चहुँमुखी विकास हो और यहाँ का पलायन रुके ऐसी नीतियों का निर्धारण इस अभिभाषण में किया गया है। पहला बिन्दु रोजगार का है। रोजगारपरक विषय को महाविद्यालयों में शुरू करने की योजना बनाई गई है। राजकीय पॉलीटेक्निक और

आई0टी0आई0 के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले ऐसी व्यवस्था अभिभाषण में की गयी है। वन विभाग में वृक्षारोपण ऐसा हो कि जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। यदि किसी को रोजगार नहीं मिल पाता है तो सरकार उन भाई-बहनों को बेरोजगारी भत्ता देगी।

काजी मो0 निजामुद्दीन-

मान्यवर, इसका केवल विचार है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

मान्यवर, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना पर बल दिया गया है। पूर्व सरकार ने केवल मैदानी क्षेत्र में ही भारी उद्योग लगाने का प्रयास किया जबकि हमारी सरकार ने मैदानी क्षेत्रों में भारी उद्योग लगाने के साथ ही उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे उद्योग जिनसे पर्यावरण दूषित न हो, लगाने का फैसला किया है। (व्यवधान) मान्यवर, विचार अच्छा होगा तभी तो काम होगा। मान्यवर, हमारी सरकार के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि सात दिन के अन्दर सब कुछ हो जाए।

मान्यवर, जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सात दिन में कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई औषधि की जड़ी नहीं है कि सात दिन में सब कुछ हो सके। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने उत्तरांचल की जनता के हित में निर्णय लिया है, वह निर्णय है मितव्ययिता और फिजूल खर्ची पर रोक लगाना। पूर्व सरकार ने वार्षिक योजना बढ़ाई। उस वार्षिक योजना को बढ़ाने से क्या होगा, यदि उसका सदुपयोग ही नहीं होगा। हमारी सरकार फिजूल खर्ची पर रोक लगायेगी और विकास के संसाधन जुटायेगी। हम तो सौभाग्य समझते हैं कि उत्तरांचल में प्राकृतिक संसाधन हैं, यहाँ पर वन सम्पदा है, खनिज सम्पदा है, उसका दोहन हम नहीं कर पा रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर सघन जंगल हैं जिनसे हम आय प्राप्त कर सकते हैं। खनिज से हम आय प्राप्त कर सकते हैं, खनन द्वारा हम आय बढ़ा सकते हैं।

हमारी सरकार ने पहले पहल की है कि हम विकास पर बल देंगे। यह पहली सरकार है कि जिसने ऋण ग्रस्तता को दूर करने के लिए कहा। "यावत् जीवेत सुखम् जीवेत् ऋणम् कृत्वा घृतम् पीवेत।" मान्यवर, 18 हजार करोड़ का पूर्व सरकार ने इस प्रदेश पर ऋण थोपा है, हम ऋण ग्रस्तता को दूर करेंगे। हम ऋण ज्यादा नहीं लेंगे, इस सरकार ने यह निर्णय लिया है। पहली सरकार ने क्या किया, सत्ता का सुख भोगा है। यह सरकार सुख भोगने के लिए नहीं राज्य के बहुँमुखी विकास के लिए आई है, इसके लिए जनता ने हमें यहाँ भेजा है। (मेजों की थपथपाहट) इस राज्य की अलग पहचान होनी चाहिए। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा और सत्ता पक्ष के तो हैं ही, जो विकृतियाँ उत्तर प्रदेश के समय में होती थी

वह यहाँ न हों। यहाँ पर दंगा रहित प्रदेश, भयमुक्त समाज की स्थापना हमारी सरकार करना चाहती है। यह सरकार नौकरशाही पर नियंत्रण रखेगी ताकि सरकार द्वारा जनहित में काम हो, ऐसा संकल्प हमारी सरकार ने लिया है और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शी हो।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, इधर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, एक को समझा लें, वही बहुत है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय किशोर उपाध्याय जी सवा लाख के बराबर है। हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेही है। हमारी सरकार पारदर्शिता कायम करना चाहती है। हमारी सरकार आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा बढ़ती कीमतों को नियमित करने हेतु जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने का पूर्ण प्रयास करेगी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जनता को त्वरित न्याय प्रदान हो। हमारी सरकार ने शासन और प्रशासन को स्वच्छता के साथ काम करने के लिए कहा है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो सुदूर क्षेत्र हैं उन्हें सड़क से जोड़ें, उसकी गुणवत्ता भी होनी चाहिए, विकास कार्य सही हों। माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि जितने भी विकास कार्य हों वह सही हों। जितने भी दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ अध्यापक भेजे जायेंगे और डाक्टर भेजे जायेंगे। पशु चिकित्सा के डाक्टर भेजे जायेंगे।

मान्यवर, हमारी सरकार ने, जहाँ दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहाँ तक शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास का संकल्प लिया है। मान्यवर, चाहे वह मातृ शक्ति का मामला हो, हम उनका सम्मान करेंगे और राज्य के कर्मचारियों का मामला हो। मान्यवर, उद्योग के क्षेत्र में हमारी सरकार मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में कोई विभेद नहीं करेगी, हमारी सरकार का प्रयास होगा कि पहाड़ों में भी लघु उद्योग लगें। मान्यवर, इसी प्रकार से पेयजल की समस्या है, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई है कि वर्ष 2012 तक हर गांव और हर परिवार को शुद्ध पेयजल दिलाने के लिए हमारी सरकार पूर्ण प्रयास करेगी। मान्यवर, हमारी सरकार इन कठिनाई को रोकने के लिए कटिबद्ध है। हमारी सरकार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध है।

मान्यवर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के चहुँमुखी विकास का संकल्प लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी संकल्प लिया

है कि प्रदेश में जो आए-दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्णय लिया गया है कि मृतक परिवार के सदस्य को 50-50 हजार रुपये, घायल होने पर 20-20 हजार रुपये और आंशिक रूप से घायल होने पर 5-5 हजार रुपये की राहत राशि दी जायेगी। मान्यवर, यह व्यवस्था सभी जगह एक समान होगी। हमारी सरकार जनता का सहयोग कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से 21 फरवरी, 2007 को उत्तरांचल की जनता की पीड़ा बताना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी पीड़ा को इन शब्दों में व्यक्त किया है-

खून तूने किया कातिले बेरहम,

दे दिया मैंने जीवन वतन के लिए,

ये मुरझाते फूल ये सिसकती कलियाँ,

कौन होगा माली इस चमन के लिये।

मान्यवर, 27 तारीख को जनता की समस्या का समाधान हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहाड़ की दशा और दिशा को बदलने के लिए महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में ठोस प्रयास किये हैं। मान्यवर, उत्तरांचल की जनता के सहयोग से हम प्रदेश का विकास करेंगे।

श्री ओम गोपाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं पहली बार चुनकर यहाँ पर आया हूँ। मुझे यहाँ के नियमों की जानकारी ज्यादा नहीं है लेकिन राज्य आन्दोलन में मैंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और इस दौरान मैं जेल में भी बन्द रहा। मान्यवर, इस दौरान मैंने सबसे ज्यादा धारा झेली हैं। मान्यवर, मैं सरकार द्वारा रखे गये महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के पक्ष में बोल रहा हूँ।

मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। हमारी वार्ता हो गयी है। मान्यवर, इस राज्यपाल जी के अभिभाषण में धारा-371 के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। मान्यवर, इस अभिभाषण में हमारी मांगों को नजर अंदाज किया गया है हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारी वार्ता उनसे हो गयी है। हम एक आन्दोलनकारी हैं। दूसरा इस अभिभाषण में विस्थापितों के मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है; मान्यवर, जब हमने इस राज्य का सपना देखा था। एक बहुत बड़ा धब्बा हमारे माथे पर लगा कि इस पहाड़ के पानी और जवानी का। महोदय, आज राज्य को बने हुए 8 साल हो गये हैं और इस बीच दो सरकारें आईं लेकिन खेद की बात है कि हम आज भी इस पहाड़ की जवानी और इसके पानी को इस राज्य के हित के लिए चरितार्थ नहीं कर पाए। मान्यवर, हमारे प्रदेश की नदियों से पूरे भारत वर्ष की प्यास बुझती है

लेकिन खेद का विषय है कि आज भी हमारी अपनी ही नदियों से हमारे प्रदेश के अनेक क्षेत्र वंचित हैं और पहाड़ प्यासे हैं।

मान्यवर, रोजगार के लिए अपने प्रदेश से पलायन करना हमारे प्रदेश की एक परम्परा रही है क्योंकि पहाड़ों पर आजीविका कमाने के लिए कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों के बेरोजगार नौजवानों को आजीविका के लिए हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ता है। जिसका दुष्प्रभाव आज हमारे समाज पर पड़ रहा है। मान्यवर, पिछली सरकार द्वारा हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और संरक्षण की घोषणा की गई थी लेकिन आज भी हमारे नौले, खाले सरकारी संसाधनों की बाट जोह रहे हैं।

मान्यवर, प्रदेश के मुख्यालय में बैठे आई0ए0एस0 कागजों पर ऐसी योजना बनाते हैं जो कि यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान ही नहीं रखते हैं। मुझे विश्वास है कि प्रदेश की नव गठित सरकार अवश्य ही ऐसी नीति बनायेगी जिससे पहाड़ की जवानी और यहाँ का पानी इस प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। मान्यवर, हमारी मांग है कि हमारी नदियों का पानी हमारे पहाड़ में कैसे पहुँचे, इसके लिए अलग से नीति होनी चाहिए। मान्यवर, हम पानी के लिए नदी में चाल और खाल बना देते हैं। लेकिन गाँव के लोग वहाँ से 18–20 कि0मी0 दूर रहते हैं। इससे ठेकेदारों का भला हो सकता है लेकिन यहाँ के लोगों को परेशानी होती है आज पहाड़ का युवा बेरोजगार है। वह पहाड़ों से पलायन कर चुका है।

महोदय, आप नाराज न हों, हम अपनी भावनायें बता रहे हैं। आज विकल्पधारियों की बात है तो यहाँ पर 40 हजार विकल्पधारी हैं, जिससे प्रदेश का नुकसान हो रहा है, जो विकल्पधारी हैं वो मूल प्रदेश में जाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

जरा सीमित करें।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, आपने थोड़ा मौका दिया, मैं आभारी हूँ। मान्यवर, यह बहुत ज्वलन्त समस्या है, इसमें स्पष्ट व्याख्यान नहीं हुआ कि हम कितने दिनों के अन्दर विकल्पधारियों को उत्तर प्रदेश वापस भेजेंगे। जब उत्तर प्रदेश में प्रस्ताव पारित हो रहा था तो हमने जनता से वादा किया था कि इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों भागी थे, हमें लुंज–पुंज राज्य नहीं चाहिए। मान्यवर, बेरोजगारों का मामला है, हमारा एक सूत्री मामला है कि पानी और जवानी कैसे रुकेगी, जवानी का मतलब युवाओं से है।

मान्यवर, पहाड़ का युवा बड़ी संख्या में पलायन कर रहा है। मान्यवर, पिछली सरकार ने जो 58 साल रिटायरमेण्ट की ऐज थी शिक्षक/कर्मचारियों की, हमारी पुरानी सरकार ने पहले 60 की और अब 62 करा दिया, इससे युवाओं का हक मर रहा है, इससे हमारे बेरोजगारों का लॉस हो रहा है। मान्यवर, प्रतिवर्ष 10 हजार बेरोजगार हो रहे हैं, इस प्रकार चार साल में कितने हो जायेंगे? तो हम चाहेंगे कि रिटायरमेण्ट की ऐज 58 साल रहे उसको 62 न कराया जाए, तो युवाओं की एक सूत्री माँग है कि पानी और जवानी कैसे रोकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

*हाजी तस्लीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए, किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है। मान्यवर, जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग के वन गुर्जरों को .... ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तसलीम अहमद जी, यह तो कार्यवाही में आ चुके हैं, कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोलें।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, वन गूजरों को निकाल कर उन्हें गैन्डीखाता एवं पथरी में बसाया जा रहा है। सुविधाओं जैसे उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सालय, सड़क आदि के लिए कोई उनकी व्यवस्था नहीं है मान्यवर, जैसे खेत हैं वहाँ हरिद्वार से कम से कम 30 किलोमीटर पड़ता है, जो पशु बीमार हो जाए तो उन्हें कोई पशु की दवा के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, अगर कोई बीमार हो जाए तो वहाँ से लाने के लिए .... ।

मान्यवर, कोई ऐसा साधन नहीं है। तीन किलोमीटर चलकर उन्हें रोड पर आना पड़ता है। मान्यवर, उन्हें हर तरह की दिक्कत है। शिक्षा के लिए उनके लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। मान्यवर, जो लोग वनों से निकल कर आये हैं, अभी तक उनके रहने के लिए आवास की सुविधा नहीं है। मान्यवर, उनके दूध का पैसा बढ़ाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर, जिनको अभी भी जंगलों से निकाला जा रहा है, उनके पशुओं के लिए चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, हर तरह से उन्हें सड़क और पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। मान्यवर, एक सड़क का जो निर्माण हुआ था, वह भी अधर में पड़ा हुआ है और तीन–चार किलोमीटर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्हें पथरीली भूमि में चलना पड़ता है। मान्यवर, सरकार की ओर से जो जंगलों से निकलकर आते हैं उनके लिए आवास, बिजली, पानी की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन वह आज तक पथरीले जंगलों में हैं, इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो बुक्सा जनजाति के लोग रहते हैं, उनके लिए आज तक पानी की कोई सुविधा नहीं है और न ही आज उनके लिए कोई गूल बनाकर उन्हें शुद्ध पानी दिया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि उन्हें गूल बनाकर शुद्ध पानी मिले, जो सड़कें नहीं हैं, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा के लिए कोई सुविधा नहीं है, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, ये तमाम चीजें मेरे विधान सभा क्षेत्र लालढांग, जो वनों के बीच में बसा हुआ है, यहाँ पर नहीं हैं। यह हर तरह से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण में हज कमेटी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है और न ही यह बताया गया है कि हज कमेटी से जो हमारे प्रदेश से हज पर यात्री जाने वाले हैं, उन्हें किस तरह से सुविधा दी जायेगी और उन्हें किस तरह से सहूलियतें दी जायेंगी, इसका भी उल्लेख नहीं है। मान्यवर, हज कमेटी पर जाने के बाद जो लोग मक्का में रूकते हैं, उनके आवास सही तरह के नहीं हैं, वहाँ दूर-दूर तक आवास रहते हैं, इसका भी कोई जिक्र नहीं है।

मान्यवर, हमें कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता है, परन्तु इसकी व्यवस्था कैसे की जाय, इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है। मान्यवर, जबकि हमारे प्रदेश में कृषि के लिए बहुत कम भूमि है। मान्यवर, अगर कृषकों को बिजली, पानी की सुविधा नहीं दी जायेगी तो इनका कल्याण कैसे होगा? मान्यवर, यदि किसान को गुमराह किया जायेगा तो प्रदेश भी गुमराह होगा। मान्यवर, जो नलकूप लग रहे थे, या लगाये जा रहे हैं। मान्यवर, आज इनकी हालत यह है कि कहीं बिजली नहीं है तो कहीं पाईप लाईन नहीं है, हर तरह की दिक्कत किसान के सामने है। यह भी पता लगा है कि इन नलकूपों का संचालन ग्राम पंचायतों को दिया गया है। मान्यवर, ग्राम पंचायतें सही तरह से इनका संचालन नहीं कर रही है, इसलिए इनका संचालन सिंचाई विभाग को ही देना चाहिए। आज जो दिक्कतें किसानों के सामने हैं, वह इस व्यवस्था के कारण भी हैं।

मान्यवर, अभी जैसे सुल्तानपुर, मुबारकपुर, लालढांग में एक नलकूप है। इससे सप्लाई दो-चार लाईनों की तरफ होती है, यहाँ से सप्लाई उत्तर की दिशा में सात फीट की ऊंचाई पर और दक्षिण की दिशा में सात फीट नीचे की ओर होती है।

मान्यवर, उसका एक ही पैर लगा हुआ है, जहाँ से पानी चलता है, वह नीचे की ओर फेंकता है और नीचे के किसान वंचित हैं। इस सम्बन्ध में विभाग को भी अवगत करा दिया गया था लेकिन अभी तक उसको सुधारा नहीं गया है। मान्यवर,

इस अभिभाषण में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र कहीं नहीं हुआ है। वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति और वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति पर जो नाजायज कब्जे हुए हैं, उसके लिए भी कोई उपाय नहीं किये गये हैं। मान्यवर, उपाय तो दूर वक्फ बोर्ड का इस अभिभाषण में कोई जिक्र ही नहीं किया गया। इसका इन्तजाम होना चाहिए। कलियर शरीफ में, कब्रिस्तान में वक्फ बोर्ड की जमीन खुर्द–बुर्द हो गई है। यह कार्यवाही में जाना चाहिए।

मान्यवर, शिक्षा की बात है, बालिकाओं के लिए शिक्षा है। शिक्षा में अधिकतर मैं कह सकता हूँ गैंडीखत्ता, गूजर बस्ती, सुल्तानपुर पट्टी, मुबारकपुर, जहाँ–जहाँ भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहाँ पर शिक्षा कम है। जहाँ कन्याओं में शिक्षा नहीं होगी, उस समाज में शिक्षा नहीं होगी, जिस समाज में शिक्षा नहीं होगी, उसका विकास नहीं होगा। गैंडीखत्ता में 700 परिवार बस गये हैं लेकिन वहाँ पर एक भी कन्या इण्टर कॉलेज नहीं है। मुबारकपुर में एक भी कन्या इण्टर कॉलेज नहीं है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि यह भी महामहिम के अभिभाषण में जोड़ा जाय। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे डा० रमेश पोखरियाल "निशंक" द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर, माननीय चुफाल जी द्वारा जिसका समर्थन किया गया, उसके समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, महामहिम का अभिभाषण किसी भी सरकार का एक दस्तावेज होता है और उस सरकार की जो नीतियां होती हैं, वर्ष भर तक उन नीतियों के माध्यम से किस प्रकार से हम जनहित में कार्य करते हैं, यह उसको दर्शाता है और यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 5 वर्षों में सरकार ने अभिभाषण के माध्यम से अपनी जो नीतियां इस सदन में प्रस्तुत की हैं, 2002 से लेकर 2006 तक। वे सभी अभिभाषण यहाँ पर मेरे पास हैं। मैं उनके बारे में बहुत अधिक न कह कर दो–तीन बिन्दुओं को रखना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भुवन चन्द्र खण्डूड़ी जी को, जिन्होंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से एक ऐसी नीति, एक ऐसा दस्तावेज यहाँ पर प्रस्तुत किया और सबसे पहला काम उन्होंने कुशल वित्तीय प्रबन्ध के बारे में किया। कहीं न कहीं प्रदेश की जनता इतने कम समय में वित्तीय प्रबन्ध की झलक पा रही है।

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जब चर्चा कर रहे थे, पिछले 5 वर्ष में आप देखें, जो सरकार यहाँ पर थी, माननीय नेता प्रतिपक्ष उस सरकार में मंत्री भी रहे। मान्यवर, अभी जिस विषय पर बात हो रही थी, वह मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष है।

इसमें करोड़ों रुपये बांटे गये और जहाँ-जहाँ भी इसकी जाँच करायी गयी, कहीं न कहीं उस राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के ऊपर मुकदमें दर्ज हुये और उनको जेल में डाला गया। यही नहीं पिछले पाँच सालों में सरकार को चलाने के जो तरीके थे, नीतियों की तो बात भी छोड़ दीजिये माननीय अध्यक्ष जी, एक नहीं दो नहीं, सौ नहीं, दो सौ जितने भी लोगों ने सरकार पर रौब जमाया उनको लाल बत्तियां दे दी गईं। यह उदाहरण है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

आप क्या माननीय दिवाकर भट्ट जी को डरा रहे हैं? मान्यवर, एक एम0एल0ए0 को चुनाव लड़ने के लिए उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए लेकिन पिछली सरकार ने 25 साल से कम के व्यक्ति को भी लाल बत्ती का बंटवारा कर दिया।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

आप लोग उसका नाम भी जानते हैं और यह भी चाहते हैं कि उसका नाम भी आ जाय। मान्यवर, यही नहीं किस प्रकार से विदेश यात्राओं पर व्यय किया गया। लेकिन हमारी सरकार बधाई की पात्र है कि जिन्होंने प्रारम्भ से ही अच्छे से अच्छे और कुशल वित्तीय प्रबन्धन का उदाहरण दिया और प्रदेश की जनता भी जिसे देख रही है। मान्यवर, पिछले पाँच सालों में इस ऊर्जा प्रदेश में, कहीं पर भी और ग्रामीण क्षेत्रों में यह ऊर्जा नजर नहीं आई, यह किसी से छिपा नहीं है। मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि जिसने अपनी नीति पत्र में कहा है कि नियमित ऊर्जा देने के लिए सरकार वचनबद्ध है।

मान्यवर, पाँच सालों से हम महामहिम के अभिभाषण में यही देखते आ रहे थे कि ऊर्जा प्रदेश में हम ऊर्जा देंगे। लेकिन पिछले पाँच सालों में जनता को यह ऊर्जा कहीं भी नजर नहीं आई। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य में जैसा कि माननीय दिवाकर भट्ट जी ने मानव संसाधनों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। लेकिन पिछले पाँच सालों में मानव संसाधन को लेकर कोई नीति नहीं बनाई गयी। इस प्रकार की बातें तो छोड़ दें, शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक कोई स्पष्ट नीति पिछली सरकार ने नहीं बनाई। इस सरकार ने सिर्फ नभ विश्वविद्यालय और स्काई विश्वविद्यालय ही बनाये और यह ढूंढते रह गये कि यह नभ और स्काई कहाँ हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन हम उनको ढूंढेंगे, यह तो ढूंढ नहीं पाये। पाँच साल में सिर्फ नभ और स्काई ही बनाये गये, जनता के लिए यह कहीं पर कार्य नहीं कर पाये। मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि सरकार ने यह घोषणा-पत्र

में ही स्पष्ट किया है कि हम लोगों को पूरी शिक्षा देंगे और गुणवत्ता युक्त शिक्षा को प्रदान करेंगे। मान्यवर, पिछली सरकार ने इण्टर कॉलेजों और हाई स्कूलों की घोषणा की, मैं माननीय मातबर सिंह कण्डारी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसको लेकर यह आन्दोलनरत हुये और इन कॉलेजों की स्वीकृति दी गई। मान्यवर, यहाँ पर पिछली सरकार के सत्ता पक्ष के लोग भी बैठे हैं और वह लोग भी चिल्लाते रहे कि हमें अध्यापक दे दीजिए लेकिन मान्यवर, वहाँ पर अध्यापक तो दूर चपरासी भी नहीं दिया गया। इस प्रकार की स्थिति पिछली सरकार में रही।

मान्यवर, आयुर्वेद के बारे में सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय के लिए एक नीति हम जल्दी ही तय करेंगे।

मान्यवर, लेकिन मैं 2002 के अभिभाषण का उल्लेख करना चाहता हूँ, इन्होंने अपने प्रथम घोषणा-पत्र में कहा था कि हरिद्वार में आयुर्वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। उसके बाद चार अभिभाषण और आ गये, लेकिन वह विश्वविद्यालय नजर नहीं आया। मैं बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रथम अपने अभिभाषण में स्पष्ट किया कि हम आयुर्वेद विश्वविद्यालय जल्दी ही खोलने जा रहे हैं। मान्यवर, केवल यही नहीं प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में पूर्ण दवाएं उपलब्ध रहेंगी। यह सरकार ने कहा है कि दुर्गम क्षेत्र में मोबाईल चिकित्सा टीम भेजी जायेगी। यह सरकार के घोषणा-पत्र में है। (व्यवधान)

यह सरकार का घोषणा-पत्र ही होता है। इसके माध्यम से हमने जनता के सामने नीतियाँ स्पष्ट की हैं। एक औद्योगिक पैकेज जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था, लेकिन इस औद्योगिक पैकेज में उस सरकार ने जैसे ही केन्द्र में सरकार बदली, कटौती कर दी गयी, अपितु जितने उद्योग इस प्रदेश में आये केवल उन्होंने एसेम्बलिंग का कार्य किया प्रोडक्शन का नहीं। हमारी सरकार ने यह घोषणा की है कि यह जो उद्योग लगे हैं, उनमें ठीक प्रकार से काम होना चाहिए। इसका फायदा हमारे प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए।

मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि यह पहली सरकार है जिसने मैदानी क्षेत्र में जो उत्पादकता में स्थिरता आ गयी थी। 5 वर्ष तक मैं याद दिलाना चाहता हूँ यह जो बीच में बैठे हैं, पहले भी यहीं पर बैठे थे भगवान करे अगले साल भी यहीं पर बैठे रहें। (व्यवधान) लेकिन हम लोगों का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जो फसलों का उत्पादन हो रहा है, उसमें स्थिरता आ रही है, उसमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन 5 वर्षों में सरकार केवल इधर-उधर की बातों में लगी रही, लेकिन जो गम्भीर विषय था उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार मृदा खाद पर ध्यान देकर उत्पादन पर आई स्थिरता को समाप्त करेगी। मान्यवर, रोजगार की बात यहाँ पर आई, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि रोजगार

के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा हमारे अभिभाषण में नजर आती है। रोजगार में हम सहायक शिक्षा पद्धति के माध्यम से बढ़ावा देंगे और पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग से एक नीति का सृजन करेंगे। बेरोजगारी भत्ते का भी प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, पाँच वर्षों में मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो प्राथमिक मुद्दा था, तत्कालीन सरकार का जो नारा था वह बेरोजगारी का मुद्दा था, जिसको लेकर के हमारे मित्र चिन्तित हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि पाँच सालों में हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वह कुछ लोगों को ही रोजगार दे पायी। मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, उसने कम से कम समय में विश्वास दिलाया कि हम किस प्रकार से बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ेंगे। मान्यवर, इस सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए एक कटिबद्ध नीति के तहत हम सबको विकास की मुख्यधारा में शामिल करने की बात की है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में 23 नम्बर पर स्पष्ट है कि बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कटिबद्ध हैं। समाज के दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जायेगा।

मान्यवर, मैं लास्ट में यह कहना चाहता हूँ और सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, 2002 के अभिभाषण में पूर्व सरकार ने कहा है कि हम पेयजल व्यवस्था पर प्रभावी कार्यवाही तीन माह के अन्दर करेंगे। तीन माह के अन्दर घोषणा करने वाली सरकार अपने पूरे कार्यकाल में कुछ भी नहीं दे पायी। हमारी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि 2012 तक इस प्रदेश के हर घर को पानी उपलब्ध करायेंगे। इसी के साथ माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

*श्री केदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण संशोधन पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महामहिम का अभिभाषण केवल सरकार की नीति कार्यक्रम, लक्ष्य इन सबका दर्पण होता है। मैं समझता हूँ कि सरकार की जो नीति और कार्यक्रम हैं, मंशा है वह समग्र नहीं है। उससे ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश के समग्र विकास का खाका सरकार के दिमाग में नहीं है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख छूट गया है। आर्थिक चकबन्दी का कार्यक्रम है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये जो चकबन्दी का कार्यक्रम है ये एक किस्म से कृषि, बागवानी, पशु, पालन, डेरी विकास, बेमौसमी सब्जी का उत्पादन उससे जुड़ी हुई है। जितने भी ग्राम्य विकास के कार्यक्रम हैं, यह एक किस्म का इन्फ्रास्ट्रक्चर है जो कि चकबन्दी से हो सकता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। बिना चकबन्दी के जितनी भी विकास की योजनायें हैं, कृषि पशुपालन, बागवानी, ग्रामीण विकास से सम्बन्धित, सिंचाई से सम्बन्धित वह जो हैं वह सही अर्थों में उसका परिपालन सुनिश्चित नहीं करवाया जा सकता। इसलिए आपसी सहमति से चकबन्दी का जो कार्यक्रम है उसके लिए सरकार को व्यापक नीति बनानी चाहिए ताकि जितनी भी विकास की योजनायें हैं उसके लिए धरातल पर इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कराया जा सके।

माननीय अध्यक्ष जी, इस योजना के लिए उत्तराखण्ड के स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह रावत द्वारा बिशन गाँव में परियोजना चलायी थी। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास का ढाँचा बिना चकबन्दी के सम्भव नहीं हो सकता है। मान्यवर, कृषि, बागवानी, सिंचाई, चारा, जड़ी-बूटी, पशुपालन योजनाओं का धरातल पर उतरना जरूरी है, तभी प्रदेश का विकास सम्भव है। मान्यवर, जब आपसी सहमति पर चकबन्दी हो, इस हेतु आपसी सहमति पर चकबन्दी का मॉडल प्रस्तुत करने वाले जन नेता स्व0 राजेन्द्र सिंह रावत के नाम से पूरे प्रदेश में आपसी सहमति पर चकबन्दी योजना का शुभारम्भ होना चाहिए तथा चकबन्दी अधिनियम में कारगर संशोधन होना चाहिए।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रवॉल्टा, जौनपुरी पिछली जातियाँ हैं, इनको केन्द्रीय अनुसूची में जोड़ने हेतु प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजे। मान्यवर, तीसरी बात जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर नहीं रखी गयी कि बड़कोट एवम् चिन्याली सौड़ में महाविद्यालय भवनों का निर्माण होना चाहिए। चौथी बात यह है कि दिचली बिष्ट पट्टी व गमरी पट्टी ब्लॉक और चिन्याली क्षेत्र सौड़ को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाय। पाँचवाँ देवी सौड़, जगपेई, बौख, सेम, डांडा देवराणा, खस्साली, गंगानी आदि मेलों के सांस्कृतिक संवर्धन हेतु सरकारी सहायता दी जानी चाहिए। छठवाँ मान्यवर, दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का हाट मिक्स से सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। मान्यवर, यह महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर नहीं जोड़ा गया है, मैं चाहता हूँ कि सरकार इन पर भी ध्यान दे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के जो आधार भूत कार्य हैं, उनके ढाँचे का भी उल्लेख नहीं किया गया है। "कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट" के अन्तर्गत कानूनी संशोधन होना चाहिए। मुझे आशा है कि आपके माध्यम से उक्त योजना पर कार्यवाही कर राज्य निर्माण को आगे बढ़ाना चाहिए। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जिससे प्रदेश के लिये आर्थिक रूप में मजबूती होगी वह महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि हमारे प्रदेश उत्तराखण्ड में लघु उद्योगों को अत्यधिक रूप में विकसित कराया जाय। मान्यवर, इसको भी महामहिम

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जोड़ा जाय कि ब्रह्मखाल में आई0टी0आई0 संचालित किया जाय और मात्र जिला भेषज संघ उत्तरकाशी पर जो दोहरा सेल्स टैक्स आरोपित किया गया है तथा राजस्व वसूली प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है जो कि उचित नहीं है। प्रदेश के अन्य भेषज संघों पर मात्र एक बार ही करारोपण किया गया है। इसे माफ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिए।

मान्यवर, उत्तरकाशी जो प्रदेश का पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर इंजीनियरिंग एवम् मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए और पर्यटन स्थलों के विकास के लिये कार्य योजना बननी चाहिए। स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, 42 लाख रु0 की आर0सी0 काटी गयी। मान्यवर, ब्रह्मखाल में आई0टी0आई0 और उत्तरकाशी जिले के पिछड़े क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज तथा एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाए। यमुनोत्री विधान सभा क्षेत्र में अलग से सभी पट्टियों को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल किया है लेकिन तीन पट्टियां दिवली, बिष्ट पट्टी व गमरी जिनका संरक्षण और संवर्धन होना है, इनको भी अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए। मान्यवर, इस सम्बन्ध में रिपोर्ट शासन में आ चुकी है। जिस आधार पर भण्डारस्यू को लिया गया है, वही आधार इसके लिए भी उपलब्ध है। रेवेन्यू रिपोर्ट, परगना रिपोर्ट के आधार पर जिस प्रकार से भण्डारस्यू को शामिल किया गया है उसी प्रकार से इन पट्टियों को भी शामिल किया जाए। जिससे इन पट्टियों का भी विकास हो सके।

*श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, आपने बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, हमने महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण सुना भी है, पढ़ा भी है एवं सभी माननीय सदस्यों ने भी पढ़ा होगा। यह एक आत्मा की आवाज है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें जो तथ्य आए हैं और जो कुछ भी कहा गया है, उसमें आपकी मौन सहमति होगी। मुझे ऐसा विश्वास है। मान्यवर, सारे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य विभिन्न विषयों पर बोल चुके हैं। कल्पनाओं पर बोल चुके हैं। मैं इनका रिपीटीशन नहीं करना चाहता हूँ। हमने मतदाताओं को यह कहा कि हम उत्तरांचल का विकास चाहते हैं, हमने यह नहीं कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी का विकास चाहते हैं या फिर हम कॉंग्रेस पार्टी का विकास चाहते हैं या फिर हम बहुजन समाज पार्टी का विकास चाहते हैं। मान्यवर, विकास की मूल भावना इसमें समाहित है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, कुछ दिन पूर्व जब आप इस सम्मानित पीठ पर आसीन हुए तो हमारे साथी माननीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि हमारी यह जो संसदीय परम्परा है वह इंग्लैण्ड की डेमोक्रेसी पर आधारित है। हमने पूरे विश्व से जो अच्छा संविधान है, वह लिया है। मान्यवर, डेमोक्रेसी दो दलों पर आधारित होती है। एक सत्ता पक्ष और दूसरा विपक्ष। हम तो विपक्ष को विपक्ष कहना उचित नहीं समझते, विपक्ष को सहयोग पक्ष कहेंगे क्योंकि राष्ट्र और राज्य को बनाने में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मान्यवर, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करेंगे तो राज्य आगे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। अगर विपक्ष–पक्ष में सहयोग की भावना रहेगी तो आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। मान्यवर, मैं इतिहास का एक बहुत बड़ा क्षण आपके सामने रखना चाहूँगा, इस समय उत्तराखण्ड जो है वह शैशवावस्था में है। उत्तराखण्ड के निर्माण की जो लगन है वह हम सब के दिल में है। मान्यवर, उत्तरांचल आगे बढ़े, उद्योग स्थापित हों, लोगों का जीवन स्तर बढ़े, शिक्षा का स्तर बढ़े, लेकिन यह सब कैसे होगा इसकी जिम्मेदारी जितनी इस तरफ सत्तापक्ष की है तो उतनी ही जिम्मेदारी उधर विपक्ष की भी है।

मान्यवर, इतिहास साक्षी है कि सन् 1870 के दशक में यूरोप में इन्डस्ट्रीयल रेव्यूलेशन की शुरुआत हुई, जिसमें इन्डस्ट्री बढ़ाने की होड़ लगी। उस समय ग्लैडस्टोन लिबरल पार्टी के प्रधानमंत्री थे और अपोज में लेबर पार्टी थी। लेबर पार्टी के नेता डिजराईली थे। उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि इनकी गलत नीति से इन्डस्ट्रीज पिछड़ रही है और जर्मनी, फ्रांस आदि आगे बढ़ रहे हैं और इंग्लैण्ड पिछड़ रहा है, तो ग्लैडस्टोन उठे और उन्होंने कहा कि मिस्टर डिजराइली मेरे पास इंग्लैंड को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी योजनायें हैं, पर मेरी गर्दन में विपक्ष के रूप में आप मिल स्टोन बनकर रह गये हैं, यानी गले में पत्थर लटका दिया। तो यह सुनकर उनको दुःख हुआ और चुप रहे, कुछ नहीं कहा। जब लंच का टाइम हुआ, भोजन का टाइम हुआ तो डिजराइली बाहर मार्केट से एक बहुत बड़ा फूलों का हार लेकर आ गये और ग्लैडस्टोन से कहा कि मैं आपके कंधों से मिल स्टोन हटा रहा हूँ और यह फूलों की माला दे रहा हूँ और आपके हर अच्छे कार्य में साथ देंगे। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर जो काम किया वह इंग्लैण्ड के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ।

मान्यवर, तो मैं कहता हूँ कि पक्ष में माननीय श्री खण्डूडी जी और विपक्ष में हमारे बेटे माननीय श्री हरक सिंह रावत जी अगर मिलकर काम करें तो इंग्लैण्ड जैसी स्थिति होगी। मान्यवर, हम लोग उत्तरांचल की विधानसभा में हैं, लखनऊ की विधान सभा से भिन्नता बहुत है। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच माइक और फट्टे फेंके जाते थे। मुझे खुशी है कि माइक और फट्टे की जगह यहाँ चुटकुलियाँ, हास–परिहास होता है, कितना अच्छा था। मान्यवर, मुझे पिछली

विधानसभा में बैठने का मौका नहीं मिला, लेकिन पहले विधानसभा में था तो माननीय काजी निजामुद्दीन जी के पिता माननीय काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन जी चुटकुलियाँ बहुत करते थे और कहते थे कि यह लखनऊ नहीं यह देहरादून है।

मान्यवर, उनकी चुटकुलियों को भी सुना। उन्होंने भी अपनी चुटकुलियों में कहा यह लखनऊ नहीं है, यह देहरादून है, यह उत्तर प्रदेश नहीं उत्तरांचल है। सत्तापक्ष का साथ देना है, ताकि उत्तरांचल का विकास हो और इसका श्रेय केवल सत्ता पक्ष को नहीं जायेगा, बल्कि विपक्ष के साथ-साथ अन्य दलों को भी जायेगा। मान्यवर, हमारे इस डाक्यूमेंट में एक बहुत अच्छी बात आयी है और यह बात है, वित्तीय प्रबन्धन।

मान्यवर, मैं मुद्दों पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं इसकी जो मूल भावना है, उस पर जाऊँगा। मुझे पता नहीं लगता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को यह प्रेरणा कहाँ से मिली। राजकोष जनता का होता है। हम सब का होता है, इसका दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। इसी भारत वर्ष के इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है, वह है "कौटिल्य और चाणक्य" का। चाणक्य नीति को सभी जानते होंगे। चाणक्य ने राजनीति पर भी लिखा है, धर्म पर भी और वित्तीय नीति पर भी लिखा है। मान्यवर, जब सिकन्दर ने भारत वर्ष पर आक्रमण किया और राजा पुरू को हराने के बाद, सिकन्दर की इच्छा हुई कि अब मैं मगध पर भी आक्रमण करूँ। सिकन्दर ने सुना था, चाणक्य बहुत होशियार और बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, उन्होंने अपने सेनापति सैल्युकश से कहा तुम मगध में जाओ और सीधे राजा से न मिलकर चाणक्य से मिलो और उनसे पता करो कि उनकी शक्ति कितनी है। मान्यवर, सैल्युकश संध्या के समय चाणक्य के घर पहुँचा। संध्या का समय था, चाणक्य लैम्प में कुछ काम कर रहे थे। चाणक्य का दूत अन्दर गया और उसने चाणक्य से कहा सैल्युकश आप से कुछ बात करना चाहते हैं। मान्यवर, चाणक्य ने कहा ठीक है, उसे अन्दर भेज दीजिए। जैसे ही सैल्युकश अन्दर कमरे में गया तो चाणक्य ने वह लैम्प बुझा दिया जिससे वे कार्य कर रहे थे और दूसरा लैम्प जला दिया।

मान्यवर, सैल्युकश ने चाणक्य से कहा महाराज सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे अन्दर आते ही आपने लैम्प क्यों बुझा दिया और दूसरा क्यों जला दिया। मान्यवर, इस पर चाणक्य ने कहा, पहला वाला लैम्प मैंने इसलिए बुझाया क्योंकि उस समय मैं अपना कार्य कर रहा था और दूसरा लैम्प इसलिए जलाया क्योंकि अब आप अन्दर आ गये हैं और यह सरकारी कार्य है। मान्यवर, जब चाणक्य ने सैल्युकश से यह बात कही तो वे बहुत प्रभावित हुए। सैल्युकश ने सोचा जिस प्रदेश में वित्तीय प्रबन्धन इतना अच्छा हो उसको जीतना कठिन है। मान्यवर, सिकन्दर ने कहा मैं मगध पर कभी चढ़ाई नहीं करूँगा, जिस देश का सरकारी

व्यक्ति, सरकार के कार्य के लिए सरकारी खर्च तथा निजी कार्य के लिए निजी खर्च करता होगा, मान्यवर, उस देश का सैन्य प्रबन्धन कितना महान होगा। मैं मगध पर चढाई नहीं करूँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय खण्डूडी जी के मन में जो ज्वाला है, उत्तराखण्ड को आगे बढाने की, यह वित्तीय प्रबन्धन की प्रेरणा है, यह कही चाणक्य से ही न हो। इस डाक्यूमेंट में जो वित्तीय प्रबन्धन की बात की गयी है, मैं इसका भी आदर करता हूँ, उन्होंने कहा मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, मैं अपनी कार्य प्रणाली की बात कर रहा हूँ। मान्यवर, तीसरी बात उन्होंने कही स्वच्छ प्रशासन। उन्होंने कहा कि सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए। मान्यवर, सन्त कबीर भी इस देश की आत्मा हैं। कबीर ने कहा–

कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर।
न काहू से दोस्ती न काहू से बैर।।

मान्यवर, स्वच्छ प्रशासन, पारदर्शी प्रशासन, किसी से दोस्ती नहीं, किसी से बैर नहीं है। मैंने किसी मुद्दे पर बात करना उचित नहीं समझा, सिर्फ इतना कहूँगा माननीय नेता प्रतिपक्ष से, आप उत्तर प्रदेश में मेरे साथ पर्यटन राज्य मंत्री रह चुके हैं। जिस तरह इंग्लैण्ड में ग्लैडस्टोन और डिजाइली का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा पाया जाता है, वहीं भूमिका आप उत्तराखण्ड के लिए 5 वर्षों में करें, यह इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा चौ0 यशवीर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

मान्यवर, वक्तव्य आ गया है, यदि अनुमति हो तो सदन के समक्ष रख देता हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, चौ0 साहब के बोलने के बाद रख दीजिएगा।

*चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी जो हिन्दी फिल्में होती हैं, जब उसमें कोई सीन नहीं मिलता तो हॉलीवुड से चुरा लेते हैं। वही हाल इनका है। यह अभिभाषण, महामहिम राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी ने यहां पर 6 वर्ष पूर्व जो अभिभाषण दिया था, उसकी नकल है। यहां उक्रान्द के हमारे साथी बैठे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुए हैं, इनसे एक बात कह रहा हूँ। इन पर ज्यादा विश्वास न करें। ये गणेश जी को दूध पिलाने की बात करते हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हम हाथी को गन्ना भी खिलाते हैं।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, इसमें बहुत सी लोक लुभावन बातें कही गयी हैं यदि भाजपा अपनी बात पर अडिग रही तो ये अच्छा प्रशासन देंगे, इसमें शक नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) इन्होंने कहा कि राज्य को विकास की ओर ले जाएंगे। खर्च को कम करेंगे। तो मान्यवर, इन्होंने कल से ही कम करना शुरू कर दिया है। विधान सभा की कार्यसूची, जो डेस्क पर मिलती है, कल से नहीं मिल रही है। पहाड़ी क्षेत्र में उद्योगों की बात की है, चीनी मिलों की बात कही, दलितों के विकास की बात कही। बालिकाओं को विद्यालय तक मुफ्त शिक्षा देने की बात कही, रोजगार की बात कही है, भय मुक्त समाज की बात कही है। इस प्रकार काफी बातें कही गयी हैं। लेकिन वह लागू कैसे होगा, इस अभिभाषण में कहीं नहीं कहा है। यह कैसे लागू होगा, नीति क्या होगी, निर्धारण इसका कैसे होगा, यह कहीं नहीं कहा गया।

इन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि रोजगार को बढ़ावा देंगे। रोजगार जो अभी मैदानों में चल रहा है, उसकी बात विधान सभा में उठ चुकी है कि 80 प्रतिशत तक उत्तराखण्ड के लोगों को रोजगार दिला दीजिए। इसको ही कम्पेनिंग में ले आते, मान्यवर, अगर वहाँ पर ही रोजगार दे देंगे तो काफी परेशानी बेरोजगारी की कम हो जायेगी। मान्यवर, पहाड़ों में उद्योग लगाने की बात आपने कही तो अच्छा होता आप यह घोषणा करते कि जो उद्योगपति पहाड़ों पर उद्योग लगायेगा उसको हम सब्सिडी देंगे, जो उद्योगपति पहाड़ों में उद्योग लगायेगा उसे हम सेल टैक्स में छूट देंगे, जो उद्योगपति पहाड़ों पर उद्योग लगायेगा उसे हम छूट देंगे तो वहाँ पर अपने आप भी उद्योग लग जाते। मान्यवर, आपने कहा है चीनी मिलों का अधिग्रहण करेंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि गन्ना तो है नहीं, उत्तर प्रदेश से आप गन्ना ले रहे हैं तो आप क्या अधिग्रहण करेंगे। अच्छा होता अगर आप कहते कि चीनी मिलों के काश्तकारों को गन्ना उगाने में मदद करेंगे, उनको बीज पर सब्सिडी देंगे, खाद पर सब्सिडी देंगे। (व्यवधान)

मान्यवर, पहले आप मेरी बात सुन लें, अच्छा होता कि आप यह कहते कि जो काश्तकार एक हजार या पन्द्रह सौ क्विंटल गन्ना मिल में लायेंगे, उन्हें हम एक या दो रुपया बोनस देंगे। मान्यवर, जो अभिभाषण यहाँ पर पढ़ा गया है, उसमें कहीं भी काश्तकार की बात ही नहीं की गई है, चाहे वह छोटा काश्तकार हो या बड़ा

काश्तकार हो, आम का काश्तकार हो, लीची का काश्तकार हो, सेब का काश्तकार हो या नाशपाती का काश्तकार हो। कहीं कोई बात ही नहीं कही गई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो एक प्रश्न भी लगाया था लेकिन आज वह नहीं आ पाया है। सबसे बड़ी जो समस्या आज काश्तकार की है वह बिजली के बिलों की है, सरचार्ज की है। मान्यवर, आज मार्च का महीना एंड पर है, अच्छा होता कि आप यह कहते कि हम सरचार्ज को कम करेंगे, काश्तकार बिजली का बिल देने के लिए तैयार हैं और आज काश्तकारों का 12 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक का बिल पेंडिंग है। आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का भी करेंगे जो उत्तर प्रदेश का पेंडिंग है उसको आप कहाँ से कैसे कम करेंगे, जो चीज आपके अधिकार में ही नहीं है, उसे कैसे करेंगे?

मान्यवर, बालिकाओं की मुफ्त शिक्षा की बात है, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए नीति की बात आपने कही है। मान्यवर, लेकिन हालत क्या है, प्राइमरी स्कूल की बात है तो आप कहीं भी स्कूल में चले जाइये, बच्चे हाथ में तख्ती और टाट की बोरी लेकर के स्कूल जा रहे हैं, स्कूलों में कम से कम बैठने की व्यवस्था की बात होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें पेयजल की बात कही गई है, यहाँ पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप केवल यह दिखवा लें कि कितने नल खराब हैं और मैं यह बताना चाहता हूँ कि लगभग 80 प्रतिशत नल आज खराब हैं, अगर आप उनको ही ठीक कर दें तो मैं समझता हूँ कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो जायेगी। मान्यवर, कांग्रेस सरकार की बात को छोड़ दें, हम तब भी विपक्ष में थे और आज भी विपक्ष में हैं। कॉंग्रेस की सरकार हो या आपकी सरकार हो किसी के पास जादू की छड़ी नहीं होती कि एक ही दिन में सब सही कर दें। (मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, अभी हम देखेंगे और सरकार काम नहीं करेगी तो यहाँ भी विरोध करेंगे और सड़कों पर भी विरोध करेंगे, अभी तो नये हैं, 10-15 दिन देखते हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, अन्त में दो लाइन कहना चाहता हूँ कि :-

"तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे,
मेरे आंसू तेरे आंखों से निकल सकते थे,
तुम तो ठहरे ही रहे, बरसात के पानी की तरह,
दरिया बनते तो बहुत दूर तक निकल सकते थे।"

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ।

मान्यवर, मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आदरणीय डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक" जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और आदरणीय बिशन सिंह चुफाल जी ने जो समर्थन किया उसी क्रम से अपने आपको जोड़ते हुए महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण का समर्थन करता हूँ। श्रीमन्, अभिभाषण पर पक्ष, प्रतिपक्ष और इस सदन के सभी पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये। निश्चित रूप से हममें से प्रत्येक सदस्य जो इस सदन में चुनकर आया है, उनके ऊपर इस प्रदेश की जनता का भरोसा है कि इस विधानसभा में जितनी नीतियों और कार्यक्रमों पर हम चर्चा करेंगे उन नीतियों और कार्यक्रमों को निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर जैसा कि माननीय केदार सिंह फोनिया जी ने कहा तो उनका भी हम सभी को मार्ग दर्शन मिलेगा। दलगत नीतियों से ऊपर उठकर हमें काम करना चाहिए। उत्तरांचल राज्य की बुनियादी अवधारणा पर यदि मैं चर्चा करूँ तो तमाम और विशेषकर माननीय दिवाकर भट्ट जी, जो इस आन्दोलन से जुड़े रहे, मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तरांचल राज्य की बुनियाद में कुछ बुनियादी सवाल थे। हम राज्य आन्दोलन के समय उत्तर प्रदेश में थे।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, तब आप सपा में थे, लाठी–गोली चलवा रहे थे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, हम कहीं भी थे। लेकिन मुझे यह कहते हुए फक्र होता है कि उत्तरांचल की जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसको सींचने में यदि कुछ पानी लगा तो उसमें कुछ पानी मेरे हाथ का भी लगा और मुझे अफसोस होता है कि जो लोग आज उत्तरांचल के सीने में दाल और मूँग दलने का काम कर रहे हैं, वही दिल्ली में बैठकर उत्तरांचल राज्य बनने का विरोध किया करते थे। उत्तरांचल राज्य की बुनियादी जो अवधारणा थी कि पर्वतीय क्षेत्रों में रोजी–रोटी की तलाश में हमारा पलायन रुकेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की विधान सभा में हमारे जैसे लोग नारा दिया करते थे। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में जब हम उत्तरांचल की बात करते थे तो लोग हमसे प्रश्न किया करते थे कि मुन्ना भाई उत्तरांचल यदि बना तो उसके चलाने के लिए संसाधन कहाँ से आयेंगे? तो हम लोग कहा करते थे कि उत्तरांचल के पानी और जवानी का समन्वय करके हम उत्तर प्रदेश से इसे देश का सिरमौर बनाने की कोशिश करेंगे। हम कहा करते थे कि हम उत्तरांचल राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे, इसके जल संसाधनों का इस प्रकार से विकास करेंगे कि यहाँ के बेरोजगार बच्चों को, नौजवानों को जो रोजगार की तलाश में महानगरों की गलियों में खाक छानते हैं तो इस पलायन को हम समाप्त करने का काम करेंगे।

महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण जो प्रस्तुत किया गया उसकी शुरूआत में यह कहना चाहता हूँ कि प्रथम बार उत्तरांचल के अन्दर किसी सरकार ने अभिभाषण में इस बात की चिन्ता की कि आखिरकार जिन खाली हाथों में रोजगार नहीं, जिन पढ़े–लिखे बेरोजगार भाई–बहनों के पास रोजगार नहीं है तो यह सरकार को चिन्ता करनी चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है। इस बात को जोर देकर इसलिए भी मैं कहता हूँ कि जहाँ पर संसदीय लोकतंत्र के पैरोकार कल्याणकारी राज्य का सिद्धान्त था। समाज का हर वह अन्तिम व्यक्ति जिसके उत्थान की हम बात करते हैं, उसकी जिम्मेदारी सरकार का उत्तरदायित्व है। इस नवगठित सरकार ने, जिन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता उन बेरोजगारों को भत्ते के बारे में, इस सरकार ने गम्भीरता से सोचा। श्रीमन्, इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने का संकल्प था अफसोस कि पाँच वर्ष के कार्यकाल में इस प्रदेश के अन्दर एक मेगावाट दूर एक किलोवाट विद्युत का उत्पादन नहीं हुआ। आज प्रदेश चार सौ, पाँच सौ मेगावाट की कमी की चपेट में है। ऊर्जा प्रदेश की स्थापना देखने वाली, ऊर्जा प्रदेश का नारा लगाने वाली, मैं अपनी प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार से जानना चाहता हूँ कि एक मेगावाट ऊर्जा की दिशा में आपने क्या काम किया, यह सोचने की बात है।

माननीय अध्यक्ष जी, यदि तमाम सारे भाषणों को उठाकर देखें सभी लोग कहते हैं, जैसे हमने कहा उत्तरांचल की जवानी और पानी, जवानी से तात्पर्य था यहां के जो युवा हैं। इसका उपयोग हम इसके नवनिर्माण के लिए करेंगे। यदि हम गुणवत्तात्मक शिक्षा की दृष्टि से देखें तो आज उत्तरांचल में गुणवत्ता कम नहीं है लेकिन इसे पीछे धकेलने का काम किया है एजुकेशनल शिक्षा ने जिसका कि बाजारीकरण हो गया है। एजुकेशनल संसाधन यहाँ तमाम सारे खुले हैं। आज हालात यह है कि लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके माँ–बाप अपने बच्चों को उनमें पढ़ाते लिखाते हैं। जिस डिग्री को लेकर उनके बेटा–बेटी रोजगार के बाजार में जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी मान्यता नहीं है। यह उत्तरांचल के साथ एक धोखा है, इसके बारे में सरकार ने गम्भीरता से सोचा, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, माननीय दिवाकर भट्ट जी ने एक विषय उठाया। हम विधान सभा में नहीं थे तब विधान सभा मे परिसीमन पर चर्चा इस सदन के अन्दर हुई। इस विधान सभा की गरिमा को तब ठेस पहुँची हुई होगी। हमने इस प्रदेश को दो भागों में बाँट दिया।

मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि परिसीमन के मुद्दे पर पहाड़ और मैदान का मुद्दा कहीं नहीं है। मैं दिवाकर भट्ट जी से अपने आप को जोड़कर कहना चाहता हूँ कि परिसीमन पर यदि हम सोचना समझना चाहते हैं तो इस सम्बन्ध में दक्षिण भारत के राज्यों की एक डिबेट हुई थी, जिसमें डिलिमिटेशन की बात पर

यह कहकर आपत्ति की गई थी कि दक्षिण भारत ने पॉपुलेशन में कन्ट्रोल कर लिया है, जिससे भारत की संसद के अन्दर उनके राज्यों के सदस्यों की संख्या घट जायेगी। जिन राज्यों ने पॉपुलेशन कन्ट्रोल करने में खराब प्रदर्शन किया, उन राज्यों की लोकसभा और विधान सभा सदस्य संख्या बढ़ेगी। मान्यवर, मैं अपनी बात का आधार वही लेकर कहना चाहता हूँ यदि परिसीमन उत्तरांचल के सन्दर्भ में करें तो महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र के अन्दर जो परिसीमन का स्वरूप है। श्रीमन्, वही स्वरूप हमारे यहाँ भी हो। उत्तराखण्ड राज्य का विकास भी मुम्बई और केरल की तर्ज पर होना चाहिए। श्रीमन्, पूरे देश के अन्दर परिसीमन किया गया है। मान्यवर, जिस तरह का परिसीमन हुआ है, वह उत्तरांचल की भौगोलिक स्थिति को मद्‌देनजर रखते हुए नहीं किया गया है। और इस परिसीमन से राज्य के विकास कार्यों में भी कमी आयेगी।

मान्यवर, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में रहकर इस क्षेत्र का उतना अच्छे ढंग से विकास नहीं हो पाया जितने अच्छे ढंग से होना चाहिए था। मान्यवर, राज्य के विकास की तर्ज पर ही उत्तराखण्ड बना था। मान्यवर, इस प्रदेश का उतनी तेजी से विकास नहीं हो पाया, जितनी कि तेजी से विकास होना चाहिए था। मान्यवर, हमारी सरकार के समय में उत्तराखण्ड का विकास होगा। मान्यवर, जिस तरह का विकास मुम्बई, केरल आदि प्रदेशों का हुआ है, उसी प्रकार से हमारे राज्य का विकास भी तेजी से होगा। मान्यवर, विकास के मुद्दे पर सभी को एक होना चाहिए और इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। मान्यवर, कुछ दिन पूर्व देहरादून और इसके नजदीकी क्षेत्र में जो ओलावृष्टि हुई है, इससे प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है। मान्यवर, हमें इस तरह की आपदा, दैवीय आपदा के बारे में भी सोचना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं की आशंका होने से पूर्व सूचना मिले, जिससे कि आम जनता सजग हो सके। मान्यवर, इस सदन में बैठे माननीय सदस्यगण, शासन और प्रशासन को इस सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में लोक निर्माण विभाग या अन्य विभाग में आज भी मस्ट्रोल-रोल के अन्तर्गत कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। इस व्यवस्था में संशोधन किया जाना चाहिए।

मान्यवर, बेरोजगारी इस प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है इस दिशा में हमारी सरकार सकारात्मक कार्य करेगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूँ कि-

"घर से मस्जिद है, बहुत दूर।
चलो यूँ कर लेते हैं,
किसी रोते हुए बच्चे को हंसा लेते हैं।"

मान्यवर, इसी शायरी को हमारे माननीय सदस्य "काजी" निजामुद्दीन जी भी भली-भांति जानते होंगें। मान्यवर, मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी कि बेरोजगार नव युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना। मान्यवर, समाज के दबे-कुचले वर्ग के लोगों को भी हम समाज की मुख्य धारा में लायेंगे और इनको समुचित शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि जीवन यापन की सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे।

मान्यवर, कहीं न कहीं विचार होना चाहिए। मस्टर रोल व वर्ग-4 के कर्मचारियों का विनियमितीकरण की बात है। जिस तरह से हमारे बहुत से साथियों ने अलग-अलग विषयों पर, तमाम व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाया है। जैसे माननीय केदार सिंह फोनिया जी ने अपनी वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर अपने विचार व्यक्त किए। मान्यवर, कांग्रेस की सरकार ने किस तरह से इस प्रदेश को खाया है इस बारे में मैं एक कहानी माननीय सदन को सुनाना चाहता हूँ। मान्यवर, एक बार एक व्यक्ति एक होटल में गया तो उसके बाहर बोर्ड लगा था नाती-पोतों की दुकान। यह देखकर उस व्यक्ति ने होटल मालिक से पूछा कि इसका क्या मतलब है तो उसने कहा कि यहाँ आप जो भी खायेंगे उसका बिल आपके नाती-पोते देंगे। यह सुनकर उस व्यक्ति ने जमकर खाया और खाने के बाद जब उसके पास बिल आया तो उसने कहा कि अभी तो आपने कहा था कि बिल नाती-पोते देंगे। इस पर होटल मालिक ने कहा यह आपके दादा जी का बिल है। हमारी सरकार और नारायण दत्त तिवारी सरकार ने किस तरह से जैसे एक व्यक्ति ने खाना खाया और उसका बिल कोई और भरे, वह खाना खाया है कांग्रेस वालों ने और बिल हमारी सरकार भरे।

मान्यवर, कांग्रेस की सरकार ने सोलह हजार करोड़ रु0 का कर्ज उत्तराखण्ड प्रदेश पर कर दिया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जिसकी जनसंख्या हमारे प्रदेश से कई गुना अधिक है। सन् 1947 से 92 तक लगभग 53 साल हो गये वहाँ पर कर्ज लगभग 72 हजार करोड़ है लेकिन उत्तरांचल जिसकी आबादी लगभग 85 लाख है और इस पर पांच साल में 16 हजार करोड़ कर्जा करके कांग्रेस की सरकार ने हमारी पीढ़ियों को भी गिरवी कर दिया है। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

काजी निजामुद्दीन, श्री सुरेन्द्र राकेश एवं श्री प्रेमानन्द महाजन द्वारा नियम-310 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री का स्पष्टीकरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पंत)-

मान्यवर, नियम-310 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री काजी निजामुद्दीन, माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री प्रेमानन्द महाजन ने जो प्रश्न उठाया था उसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बी0एच0ई0एल0 हरिद्वार में कार्यरत श्री महफूज अहमद पुत्र फकरूद्दीन वर्तमान निवास मकान नं0-47 टाईप-2 सेक्टर-1, बी0एच0ई0एल0 हरिद्वार

को आवास विकास परिषद् द्वारा प्लाट नम्बर एस-418 शिवालिक नगर बी0एच0ई0एल0 हरिद्वार द्वारा आवंटित किया गया था। उक्त प्लाट पर 02 वर्ष पूर्व आवास विकास परिषद् से महफूज अहमद द्वारा मकान का नक्शा पास कराये बिना।

मान्यवर, मकान का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया था, उस मकान के सम्बन्ध में आवास विकास परिषद् द्वारा 27-8-04 एवं दिनांक 11-11-05 को अवैध निर्माण को लेकर श्री अहमद को नोटिस दिया गया, उक्त आवास में नमाज नहीं कर रहे हैं। इस आवास के निकट एक अन्य आवास श्री सर्फउद्दीन पुत्र कमरूद्दीन द्वारा खरीदा जाना ज्ञात हुआ है। अपुष्ट जानकारी के अनुसार क्षेत्र के निवासियों द्वारा इसे भी धर्मस्थल के रूप में प्रयुक्त किये जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इन आवासों के आसपास अन्य आबादी भी है। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा घटनाक्रम पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। वर्तमान में स्थल पर शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन-

मान्यवर, वर्ष 2000 से नमाज हो रही है, इस बीच आपकी सरकार थी, उस टाईम आपकी सरकार थी और नई बात नहीं है, नये प्रमाण की बात नहीं है, वहाँ नमाज अदा हो रही थी। मान्यवर, मैंने 5 साल नोटिस में लिखा है पर वहाँ 7 साल से नमाज हो रही थी, आज ही इस नई सरकार के आने से वहाँ नमाज के लिए रोका जा रहा है, वहाँ नमाज अदा होती रही थी। वरना ऐसे कितने धर्मस्थल होंगे जिनकी हम जाँच करायें चाहे मन्दिर हों चाहे मस्जिद हों, आप मुझे पूरी सूची उपलब्ध करा दें तो मैं समझता हूँ कि आधे से ज्यादा धर्मस्थल सही नहीं हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, उस भूमि की जो रजिस्ट्री हुई है, उसमें है कि इस मकान का उपयोग आवासीय में होगा। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उसका प्रयोजन मस्जिद के रूप में हो रहा है।

(घोर व्यवधान)

श्री शहजाद-

मान्यवर, वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। मान्यवर, वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि ताला लगा दो और नमाज अपने घरों में पढ़ो।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, अद्यतन स्थिति यह है कि वहाँ शान्ति व्यवस्था है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, पिछले 7 साल से कोई अशान्ति नहीं थी आज ही क्यों?

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, 27–8–04 को भारतीय जनता पार्टी गठबन्धन की सरकार नहीं थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। 11–11–05 को भारतीय जनता पार्टी गठबन्धन की सरकार नहीं थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। इस समय मिस्टर अहमद को नोटिस जारी किया गया। श्रीमन्, राज्य का ही नहीं इस देश के किसी भी स्थल पर आवासीय परिसर पर किसी भी धर्म के इस तरह से कार्य करने की इजाजत......।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा नहीं हो रही है, ग्राह्यता की बात थी।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, 7 साल में आज ही ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार जवाब दे कि यहाँ 2 लोगों में झगड़ा हुआ।

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, आज कोई एफ0आई0आर0 नहीं हुई, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, घटना हुई है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी निजामुद्दीन एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में आकर अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, इसमें कहीं से कहीं तक समझौता नहीं हो सकता है। मान्यवर, पिछले सात साल से वहाँ पर कोई अशांति की घटना हुई हो और किसी के बीच में वहाँ पर तनाव पैदा हुआ हो तो सरकार बतायें। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जब कोई घटना ही नहीं हुई हो और कोई एफ0आई0आर0 या मुकदमा ही दर्ज न हुआ हो तो फिर माननीय सदस्य बतायें कि यह किस तरह की घटना है? (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इस सरकार में दलित, शोषित वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं हैं। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य के अन्दर सौहार्द का वातावरण बनाना चाहती है। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, वहाँ पर कोई घटना हुई ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूँ कि आप किन नियमों के अन्तर्गत बोल रहे हैं? न तो आपकी कोई सूचना है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, (व्यवधान)।

[x x x]

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर चले गये और भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी ने जो कुछ भी कहा है, वह कार्यवाही में अंकित नहीं किया जायेगा। बिना नियमों के, बिना सूचना के बोलेंगे तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूँगा।

जो बातें बिना नियम के, बिना पूर्व सूचना के बोली जायेंगी, वह कार्यवाही में अंकित नहीं की जायेंगी

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस विभाग, सतर्कता विभाग है और वर्तमान में स्थल पर शान्ति व्यवस्था है और वहाँ पर यथास्थिति बरकरार रहेगी।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री शहजाद–

मान्यवर, क्या वहाँ पर नमाज पढ़ी जायेगी?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इस सम्पूर्ण प्रकरण का परीक्षण कराया जाएगा। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, वहाँ पर माईक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जो चलता आ रहा है, वह तो चलता रहे। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, व्यक्तिगत आवास में कोई नमाज या अन्य गतिविधि नहीं होती। ऐसा कोई कानून या विधि नहीं है जो वर्तमान में शान्ति रहेगी है, वह कायम व्यवस्था (व्यवधान)

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, पिछले सालों से जो चला आ रहा है, वह चलता रहना चाहिये। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इस घटनाक्रम में जिस विवादित मकान का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, इस भवन की रजिस्ट्री में लिखा है कि उक्त आवास का प्रयोग आवासीय

नोटः– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

प्रयोजन से किया जाएगा। इस बात का आश्वासन सरकार कैसे दे सकती है कि उसमें नमाज होती रहे। मान्यवर, सरकार की जिम्मेदारी है कि शान्ति व्यवस्था बनी रहे तो सरकार शान्ति व्यवस्था कायम रखेगी। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, ताला बन्द करके शान्ति नहीं फैलेगी। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वहाँ पर यथास्थिति रहेगी। इसको हम बाद में बैठकर सुलझा लेंगे। इसकी रजिस्ट्री में प्रयोजन बदल लें तो किसको आपत्ति होगी? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है तो नमाज पढ़ी जानी चाहिए।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, वहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, वहाँ पर माईक की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर मुश्किल से 5–10 आदमी नमाज पढ़ते हैं। उसमें ताला होगा तो उसके बाद तो वहाँ पर असुरक्षा की भावना होगी।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, हम पूरे प्रकरण की जाँच करा लेंगे। हम इसका आश्वासन कैसे दे सकते हैं कि कोई धर्म विशेष इसका प्रयोग नमाज पढ़ने के लिए करे? (व्यवधान) श्रीमन्, मेरे पास जो प्रमाण है, तत्काल एक घण्टे के अन्दर पूरी जानकारी मंगवा ली। उस आवासीय भवन की रजिस्ट्री में लिखा है कि उक्त भवन आवास के प्रयोजन के लिए है। मान्यवर, नक्शे के आधार पर मकान बनता है। इसका नक्शा भी पास नहीं हुआ है। वह अवैध निर्माण है। जब इसका निर्माण हो रहा था तो 27–8–2000 तथा 11–11–2005 को दो बार इसका चालान हुआ कि अवैध निर्माण कर रहे हैं। यदि वहाँ पर कोई घटनाक्रम होता है तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वहाँ पर शान्ति व्यवस्था कायम रहे। (व्यवधान)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, इस बात का दबाव क्यों डाला जा रहा है कि अवैध निर्माण पर धर्म विशेष को नमाज पढ़ने दी जाय? (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह पिछले 7 साल से चल रहा है। मेरा निवेदन है कि उसका ताला खुलवा दें। फिर उसकी जो जाँच करवानी है, करवाई जाय। (व्यवधान)

सिंचाई एवं पेयजल मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी,

श्री अध्यक्ष–

माननीय कण्डारी जी, मैं चर्चा नहीं कराना चाहता, आप बैठ जाएं।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, हम यह मांग नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसका नक्शा पास करा दीजिये और जिस हिसाब से नक्शा होगा उसी प्रकार से उसका उपयोग किया जायेगा।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, क्या घरों में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, क्या नमाज पढ़ने के लिए नक्शा जरूरी है?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, कौन सी किताब में लिखा है कि नमाज पढ़ने के लिए नक्शा जरूरी है, अवैध निर्माण जरूरी है या वहाँ पर मकान जरूरी है, नमाज तो खुली जगह पर पढ़ी जा सकती है, वहाँ पर पिछले साल सालों से नमाज पढ़ी जा रही है, वहाँ के लोगों की भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाई गई है?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि यह सदन किस प्रकार से व्यवस्थित होगा, विपक्ष के माननीय सदस्य ट्रेजरी बेंच पर क्या कर रहे हैं? इस पर मैं आपका संज्ञान चाहता हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, जब वहाँ पर सालों से नमाज पढ़ी जाती रही है तो आज ताला क्यों लगा?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, जहाँ पर 3–3, 5–5 मील तक मस्जिद नहीं है, वहाँ के लोग इबादत के लिए कहाँ जायेंगे? हमारी तो माँग है कि जो ताला वहाँ पर लगा है उसे ज्यों का त्यों खोला जाना चाहिए।

श्री शहजाद–

मान्यवर, अगर वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जायेगी तो कहाँ पढ़ी जायेगी?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

हाजी तस्लीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, जब कुछ हुआ ही नहीं तो फिर वहाँ पर ताला क्यों लगाया गया है?

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, अवैध निर्माण तो लाखों में हुये हैं, कहाँ–कहाँ पर ताला लगाया जायेगा, हमको सिर्फ वहाँ पर नमाज पढ़ने का आश्वासन चाहिए।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, वहाँ पर मालिक का ताला लगा है, प्रशासन का ताला नहीं लगा है।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य अपने स्थानों पर बैठ गये।)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपना भाषण देने के लिए खड़े नहीं हुये।)

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत) एवं मतदान

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे विचार रखने का मौका दिया, मुझे तो लग रहा था कि एक संख्यक होने के नाते आपकी नजर मुझ पर पड़ेगी भी या नहीं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, आप एक संख्यक ही नहीं एकमात्र भी हैं। (हँसी)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, चूँकि समय का अभाव है और समय के अभाव को देखते हुये मैं सूक्ष्म में कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ और कुछ ऐसे बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जो आज की कार्यवाही में शामिल हो जाय और आने वाले समय में उन पर सरकार द्वारा कार्यवाही हो सके।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जितने भी नगर हैं प्रदेश के, विशेष तौर पर मैदानी क्षेत्रों के नगरों का विकास बहुत ही असंतुलित तरीके से हो रहा है और छोटे–छोटे प्रापर्टी डीलर जो नगर के चारों ओर एक–दो एकड़ जमीन खरीद कर बिना सड़कों का प्राविजन किये, बिना पानी, बिना बिजली का प्राविजन किये मात्र एक व्यवसाय की तरह छोटे–बड़े प्लाटों के रूप में काटकर पैसा कमा कर चले जाते हैं। वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग यहाँ नीचे आ रहे हैं वे आते हैं और प्लाट लेकर भवन बनाना शुरू कर देते हैं इसके बाद इनमें न पानी की व्यवस्था होती है, न बिजली की और उसके बाद नगर पालिकाओं पर विभिन्न समुदायों के प्रति दबाव पड़ता है, सिस्टम अव्यवस्थित रहता है।

मान्यवर, नगर पालिकाओं के चारों तरफ यह हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, यह नगरीय विकास सही करने की बड़ी आवश्यकता है।

मैंने पिछली सरकार के समय में एक सुझाव रखा था कि जैसे हरियाणा डेवलपमैन्ट अथॉरिटी है उस तरह से पंजाब डेवलपमैन्ट अथॉरिटी है, उनको इतने अधिकार दिये गये हैं कि सेक्टरवाईज करने के बाद सैक्टरों को नियमानुसार अलॉट कर चाहे वह प्राईवेट प्रापर्टी डीलर हो या कोई संस्था, जब तक सारी सुविधाएं देने का नक्शा प्राप्त नहीं हो जाता, उसकी मंजूरी नहीं दी जाती है और अब तो पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली के आस–पास भी अपनी–अपनी बनाई गई अर्बन डेवलपमैन्ट अथॉरिटी के माध्यम से ही शहरी विकास किए जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपने सूत्र में बात करके अपनी बात को समाप्त करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, उत्तरांचल में भी एक अरबन डेवलपमैन्ट अथॉरिटी का निर्माण होना चाहिए जिससे आवासीय जो समस्या हो रही है, उसे हल किया जा सकें। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा इस अभिभाषण में, चाहे सरकार के पास समय की कमी रही हो या

और कुछ भी कारण हो, प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन की बात इसमें नहीं आई है। छोटे राज्य में छोटी इकाईयों का पुनर्गठन होना अति आवश्यक है। इसलिए नये जिलों को बनाये जाने की माँग है। काशीपुर की बहुत पुराने समय से जिला बनाने की माँग हो रही है। काशीपुर में रामनगर, जसपुर एवं बाजपुर को मिलाते हुए जिला बनाने की बड़ी पुरानी माँग है। जहाँ काशीपुर को जिला बनाया जाये, वहीं प्रदेश में और भी जहाँ–जहाँ नये जिले बनाने की आवश्यकता हो, इकाईयों का निर्माण किया जाये जिससे प्रदेश का संचालन अच्छे तरीके से हो सके। ऐसी व्यवस्था करने के लिए नये जिलों का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। प्रदेश के किसानों की वर्ग–4 की जो जमीन है, पिछले कई सालों से किसानों की माँग चली आ रही है कि वर्ग–4 की जमीन का विनियमितीकरण किया जाये। पिछली सरकार ने विनियमितीकरण तो कर दिया।

मान्यवर, लेकिन उसका नजराना इतना रख दिया कि किसानों को नियमितीकरण कराने के लिए पाँच से सात लाख तक प्रति एकड़ नजराना देना पड़ता है। पूरे प्रदेश में दो परसेन्ट किसानों ने अपना नियमितीकरण नहीं कराया, ये जो नियम पिछली सरकार ने बनाया है उसके नजराने में कमी की जाये ताकि वर्ग चार की भूमि का नियमितीकरण कराया जा सके।

मान्यवर, स्थायी निवास प्रमाण–पत्र और जाति प्रमाण–पत्र बनाये जाने के लिए लोग मारे–मारे फिर रहे हैं और हमारी तहसीलों और जिला स्तर के कार्यालयों में बहुत ही खराब स्थिति है। मैं कहना चाहता हूँ कि स्थायी निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र की जो प्रक्रिया है उसका सरलीकरण किया जाये, जब तक इसका सरलीकरण नहीं होगा तब तक जनता त्रस्त रहेगी। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में विधवा, वृद्ध और विकलांगों को पेंशन दिये जाने का प्राविजन है इसमें जो कन्डीशन लगी है कि 18 साल का जिसका लड़का है उसको पेंशन प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पर जो वृद्ध, विधवा और विकलांग हैं उनमें से 98% को पेंशन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। हमारी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और 18 साल की कन्डीशन को हटाया जाना चाहिए।

हम अपनी सरकार से यह अपेक्षा करेंगे कि आने वाले समय में यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा विधान सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण कराया जाये जिससे हमारे यहाँ के आचरण को सीधे प्रसारण के रूप में हमारी जनता देख सके कि हम यहाँ पर करते क्या हैं। मैं ज्यादा बिन्दुओं पर न जाकर जो यह दस्तावेज हमारी सरकार ने रखा है वह सराहनीय है। मान्यवर, ऊर्जा प्रदेश बनाने की बात पूर्व सरकार ने की थी। आज हमारी सरकार ने चलती हुई नदियों में छोटी–छोटी परियोजनाओं को लेकर के नये प्रकार से विद्युत उत्पादन की योजना बनाई है। पिछली सरकार ने इसे पूँजीपतियों के हाथों में दे रखा था। हमारी सरकार ने इसमें स्थानीय उद्योगपतियों को शामिल होने का सुअवसर दिया है।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने बेरोजगारों के लिए जो रोजगार की बात कही है और वे रोजगार मिलने से पूर्व कम से कम शिक्षित हो जायें, मैं मुख्यमंत्री जी का इसके लिए आभारी हूँ कि कम से कम रोजगार मिलने पर वे अपने रोजगार में सफल हो सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की योजना भी बनाई है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। बहुत–बहुत धन्यवाद।

*श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण संशोधन पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद अदा करता हूँ। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सभी सम्मानित सदस्यगण हैं, उनके द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण संशोधन के रूप में कही इन सब बातों से अपने आप को सम्बद्ध करते हुए मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखूँगा। इस अभिभाषण में अल्मोड़ा की कुछ समस्यायें हैं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि जिन्होंने राज्य की स्थापना के लिये अपने प्राण न्यौछावर किये, उन आन्दोलनकारी शहीद लोगों की यादों को अमर रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

दूसरी बात मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहता हूँ कि अल्मोड़ा नगर की जो एक भीषण समस्या है वह पानी की है। मान्यवर, अल्मोड़ा पेयजल विभाग द्वारा जो "सरयू– सेराघाट पम्पिंग पेयजल योजना" का प्रस्ताव शासन में आया है। उसका निर्माण कार्य शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाना चाहिए, लेकिन इस बात का भी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है। तीसरी बात मान्यवर, यह है कि हमारे राज्य में जो महान विभूति हैं मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जो हमारे राज्य के विद्यालयों में पुस्तकें बांटी गयी हैं उसमें इन महान विभूतियों के नाम को जोड़ा जाय जिससे हमारे उन बच्चों को उन महान विभूतियों की पूरी जानकारी हो सके कि हमारे प्रदेश में उनका क्या योगदान रहा।

मान्यवर, अल्मोड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिये जो घोषणा की गयी थी उसका जिक्र भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। अल्मोड़ा में सेन्टर पुस्तकालय और लॉ फैकल्टी यथा शीघ्र

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खोली जाय। मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि माल रोड से घारानौला तक लिंक रोड का निर्माण शीघ्र कराया जाय और जनता से जुड़े हुए विकास कार्य में सबसे बड़ा बिन्दु यह है कि वन अधिनियम में शिथिलता की व्यवस्था की जाय जिससे प्रत्येक गाँव यथा शीघ्र मुख्य मोटर मार्गों से जुड़ जायेंगे। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मुझे बोलने का मौका दिया धन्यवाद।

*श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का जो मौका दिया मैं उसके लिये आपका आभारी हूँ। मान्यवर, सबसे पहले मैं सन् 1994 के आन्दोलन की बात कहूँगा, क्योंकि मैंने खुद उस आन्दोलन में बढ़–चढ़कर योगदान किया था और जिससे हमको उत्तराखण्ड राज्य की प्राप्ति हुई। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो उनहत्तर बिन्दु दिये हैं। उन तमाम बिन्दुओं पर हमारे साथियों ने काफी कुछ कह दिया है, इसलिए मैं अब ज्यादा विस्तार में न जाते हुए अपनी बात को बहुत ही संक्षेप में कहूँगा।

महामहिम के अभिभाषण में जो मूलभूत बिन्दु हैं उसमें शिक्षा, सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य, जो आम गरीब आदमी तक जुड़ी हुई हैं और सरकार ने इन बिन्दुओं को बड़ी गम्भीरता से लिया है वह स्वागत योग्य है। मान्यवर, उक्त समस्याओं के निदान हेतु हमारी जनता ने राज्य प्राप्ति के लिये जो आन्दोलन छेड़ा, उन आन्दोलन के दौरान मैं भी श्रीनगर में सत्तावन दिनों तक जेल में रहा, वहीं से मेरा राजनैतिक जीवन आरम्भ हुआ। मान्यवर, मैंने अपने इस राजनीतिक शुरूआत के दौरान हमेशा जनता के हितों को सर्वोपरि माना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जिन बिन्दुओं का उल्लेख हुआ है, मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि इनसे राज्य का बहुमुखी विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

''काजी'' मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो कहा गया है कि बेरोजगारों के भत्ता दिए जाने पर विचार किया जायेगा। मान्यवर, इस अभिभाषण में विचार ही नहीं पूरा अभिभाषण ही विचार है, विचार के अलावा और कुछ भी नहीं है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

इसी बात पर कुछ हो जाए। माननीय सदस्यगण प्रतीक्षा कर रहे हैं।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, गठबन्धन की सरकार है, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के बीच में उनको आपने चन्द ही दिनों में बैक पर आना सिखा दिया है। गैरसैंण राजधानी का मुद्दा उन्होंने बैक कर दिया है। मान्यवर, यह पर्वतीय क्षेत्र का राज्य है, वहाँ के रहने वाले लोगों को आज भी दुःख है। मान्यवर, इस राज्य की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। हम हरिद्वार के रहने वाले हैं, हमारे लिए गैरसैंण दूर हो जाएगा लेकिन राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। माननीय निशंक जी ने जो प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में कहा। मान्यवर, 16 हजार करोड़ रु0 का कर्ज इस प्रदेश पर है, कहाँ से इसकी पूर्ति होगी? आप कह रहे हैं कि इस प्रदेश का आय का स्रोत ऊर्जा प्रदेश बनाकर करेंगे। मान्यवर, हमारे प्रदेश मे केवल 255 मेगावाट की बिजली बन रही है, उससे कितनी आय हो जायेगी?

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप में बोलें, अभी नेता सदन को भी बोलना है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, एक कहानी सुनाकर मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ कि एक चौधरी साहब थे, उनकी भैंस खो गयी। चौधरी साहब बेटे को लेकर भैंस को ढूंढने के लिए निकल पड़े। रास्ते में भगवान शिव जी का मन्दिर मिला। वहाँ पर सर टेककर चौधरी साहब ने कहा कि अगर हमारी भैंस मिल जायेगी तो एक थन का दूध आपके लिए। फिर आगे बढ़े तो कृष्ण जी का मन्दिर मिला, वहाँ उन्होंने यही कहा कि एक थन का दूध आपको चढ़ावे में। फिर आगे गए, वहाँ भी मन्दिर में बोले कि एक थन का दूध आपके चढ़ावे में। फिर एक मन्दिर मिला उसमें भी उन्होंने जैसे ही कहा कि एक थन का दूध आपके चढ़ावे में, तभी तुरन्त उसके बेटे ने कहा कि पापा हम क्या खाली घास देने के लिए हैं? तो मान्यवर, चुनाव तो हैं पाँच साल में लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश को इस पाँच साल में दो बार चुनाव झेलने पड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष–

कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट में क्या होगा, इस महान पीठ से आपने बोलने के लिए कहा जिसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय निशंक जी ने

धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है। महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण में एक कल्पना थी, उसके पूरे होने के लिए प्रयास किया, पर कहीं गलती हो गयी या हम बता नहीं पाये या लोगों ने समझने में गलती कर दी जिस कारण सत्ता में आने से रह गये और जो 5 सालों में देखा तो मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान की किसी भी विधान सभा में देखने को नहीं मिला होगा। जिस तरह पैसों की बरबादी की गई और भय का वातावरण रहा, एक भय के वातावरण में हल्द्वानी सीट से जीत कर आये हैं, जिसमें मैं कह कर आया हूँ कि मैं शान्ति दूँगा। मान्यवर, भय का वातावरण इस प्रदेश में बना। माननीय खण्डूडी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, उन्होंने कहा कि भय मुक्त समाज हो, तो मैं समझता हूँ कि जितनी तारीफ की जाए वह कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मितव्ययिता की पहल की है। मान्यवर, ऐसी-ऐसी बातें इस अभिभाषण में आई हैं जिसकी कल्पना हमें नहीं थी। वन अधिनियम-1980, मान्यवर, आप हमारे समय में कटौती क्यों कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष-

आप 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री बंशीधर भगत-

मान्यवर, मैं समझता हूँ कि प्रदेश के विकास में एक रोड़ा वन अधिनियम 1980 है और उसके कारण से पूरे प्रदेश का विकास, जहाँ सबसे पहले सड़कों की आवश्यकता होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और महामहिम श्री राज्यपाल जी ने जो यह पुस्तक सरकार की है उसमें लिखा है कि सरलीकरण करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है और दूसरी जमरानी की बात कही है तो हल्द्वानी और तराई के नीचे मैं समझता हूँ कि 2-4 साल में फेल हो जायेगा, उस क्षेत्र को जिन्दा रखने के लिए जमरानी बांध की नितान्त आवश्यकता है। मान्यवर, मैंने उत्तर प्रदेश में भी कहा था।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप संक्षेप करें, आपकी बात आ गई है।

श्री बंशीधर भगत-

मान्यवर, अब इतने अच्छे काम इस अभिभाषण में आये हैं, इनका उल्लेख नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा, मगर आप कह रहे हैं तो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय किशोर जी, आपसे निवेदन है कि कृपया संक्षेप में कहें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जितना आप कहेंगे उतना ही कहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपके आशीर्वाद से कई अभिभाषण यहाँ पर पढ़े, पर ऐसा अभिभाषण पहली बार हमारे सामने आया है। जिसमें न कोई सुर है, न कोई ताल है। न कहीं पर कोई विकास की बात कही गयी है .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपनी बात दो मिनट में रखिए। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, न सुर है, न ताल है और न नौछमी नारेण है। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, वैसे तो नेता सदन ने भी अपनी बात कह दी है। मान्यवर, इसमें सबसे बड़ी बात है जो इस सदन के रिकार्ड में आ गयी है। मान्यवर, इस सरकार को जनता ने पूरा बहुमत नहीं दिया है और जो यह खिचड़ी बनी है, मान्यवर, यह पूर्णतः बहुमत वाली सरकार नहीं है, इसमें निर्दलीय और उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सदस्य भी हैं।

*श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, खिचड़ी सरकार तो आपकी थी।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, हमें बहुमत प्राप्त था। पहले ही हमें 36 सीटें मिली थीं, बाद में तीन माननीय सदस्यों का हमें समर्थन प्राप्त हो गया था। मान्यवर, यह पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है। आपकी 34 सीटें हैं। आपके साथ उत्तराखण्ड क्रान्ति दल और निर्दलीय सदस्य भी हैं। बाहर तरह–तरह के बयान आ रहे हैं। यह आउट स्टैंडिंग पहली बार हो रही है। (व्यवधान)

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, पहली बार हुआ है और यह आपने किया है। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, इस बात का फैसला तो मत विभाजन के दौरान हो गया है। (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दिवाकर भट्ट—

मान्यवर, हमारी बात न करें, हम भी दिल्ली की बात कर लेंगे।

श्री किशोर उपाध्याय—

मान्यवर, यू0के0डी0 के 09 बिन्दुओं का क्या हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्त रहें।

श्री किशोर उपाध्याय—

मान्यवर, आप कह रहे हैं ऊर्जा प्रदेश बनायेंगे। टिहरी बांध के बारे में महामहिम के अभिभाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं है। पुनर्वास का कोई जिक्र नहीं है, राजधानी कहाँ होगी इसका भी उल्लेख नहीं है। यदि स्थाई राजधानी यहीं होनी थी तो इसका जिक्र होना चाहिए था, यह सबसे बड़ा दुःख का विषय है। (व्यवधान) मान्यवर, इस लेखे—जोखे में .... (व्यवधान) मान्यवर, मेरा सारा समय टोकाटाकी ने ले लिया है। अतः मेरा निवेदन है कि आप सदन को व्यवस्थित करें।

श्री अध्यक्ष—

कृपया बीच में कोई टोका—टोकी, टिप्पणी न करें।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)—

मान्यवर, यह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वह सदन को व्यवस्थित ढंग से चलने दें, जिससे कि पूरे देश में और प्रदेश के अन्दर वह संदेश चला जाय कि उत्तराखण्ड में सदन नियमों के तहत चलता है। यदि सत्तापक्ष इस तरह के गम्भीर विषय पर ऐसा वातावरण बनायेगा तो इसका गलत संदेश पूरे देश और प्रदेश में जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्त रहें। उपाध्याय जी, आप किसी माननीय सदस्य को सम्बोधित करके न कहें, आप पीठ को सम्बोधित करें।

श्री किशोर उपाध्याय—

मान्यवर, मैं सीधे आपकी तरफ देख रहा हूँ। मान्यवर, जो इस प्रदेश की रीढ़ हैं, महिलाओं के बारे में इसमें कुछ नहीं है। ग्रामीण महिलाओं के बारे में कुछ नहीं है, ग्रामीण युवाओं के बारे में कुछ नहीं है। जो हम समझ रहे थे कि जनरल साहब आए हैं, तो कम से कम पूर्व सैनिकों के लिए कुछ लाएंगे, उनके लिए कहीं कुछ नहीं है। (व्यवधान)

मान्यवर, कानून व्यवस्था के लिए मैंने कल भी कहा था, हमारे बड़े भाई हैं, आपने सुना ही होगा। जितनी कड़क अपनी मूछों को रखते हैं, उतनी ही कड़क कानून व्यवस्था रखेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों के बारे में क्या करेंगे युवाओं के बारे में, वृद्ध लोगों के बारे में, निराश्रितों के बारे में इसमें कुछ नहीं है। पूर्वाग्रहों से ग्रसित डाक्यूमेंट यहाँ पर रखा गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इन्होंने कहा कि श्वेत पत्र लाएंगे।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें। माननीय प्रेम चन्द अग्रवाल जी, आप संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं बहुत कुछ इस पर कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आपको आगे अवसर मिलेगा।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में जनरल खण्डूड़ी जी की गठबन्धन सरकार के जो 69 बिन्दु इसमें दर्शाए गये हैं, इसमें हर क्षेत्र के विकास की बात कही गयी है। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ और साथ ही कहना चाहता हूँ कि इसमें बिन्दु संख्या–34 में कहा गया है कि "धार्मिक, सामाजिक तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण शहरों में आधारभूत सुविधाओं के व्यापक विस्तार किये जाने की कार्यवाही मेरी सरकार द्वारा की जाएगी।" बहुत अच्छा लगा। चूंकि हम लोग अपने–अपने विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मान्यवर, धार्मिक, सामाजिक और पर्यटन की दृष्टि से ऋषिकेश, महत्वपूर्ण स्थान है। मेरा मानना है कि वहाँ पर मूलभूत बातों को समाहित कर लिया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ हमारी क्षेत्रीय जनता को मिलेगा। हमारे क्षेत्र में पिछले दिनों एम्स की घोषणा हुई थी, जब केन्द्र में एन०डी०ए० की सरकार थी, तब घोषणा हुई थी

लेकिन पिछले 5 वर्षों में वहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यदि उसकी ओर ध्यान दिया जाएगा तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा गंगा तट पर मैरीन ड्राइव के बारे में एक योजना प्रस्तावित थी, यदि इसको पूर्ण किया जाएगा तो उसका लाभ मिलेगा।

इसके साथ–साथ मेरा मानना है कि हमारे क्षेत्र में महात्मा गांधी की शिष्या मीरा बेन के नाम से बापू ग्राम क्षेत्र है, इसकी आबादी 25 हजार है यदि इसको राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जाए तो उस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मान्यवर, इसके साथ–साथ पर्वतीय क्षेत्र में अनेकों दुर्घटनाएं होती हैं और जब मृतकों के पोस्ट मार्टम की बात आती है तो बहुत परेशानी होती है। ऋषिकेश के अन्दर पोस्ट मार्टम की व्यवस्था की जाएगी तो पर्वतीय क्षेत्र में दुर्घटनाओं में जो मृतक होते हैं, उनका पोस्ट मार्टम समय पर किया जा सकेगा। इसके साथ–साथ मेरा यह कहना है कि उत्तराखण्ड में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब ऋषिकेश में संजय झील की योजना बनायी गयी थी, वह अभी लम्बित है इसको पुनः प्रारम्भ किया जाए तो अच्छा होगा।

गंगा के प्रदूषण को समाप्त करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मान्यवर, लक्कड़ घाट में सीवर ट्रीटमेंट प्लान है, यदि उसकी क्षमता बढ़ा दी जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे ऋषिकेश को बहुत लाभ मिलेगा। चूँकि समय बहुत कम है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और यह विश्वास भी प्रकट करता हूँ कि मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबन्धन की सरकार इस प्रदेश का बहुँमुखी विकास करेगी और अन्त में मैं, उत्तराखण्ड के शहीदों का नमन करता हूँ और इस सदन के नये और पुराने साथियों को नमन भी करता हूँ। धन्यवाद, जय उत्तरांचल।

(माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश के अपने स्थान पर बैठे–बैठे कुछ कहने पर।)

श्री अध्यक्ष–

मैं आप सभी लोगों से पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि कृपया सदन का इस रूप में विभाजन न करें आप यह न देखें कि इसने नहीं बोला या उन्होंने नहीं बोला। आप यह देखिये कि आपके दल के कितने प्रतिशत लोग बोले हैं और यह भी देखिये कि सत्ता पक्ष के कितने प्रतिशत सदस्य बोले हैं, दलित और सवर्ण में इस सदन को मत बांटिये।

भविष्य में कृपया ऐसी बातें न कहें। माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, दो मिनट में अपनी बात को रखें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैंने इस अभिभाषण को भी पढ़ा और पुराने अभिभाषणों को भी पढ़ा तो लगा कि यह अभिभाषण पुरानी सरकार के ही अभिभाषण की कार्बन कॉपी है। मान्यवर, ज्यादा समय नहीं लेते हुये अपनी बात कहूँगा कि आपने अपने अभिभाषण में दलितों, पिछड़ों व गरीब सामान्य व्यक्तियों को, निर्धन व गरीब व्यक्तियों के लिए रैन बसेरों का निर्माण आदि करने की बात कही है और आवास उपलब्ध कराने को कहा है। लेकिन आपने यह नहीं कहा है कि गरीब, पिछड़े व गरीब सामान्य व्यक्ति के पास आवास बनाने को भूमि नहीं होगी तो आवास कैसे बनेंगे। इसके लिए गरीब, दलितों व गरीब सामान्य और गरीब अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग को आवासीय पट्टे उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया जाय एवं गरीब दलितों को जोत के पट्टे भी आवंटित किये जायें। जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसके विपरीत हरिद्वार जनपद में सन् 1973–74 में गरीब दलितों एव गरीब सामान्य व्यक्तियों को शासन ने जोत के आसामी पट्टे उपलब्ध कराये थे। जिससे गरीब व्यक्ति 30 वर्षों से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। आपके राज में उन गरीब दलितों व गरीब पिछड़ों के हित में उनके पट्टे खारिज ना किये जाने बल्कि उन्हें संक्रमणीय पट्टे में बदलने का प्रावधान किया जाय और गरीब दलितों को, सामान्य गरीब, पिछड़े गरीब व गरीब अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग को भी जोत के पट्टे आवंटित किये जाय।

मान्यवर, पूरे भारत वर्ष में दलितों को 21.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है लेकिन उत्तराखण्ड में दलितों के साथ अन्याय कर 19.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। उत्तराखण्ड में सरकारी नौकरी में दलितों का आरक्षण पूरा करने की कार्यवाही की जाय जिससे दलितों का भला हो सके। मान्यवर, ज्यादा समय न लेते हुये, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

मुख्यमंत्री (श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी)–

धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष और सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ, जिन्होंने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपने विचार रखे। कुल 22 सदस्यों ने इसमें भाग लिया है, बहुत सारे बिन्दु यहाँ पर उठाये गये हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम उनका उत्तर दें, जब लिखित वक्तव्य हमें मिल जायेंगे तो हम सभी बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और सम्बन्धित विभागों से उनके ऊपर क्या कार्य सम्भव हैं, उन पर विचार करेंगे।

मान्यवर, कुछ मुख्य बिन्दु जो मैंने नोट किये हैं उन पर मैं अपने विचार रख रहा हूँ। सब पर प्रतिक्रिया देना सम्भव नहीं है। पहला जो बिन्दु आया था स्थाई

राजधानी का, जो माननीय किशोर जी ने भी उठाया। यह राजधानी का मामला, भारतीय जनता पार्टी की जब पहली अनन्तिम सरकार थी उस समय 11 जनवरी, 2001 को एक आयोग बनाया गया था और दूसरी सरकार में भी वह चलता रहा। दो बार इसका समय बढ़ाया गया। 3–12–2006 से मार्च के अन्त तक इसका समय बढ़ा दिया गया है। 35 लाख 21 हजार 837 रुपये इस आयोग पर खर्च हुए हैं। अभी उनका समय पूरा होने वाला है, लेकिन रिपोर्ट नहीं आयी है। उद्देश्य जो राजधानी के बारे में आयोग बनाने का था कि हम सब बातों की जाँच कर लें, भूगर्भीय स्थिति की जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, प्रशासनिक क्या जरूरतें होंगी उसके बारे में सब लोगों की सलाह आनी चाहिए और ऐसे स्थान का चयन होना चाहिए जो सब लोगों के लिए सुविधाजनक हो। उत्तरांचल में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र हैं। इसलिए क्योंकि अभी हमें आयोग के रिपोर्ट की जानकारी है अभी रिपोर्ट नहीं आयेगी या एक्सटेंशन होगा। जब तक आयोग की रिपोर्ट नहीं आयेगी, तब तक उसे किसी अभिभाषण में, घोषणा–पत्र में जोड़ना उचित नहीं है। यह भी कहना उचित नहीं कि आयोग बिना वजह बना। मैं माननीय विधायकगणों से आग्रह करूँगा कि जैसे ही रिपोर्ट आ जायेगी उसके बाद सरकार अपना दृष्टिकोण रखेगी। मैं चाहूँगा कि सब लोगों की सहमति से इस प्रकार की राजधानी बनायी जाये जो पूरे प्रदेश के हित में हो। जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकें।

उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार को पूरा नहीं किया जा रहा है। मैं आज इतना ही कह सकता हूँ कि हम भी इससे चिंतित हैं। हम देखेंगे कि इन उद्योगों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें किस प्रकार की शर्तें थी। कहीं शर्तों के उल्लंघन की बात आयेगी तो हम निश्चित ही कार्यवाही करेंगे। आन्दोलनकारियों के सम्मान के बारे में चिन्ता व्यक्त की गयी। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी पार्टी की नीति उसके पहले घोषणा पत्र से आती है कि हम किस दिशा और दशा में जाना चाहते हैं। कई बार कुछ बातें अभिभाषण में छूट जाती हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहीं न कहीं पर कुछ चीजें छूट जाती हैं। पत्रकारों के बारे में कहा गया कि 5 करोड़ पत्रकारों को देना चाहिए। उसके बारे में सदन को बताना चाहता हूँ कि पिछली बार 5 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया था, वह खर्च नहीं हो पाया है, इसमें 2.1 लाख का उपयोग हुआ है। इसको देखेंगे कि क्यों उपयोग नहीं हुआ है, इसके बारे में विचार किया जायेगा। एक और बिन्दु आया कि दुर्घटना में घायलों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में हमने एक नीति शुरू की है, जिसमें 50 हजार रुपये मृतक को 20 हजार रुपये जो घायल हैं, उनको दिया जायेगा।

मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि पहले मुआवजा मिलने में लम्बा समय
3 लगता था और किसी को कम मिलता था या दुर्घटना होने के कई सालों तक नहीं मिलता था। 08 तारीख के बाद जैसे ही कोई घटना होती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट

जाकर दो दिन के अन्दर 50 हजार रुपया मृतक के परिवार को और 20 हजार घायलों के परिवार को देगा। स्वास्थ्य के बारे में, पंचायत स्तर पर चिकित्सालय होना चाहिए। मैं सहमत हूँ कि केन्द्र ने इसके लिए जो मानक रखे हैं वह 3 हजार पहाड़ की जनसंख्या पर और 5 हजार मैदान की जनसंख्या में रखा है। हमारे यहाँ दूर–दूर तक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध नहीं होती हैं, यह बड़ी चिन्ता की बात है। वास्तविकता यह है कि हम ग्राम्य पंचायत तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं। इसमें नये मानक हैं कि एक उप केन्द्र के लिए 18 लाख की जरूरत है। हमारे यहाँ अभी सात हजार सात सौ सत्ताईस ग्राम पंचायत हैं, 223 ग्राम पंचायतों में सुविधायें उपलब्ध हैं बाकी ग्राम पंचायतें हैं उसके लिए 18 लाख केन्द्र के हिसाब से 10 अरब रुपये की जरूरत होगी। मान्यवर, जो केन्द्र की नीति है, हम उनके पास जायेंगे ज्यादा से ज्यादा धन जिस तरीके से मिलेगा हम इसमें वृद्धि करने की कोशिश करेंगे।

माननीय रणजीत सिंह रावत जी ने 5–6 सुझाव दिये हैं मैं उनकी जाँच करवाऊँगा और माननीय जुवांठा जी का जो यमुना घाटी में मण्डी स्थापना का प्रस्ताव है, आशा है कि एक साल के अन्दर वह काम पूरा हो जायेगा। माननीय दिवाकर भट्ट जी ने मूल निवास प्रमाण–पत्र के बारे में कहा और उत्तर प्रदेश में जो परिसम्पत्तियों का अभी भी फैसला नहीं हुआ है, उसके बारे में कहा, राजधानी के बारे में बात कही है इन सब बिन्दुओं पर हमारी नीति बिल्कुल स्वच्छ है। उत्तर प्रदेश के साथ जितनी भी सम्पत्तियाँ हैं उनके बंटवारे के सम्बन्ध में हम उत्तर प्रदेश से जल्दी से जल्दी निर्णय होने के लिए बात बढ़ायेंगे, जिससे कि जल्द से जल्द काम हो। राजधानी है, उसके बारे में किसी प्रकार की आशंका नहीं है।

मूल निवास प्रमाण–पत्र के बारे में हमने अपने घोषणा–पत्र में कहा है, आज जिसके बारे में बहुत सारी आशंकायें हैं उसको पूरी तरह देखकर इस पर जो मूल निवास की व्यवस्था बने, किसी को आशंका न हो, पहले वह गलत था, हम जाँच पड़ताल करने के बाद सर्वसम्मति से जो सम्भव होगा, उसको करेंगे। एक बात और जो माननीय दिवाकर भट्ट जी ने कही है, मैं यहाँ पर जवाब नहीं दे पाऊँगा, उन्होंने कहा कि हम राज्य बनने के बाद भी उत्तर प्रदेश की नीतियों पर चल रहे हैं, पाँच–छः साल के बाद भी अपने तरीके से नहीं चला पा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, "काजी" भाई ने रोजगार के सम्बन्ध में जो बात कही उस रोजगार के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बातें चाहे वह महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या महामहिम राज्यपाल जी का, अभिभाषण में हर बात का उल्लेख होना जरूरी नहीं होता। दूसरी बात मान्यवर, जो प्रदेश के फाइनेंस की उपलब्धता है उसको हमें पूरा करना होगा और इस विषय में माननीय

सदस्यों को भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो बिन्दुओं का उल्लेख है, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि उसको पूरा करने के लिए सरकार कटिबद्ध है।

मान्यवर, प्रदेश में जो वित्तीय घाटा है उसे पूरा करने के लिए हम नये संसाधन जुटाएंगे और मितव्ययता पर पूरा ध्यान केन्द्रित करना होगा। इस बात का उल्लेख अभिभाषण में भी किया है। कुशल वित्तीय प्रबन्धन और संसाधनों का उचित उपयोग कर राज्य की करोड़ों रुपये की ऋणग्रस्तता को नियंत्रित करने, राज्य में वित्तीय अनुशासन स्थापित करने, अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाकर बजट घाटे को शून्य करने का प्रयास हमारी सरकार करेगी और राज्य हित में जो योजना होंगी, को एक सीमा तक ले जाने का हमारा फर्ज रहेगा। इसके लिए मुझे मौका दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राज्य के विकास के लिए पक्ष-विपक्ष दोनों माननीय सदस्यों को क्षेत्रों की सामूहिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि विपक्षी दलों द्वारा राज्य के विकास कार्यों के क्रियान्वयन में जो सुझाव दिये गये उन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सरकार अमल करेगी और सरकार पाँच वर्ष के अन्तराल में जितने कार्यों को करने में स्वयं को सक्षम समझ रही है उसको पूरा करेगी। मान्यवर, बेरोजगार नव युवकों के लिए पर्यावरणीय एवम् साहसिक पर्यटन, मौसमी पर्यटन आदि को बढ़ावा देकर अधिकाधिक संख्या में रोजगार तथा आय वृद्धि के साधन उपलब्ध करवाने हेतु सरकार प्रयासरत् रहेगी। पर्यटक क्षेत्रों में पंचकर्म आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना की कार्यवाही को सरकार प्राथमिकता देगी। उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध जल भण्डार, धार्मिक स्थल, जड़ी-बूटी, पर्यटक स्थलों के इन संसाधनों का उपयोग करके राज्य का बहुँमुखी विकास किया जायेगा। इसके लिए औषधीय, रेशम, फूलोत्पादन, चाय आदि के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देकर राज्य के काश्तकारों को लाभ होगा।

मान्यवर, राज्य की भौगोलिक स्थिति और उद्योग विहिन पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए अनुकूल औद्योगिक विकास के लिए सरकार प्रयासरत् रहेगी। साथ ही पलायन को रोकने हेतु लघु एवं कुटीर उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने पर भी दृढ़ता से विचार करेगी। पेयजल हेतु हैण्ड पम्प स्थापना, कृषक उत्पादन संग्रह केन्द्र निर्माण, रोप-वे निर्माण आदि कई जन कल्याणकारी योजनाओं को कृषकों के हित में चलाये जाने का प्रयास करेगी। हम तूफान का नजारा मझधार से कर रहे हैं। माननीय किशोर उपाध्याय जी, इनको मैं बहुत समय से जानता हूँ। माननीय किशोर जी ने लगता है कि महामहिम राज्यपाल जी का

अभिभाषण पढ़ा भी है कि नहीं, वो वैसे बोल रहे हैं, लगता है ये बहुत व्यस्त थे। इनकी कार्यशैली ही ऐसी है। आपकी कुछ ऐसी बात पहली बार सुन रहा हूँ। आप शायद भूल रहे हैं। हरियाणा में, और सन् 91–96 में केन्द्र में, कैसे खरीद–फरोख्त हो रही थी। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है।

मान्यवर, जो बातें आई उसमें सभी का विवरण देना तो सम्भव नहीं है। यहाँ पर जो चर्चा हुई सभी माननीय सदस्यों ने जो अपने सुझाव दिए, उनको मैं अवश्य ही दूँगा। मेरा आग्रह है कि जो अच्छा काम हो रहा है इसके लिए आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। थोड़ा बहुत न नुकुर तो होता ही है लेकिन इसमें आपके सहयोग की जरूरत है जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, आपकी छोटी कैबिनेट की बहुत तारीफ है।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी–

काजी जी, अभी आपने कहा कि एक मंत्री पर बड़ा बोझ है। उपाध्याय जी, और माननीय सदस्यों से बार–बार आग्रह है कि कृपया आपके जो विचार हैं, भविष्य में जो सुझाव देंगे हम उनको करने की कोशिश करेंगे, उसमें कोई संकट हमारी सरकार को नहीं होगा। उत्तराखण्ड को अच्छा बनाना है। उत्तराखण्ड की जनता ने जो सपना देखा है उस सपने को पूरा करने में हमें पूरे सहयोग की जरूरत है। इसी के साथ आप लोगों को बहुत धन्यवाद।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन जी ने कम समय लिया। आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप कल सुबह हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। मैं अपनी बात को संक्षेप में कहूँगा।

माननीय अध्यक्ष जी, जब यह सरकार बनी थी तो पूरे प्रदेश की जनता ने यह महसूस किया था कि शायद इस सरकार के बनने के बाद उसको एक सुख की अनुभूति महसूस होगी, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से इस सरकार के दिन बढ़ रहे हैं, 8 दिन हो गये, जिस तरह सरकार के 8 दिन हुये हैं उस तरह देख के रखिये, उत्तराखण्ड की जनता की मंशा पटरी पर अंकित होने लगी है। मान्यवर, मैं एक पंक्ति सुनाता हूँ।

ख्वाहिश है उजाले की तरह धीरे–धीरे जवां होती,
जिस्म सूरज की तरह धीरे–धीरे ढलता रहता है।

ख्वाहिश तो दिन की तरह है जो धीरे–धीरे जवां रहता है, लेकिन आपकी सरकार जिस्म की तरह है जो हर दिन की तरह ढलाव पर है। माननीय भट्ट जी को मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सम्बोधित करना चाहता हूँ कि यह लोकतंत्र है, मैंने थ्योरी पढ़ाई है और कहते हैं कि इन्सरजैंसी बढ़ती है तो धीरे–धीरे प्रतिस्पर्धा होगी और इन्सरजैंसी घटती है तो प्रतिस्पर्धा घटती है। तो जब सरकार कोई बनती है तो बहुत बड़ा बहुमत होता है, एक बहुत बड़ी जनता की आवाज उसके साथ होती है, लेकिन फिर जनता की, आवाम की आवाज बढ़ने लगती है और सत्ता पक्ष की ओर घटने लगती है, यह नेचुरल प्रक्रिया की भावना है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार ने जो राजस्व घाटे की बात की है पृष्ठ 6–7 में 155.71 करोड़ का घाटा है, मैं उसको समाप्त करूँगा, लेकिन मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि सरकार के आचरण से और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहूँगा कि उनका आचरण ठीक है तो वही बात हो जायेगी कि जब हम उधर बैठते थे तो आप लोग कहते हो कि मुखिया तो बहुत अच्छे हैं लेकिन माननीय मंत्री और माननीय विधायक खराब हैं। मैं उदाहरण देता था, आप वैसी बात करते हो कि गाड़ी चल रही है, आप कहते हैं कि ड्राइवर अच्छा है पर सवारियों को बैठना नहीं आता है, इसलिए गाड़ी दिशा बदल रही है। इसलिए मैं आपकी तरह नहीं करना चाह रहा हूँ, कोई भी पटवारी, ग्राम्य विकास अधिकारी भी गलती करता है तो यह माना जायेगा। आप कहते हो कि एक घोटाला हुआ पटवारी भर्ती घोटाला, तो मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में उस घोटाले को अपनी उपलब्धि के रूप में रखा और माननीय प्रधानमंत्री जी थे रामनगर में और उस समय पं0 नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी, जब हरक सिंह रावत को जानकारी मिली तो रामनगर चुनाव में था, मैंने प्रमुख सचिव जो इस समय मुख्य सचिव हैं, मैंने टेलीफोन में कहा कि कमिश्नर गढ़वाल श्री सुभाष कुमार जी से कि इसकी जाँच करा लें और उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए और यह मान्यवर, पहला मंत्री था जिसने जिलाधिकारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा।

मान्यवर, यह हमारी उपलब्धि है, यह हमारी कमजोरी नहीं है। यह हमारी सरकार की मजबूती थी, यह हमारी इच्छा शक्ति का द्योतक था। (व्यवधान) मान्यवर, उच्चारण कुमाऊँनी में अलग होगा और माननीय लालू प्रसाद यादव जी कहेंगे तो अलग होगा, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप उच्चारण पर न जाईये। मान्यवर, पहला बिन्दु मैं पर्यटन का ले रहा हूँ। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो योजनाएं पिछली सरकार ने बनायी थीं– लैंसडाउन, खिर्सू, पौड़ी के विकास की योजनाएं थी। अब इसका कहीं जिक्र नहीं है। मान्यवर, जो ऑन लाईन योजनाएं हैं, उन पर क्या कार्य करेंगे? इस अभिभाषण में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली योजना का

उल्लेख नहीं है, जोकि एक बहुत ही अच्छी योजना थी। मान्यवर, जब मैं उत्तर प्रदेश में पर्यटन राज्य मंत्री था और माननीय केदार सिंह फोनिया जी कैबिनेट मंत्री थे तो हमने लखनऊ में गोमती होटल में एक बैठक की।

मान्यवर, उस समय सचिव, पर्यटन श्री आलोक कुमार जी थे, जब हमने उनसे कहा कि पिछली सरकार की पर्यटन नीति क्या थी तो सचिव द्वारा कहा गया कि मान्यवर, पिछली नीति को छोड़ दीजिए, इस पर हमने कहा कि आप पिछली सरकार की नीति के डाक्यूमेंट उपलब्ध करा दीजिए। मान्यवर, यदि हमें इसमें अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी तो हम उन्हें ले लेंगे और उन्हें आगे बढ़ायेंगे। जहाँ पर हमें लगेगा कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए, वहाँ पर हम परिवर्तन करेंगे। (व्यवधान)

मान्यवर, माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि बीच में न बोलें। मान्यवर, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छी योजना है, इसको आगे बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए।

मान्यवर, ऊर्जा के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का लक्ष्य था 1304 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का मार्च, 2007 तक, लेकिन आपने कहीं पर भी यह मंशा जाहिर नहीं की कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप कितनी मुस्तैदी के साथ काम करना चाहते हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए। मान्यवर, हमारा एक लक्ष्य था। मान्यवर, मुझे आज भी याद है, जब मैंने 1994 में उत्तर प्रदेश विधान सभा में भाषण दिया था, उस समय वहाँ पर माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी। मान्यवर, मैंने अपने भाषण में कहा था कि जिस दिन उत्तराखण्ड बनेगा और राज्य स्थापना के दिन से यह उचित हाथों में चला जायेगा और इसमें उचित नेतृत्व, कुशल संचालन और कुशल नियोजन मिलेगा तो राज्य स्थापना के 10 वर्ष के बाद इसको देखना। यह राज्य हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा समृद्ध प्रदेश बनेगा। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं बिजली की बात यहाँ पर बिजली की अपार संभावनाएं हैं, हम आने वाले लक्ष्य निर्धारित करेंगे। मान्यवर, आज आपने कहा जल विद्युत परियोजनाएं बनायेंगे, लेकिन उसके लिए कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। मान्यवर, जैसे कि यहाँ पर माननीय दिवाकर भट्ट जी ने श्रीनगर बिजली योजना का उल्लेख किया।

मान्यवर, 1980 की बात करता हूँ, जब उत्तर प्रदेश में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी, तब मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय का छात्र नेता था। मान्यवर, जब इस योजना का उद्घाटन हुआ था तो उस समय मैं वहाँ पर उपस्थित था। इस योजना को आज 27 साल हो गये हैं, इन सालों में 14 साल आपकी सरकार रही है। मान्यवर, बीच में हमारी सरकार भी रही। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार भी रही, मायावती जी की सरकार भी रही, हमारी सरकार भी आयी। 27 साल में सबसे महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना पर काम शुरू नहीं कर पाए। तो मैं

एक निवेदन करता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस तरह की हमें कार्ययोजना बनानी होगी कि विशेषकर विद्युतीकरण के क्षेत्र में, जैसे हम कहते हैं अरब राष्ट्र है, तेल उत्पादक राष्ट्र है, वहाँ कुछ नहीं होता, केवल तेल के बलबूते पर उनकी दादागिरी चल रही है, उनकी मोनोपॉली चल रही है हम जिस दिन बिजली के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, उस दिन हम केवल आर्थिक विकास ही नहीं करेंगे, हिन्दुस्तान के प्रदेशों की सरकारों और भारत सरकार को अपने हिसाब से अपने विकास की नीतियों को बनाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। हमें इसके लिए योजना बनानी होगी।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ, चूँकि आज हमें पूरी दुनिया का मुकाबला करना है। कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश पूरी दुनिया के सामने चाहे कम्प्यूटर हो, तकनीकी क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, मुकाबला करने के लिए खड़े हैं। हम कह सकते हैं कि आने वाले कल में हम कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु के मुकाबले में खड़े होने के लिए तैयार है। हमें पहली कक्षा से अंग्रेजी शुरू करने की आवश्यकता हैं अब शायद तीसरी कक्षा से पढ़ाई जाती है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, आप जो कह रहे हैं, इसमें यह भी बताएं कि 5 साल में कितनी सीढ़ी चढ़े हैं?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कल भी कहा था कि कहीं ये आपको राज नारायण की तरह न बना दें। राज नारायण हमेशा रोते रहे, 1977 में जनता दल की सरकार के समय।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, आप अपनी बात कहिए, कौन क्या होगा, यह तो भविष्य बताएगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, बीच में बोलेंगे तो मैं जवाब जरूर दूँगा। मैंने अपनी बात कही है। टीका–टाकी करेंगे तो जवाब तो दूँगा ही। आप भी टीचर हैं, मैं भी टीचर हूँ, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं भी टीचर हूँ लेकिन मैं विद्यार्थी भी हूँ। यह मत कहिए कि मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। हम जब तक जिन्दा हैं, तब तक विद्यार्थी हैं। वी लर्न अनटिल वी अलाइव।

डा0 हरक सिंह रावत–

आई अण्डरस्टैण्ड। (व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

नेता जी, भाषण दो।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं नेता नहीं हूँ। मैं तो आपका अनुज हूँ।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष तो हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पहली कक्षा से अंग्रेजी को शुरू करना है मैंने महसूस किया है। मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय से गोल्ड मैडिलिस्ट हूँ, रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय से गोल्ड मैडिलिस्ट हूँ। लेकिन जब हमने कम्पटीशन दिया तो मुझे दिक्कत हुई। हम अंग्रेजी में कमजोर थे। हमारे बच्चों के सामने यह दिक्कत न हो। मान्यवर, विद्यार्थी परिषद् में हम साथ थे। ठाकुर गुरू प्रसाद हमारे गुरू थे। वे कहते थे, अंग्रेजी की क्लास में आ जाओ, तो मैं कहता था कि हिन्दू–हिन्दी–हिन्दुस्तान। लेकिन मान्यवर, यह हिन्दू–हिन्दी–हिन्दुस्तान हमारे ऊपर भारी पड़ गया। जब हमने सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, हिन्दुस्तान हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष पर भारी पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा? ऐसा तो मत बोलिए। (व्यवधान) इसके लिए या तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इसलिए कहा क्योंकि नारा देना सरल होता है। अंग्रेजी पहली क्लास से शुरू करनी होगी। सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के पैटर्न को उनके सिस्टम को हमें अपनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से पब्लिक स्कूल, मान्यवर, पब्लिक स्कूलों को मैं एक उद्योग ही कहूँगा यह हमारे प्रदेश में एक उद्योग ही हैं। मेरा कहना है कि इन पब्लिक स्कूलों में हमारे प्रदेश के बच्चों के लिए कोई फीस निर्धारित होनी चाहिए, इन पर सरकार का कोई कन्ट्रोल होना चाहिए कि हम अपने प्रदेश के बच्चों के लिए कोई फीस निर्धारित कर सकें। इसी प्रकार से जो हमारे हाईस्कूल और इण्टर कॉलेज हैं, मान्यवर, आज विज्ञान और कॉमर्स का युग है, ग्लोबल एजुकेशन का युग है, इनको

आज सभी विद्यालयों में अनिवार्य होना चाहिए। राजकीय इण्टर कॉलेजों में आपने विज्ञान को तो लागू कर दिया है लेकिन कॉमर्स को नहीं किया है तो सब विद्यालयों के पाठ्यक्रम में इसे लागू होना चाहिए, चाहे वह अशासकीय विद्यालयों हों या अनुदान सूची के स्कूल हों, आज के विज्ञान के जमाने में हम सिर्फ कला आदि पढ़ाकर क्यों बेरोजगारों की फौज का खड़ा कर रहे हैं? कला वर्ग से इण्टर करने के बाद वह छात्र क्या करेगा और इस जमाने के आगे कहाँ ठहर पायेगा?

मान्यवर, इसी प्रकार से बी0टी0सी0 की बात है तो बी0टी0सी0 को हमें शुरू करना ही होगा और फिजिकल ट्रेनिंग की बात करें तो आज हमारे यहाँ पर पी0टी0आई0 नहीं हैं तो फिर हमें फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी शुरू करने होंगे। मान्यवर, बी0पी0एल0 परिवारों के जो भी बच्चे हैं, उन निर्धन बच्चों के लिए चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, उनकी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। विकलांगों और विधवाओं के बच्चों के लिए भी निःशुल्क शिक्षा, आवास और भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, इसी प्रकार से जो हमारे पॉलीटेक्निक हैं, मैं इसलिए भी निवेदन कर रहा हूँ कि आपकी सरकार का यह पहला अभिभाषण है और पूरे पाँच साल का समय आपके पास है, अभी बजट भी आयेगा और उस समय भी हम अपनी बात को रखेंगे। आपने इसमें लिखा है कि पॉलीटेक्निकों को नई टैक्नोलॉजी की लैब से सुसज्जित किया जायेगा, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जितने भी पॉलीटेक्निक हैं, वहाँ पर लेक्चररों के पद रिक्त हैं और हम सिर्फ बाबू और फोर्थ क्लास के सहारे यह पॉलीटेक्निक चला रहे हैं। मान्यवर, लैब बनाने में तो एक साल लगेगा और कम्प्यूटराइज्ड करने में 6 माह का समय लगेगा, लेकिन जो वहाँ पर लेक्चररों के पद खाली हैं उनको सबसे पहले भरा जाना चाहिए।

मान्यवर, जैसा कि माननीय दिवाकर जी ने कहा और तमाम सदस्यों ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के बहुत से कर्मचारी और अध्यापक आज भी हमारे उत्तराखण्ड में हैं, वह यहाँ पर कार्य करने की मानसिक स्थिति में नहीं हैं। मैं जब राजस्व मंत्री था तो जितने भी अमीन वहाँ के थे, मैंने फाइल मंगाकर तुरन्त रिलीव कर दिया था। मैं तो सरकार से कहना चाहूँगा कि इन विकल्पधारियों को तुरन्त यहाँ से रिलीव किया जाय, इससे यहाँ के लाखों बेरोजगार नौजवानों का भी भला होगा और उन कर्मचारियों का भी भला होगा जो यहाँ पर बेमन से कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, इसी प्रकार से स्वास्थ्य का मामला है आपने काफी बातें महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में लिखी हैं लेकिन एक बात और स्वयं मेरी और माननीय नेता सदन दोनों की चिन्ता रही है, मैं यहाँ सरकार में था और आप भारत सरकार में दिल्ली में थे, हमने और आपने मिलकर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ी थी। मान्यवर, यह जो 3 मेडिकल कॉलेज हैं, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, आपकी सरकार को पूर्ण प्रयास करना होगा कि आने वाले सत्र, जुलाई से जो सत्र शुरू होगा, उन मेडिकल कॉलेजों को इसी सत्र से प्रारम्भ किया जाय, ऐसी व्यवस्था आपको करनी होगी।

मान्यवर, उस दिन भी मैंने अपने भाषण में कहा था। मान्यवर, सड़कें न बनें तो हम पैदल जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में 14 साल आप सरकार में रहे। न हम उस चुनौती का सामना कर पाये न आप। चिकित्सा के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं। यह सबसे बड़ी चुनौती है जो अन्तिम सिरे पर बैठा व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी इस सरकार के ऊपर है, हमें उसकी चिन्ता करनी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज के बारे में कार्यवाही होनी चाहिए। दिल्ली से आपने और यहाँ से मैंने इसकी लड़ाई लड़ी थी। बेरोजगारी के बारे में आपने एक बात कही है। 70 प्रतिशत की बात हमने की थी। मैं यह जरूर चाहता हूँ कि अगर कानून नहीं बनेगा, इसमें कानून बनाने की आवश्यकता है। आपने कानून बना दिया तो रोजगार मिलेगा, लेकिन जो श्रम कानून पहले से उपलब्ध हैं, उनका घोर उल्लंघन ये औद्योगिक इकाईयाँ कर रही हैं। 1800, 2200 रुपये देकर 12–12 घंटे काम कराया जाता है इन श्रम कानूनों का भी सख्ती से पालन होना चाहिए। मैंने कई लोगों को इन उद्योगों में लगाया वे चार दिन में ही नौकरी छोड़कर आ गये। जैसे नोएडा और फरीदाबाद की इकाईयों में व्यवस्था है, उसी तरह की व्यवस्था यहाँ भी की जाये।

पत्रकारों के बारे में आपने कहा कि 5 लाख की व्यवस्था थी, वह भी खर्च नहीं हो पाया। यदि पहले खर्च नहीं हो पाया तो खामियां रही होंगी। लेकिन 5 लाख बहुत कम हैं। आप यदि पाँच करोड़ नहीं तो दो करोड़ कर दीजिए, एक करोड़ कर दीजिए। श्री हर्षवर्धन बहुगुणा जी पत्रकार थे, उनकी मृत्यु हो गयी तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके घर गये, उनकी पत्नी को विधान सभा में नौकरी मिल गयी। कोई फण्ड पत्रकारों के कल्याण के लिए निश्चित रूप से होना चाहिए। खर्च नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि जरूरत नहीं थी, जरूरत है। मुख्यमंत्री का भाव पूरे प्रदेश के लिए एक होना चाहिए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि दुर्घटना में किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाये तो उसमें 20 हजार से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के दुरुपयोग की बात भी आई है। यह कोष इसीलिए बनाया जाता है। अगर किसी का ऑपरेशन दिल्ली में कराना पड़े तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि घायल को यदि अस्पताल वाले कहते हैं कि इसका इलाज हमारे अस्पताल में नहीं हो सकता है तो उसे दिल्ली भेजा जाये जिसके लिए धन की आवश्यकता होगी। अभी 20 हजार दिया जा रहा है, लेकिन 20 हजार से काम नहीं चलता है। मान्यवर, क्योंकि 20 हजार से काम नहीं चलने वाला है। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बात खाद्यान्न के मामले में करना चाहता हूँ।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, लगे रहिये।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने भारत सरकार से लड़ाई लड़ी। पहले स्टेट पूल की व्यवस्था नहीं थी, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार का जो अनाज था वह बिहार चला जाता था, बिहार का सड़ा अनाज यहाँ आता था। हमने भारत सरकार से लड़ाई लड़ी और स्टेट पूल की व्यवस्था शुरू की, जब मैं बच्चा था तो मेरी माँ गाँव में मुझसे कहती थी कि जगमोहन सिंह मंत्री रहे, वह यहाँ बासमती लाये। मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि मैं अपने प्रदेश में उत्पादित अनाज वितरित करवाना चाहता हूँ, इसलिए हमें जितने मीट्रिक टन की आवश्यकता थी उतना मीट्रिक टन पूल में रखा, सेन्टर पूल में इस तरह की व्यवस्था हमको करनी चाहिए। खेल के बारे में आपकी सरकार ने कहा है, हम चाहते हैं कि खेल के लिए हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम होना चाहिए। इसी प्रकार आपने अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान की बात कही। नौकरियों में बैक लॉक है उसका उल्लेख नहीं है जबकि इस प्रदेश में 70 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए बैक लॉक है, उसमें नियुक्ति की बात आपने नहीं कही है। महिला मंगलदल का गठन होना चाहिए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जो प्रक्रिया है उसका उत्तर माननीय नेता सदन देते हैं, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का इतना लम्बा भाषण सुनना पड़ेगा। यह तो ज्यादती हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप छः बार विधायक रहे हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश में रहा हूँ। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक कवि की कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ–"उस पथ में पथिक की कुशलता क्या, बिखरे जिसमें शूल न हों, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारायें प्रतिकूल न हों।" मान्यवर, आप रोना रो रहे हैं 16 हजार करोड़ का, आपको इस विकास को आगे ले जाना है। (व्यवधान)

मान्यवर, जैसी कि मैंने एक पंक्ति शुरू में कही थी कि– ढलता हुआ सूरज का ढलता हुआ समय है। इसके साथ जो मेरे संशोधन हैं उन पर मैं बल देता हूँ। मान्यवर, हमारे सारे संशोधन स्वीकार कर लिये जायें, यह मेरा अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष क्या आप महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर दिये गये संशोधनों को वापस ले रहे हैं? (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, इस सदन में जो महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा 13 मार्च, 2007 को अभिभाषण प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उस प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में अपने नेता सदन माननीय भुवन चन्द्र खण्डूडी जी, नेता प्रतिपक्ष, दिवाकर भट्ट जी, श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी, श्री जुवांठा जी, श्री कण्डारी जी, श्री ओम गोपाल जी, श्री मदन कौशिक जी, श्री केदार सिंह जी, श्री केदार सिंह फोनिया जी, श्री मनोज तिवारी जी, काजी निजामुद्दीन जी, श्री किशोर उपाध्याय जी, श्री भगत सिंह कोश्यारी जी आदि सभी माननीय 23 सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट किये। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिए मैं नेता सदन के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। हमारी सरकार का प्रयास होगा कि वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक में अनुमानित राजस्व घाटा, जो कि रु0 155.71 करोड़ था, उसे वर्ष 2007–08 में समाप्त करने का प्रयास हमारी सरकार का होगा।

हमारी सरकार कुशल वित्तीय प्रबन्धन और संसाधनों का उचित उपयोग करके राज्य की ऋणग्रस्तता को नियंत्रित करने का प्रयास करेगी। विशेष राज्य के दर्जे के तहत प्राप्त विकास योजनाओं एवं केन्द्र पोषित विभिन्न परियोजनाओं हेतु प्राप्त धनराशि का प्रदेश हित में भरपूर उपयोग करेगी। मान्यवर, हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संकल्प लिया है कि प्रदेश का ऋण कम किया जायेगा और हमारी सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों के प्रमुख पर्यटन–स्थल पर रज्जू–मार्गों का निर्माण करने, साहसिक एवं पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण व आर्थिक सहायता प्रदान करने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। साथ ही यूथ हॉस्टलों की स्थापना करने पर प्राथमिकता से कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, हम उत्तरांचल को देश का सिरमौर बनाना चाहते हैं। महोदय, हम अपने राज्य में कई योजनाएं संचालित करने जा रहे हैं जैसे पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन सर्किटों का विकास, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना, तीर्थाटन को ध्यान में रखते हुए तीर्थ–स्थलों का विकास, चार धाम यात्रा का विकास आदि कार्यों को हमारी सरकार करने जा रही है जिससे यहाँ के नवयुवकों को रोजगार मिलेगा और जो पलायन यहाँ से हो रहा है, उस पर भी काफी हद तक रोक लगेगी।

श्रीमन्, सी0ए0जी0 की रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस की सरकार ने, 12 मार्च, 2006 का भारत सरकार के योजना आयोग का प्रतिवेदन है, उसमें राज्य की अर्थव्यवस्था पर चिन्ता जताई है। मान्यवर, कांग्रेस के सरकार की कार्यप्रणाली से यह प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है। श्रीमन्, भारतीय जनता पार्टी या माननीय नेता सदन ने यह नहीं कहा, यह तो रिपोर्ट है जो अभिलेखों में दर्ज है। मान्यवर,

इसको इतिहास कभी भुला नहीं पायेगा जोकि इस प्रदेश की जनता के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार किया गया है। मान्यवर, कांग्रेस ने इस राज्य को कंगाल बना दिया है। मान्यवर, 1200 करोड़ रु0 केवल सरकारी ब्याज दे रही है। मान्यवर, इस पूरे प्रदेश पर 16 हजार करोड़ का कर्ज है। जिसके कारण अभी प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रु0 ब्याज देना पड़ रहा है।

श्रीमन्, कांग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश की ऐसी हालत बना दी है कि वर्ष, 2012 से ब्याज के साथ मूलधन की वापसी करनी होगी। श्रीमन्, तब तक प्रदेश को करीब 4500 करोड़ रु0 प्रतिवर्ष चुकाना होगा जबकि इस समय प्रदेश के कुल आर्थिक संसाधन 2500 करोड़ रु0 से भी कम हैं। मान्यवर, कांग्रेस की सरकार ने इस सी0ए0जी0 की रिपोर्ट को छिपाने की कोशिश की है क्योंकि सी0ए0जी0 की रिपोर्ट ने प्रदेश के गम्भीर आर्थिक संकट में फंसने की बात कही है। मान्यवर, जो भारत सरकार के योजना आयोग ने विकास के लिए पैसा दिया है उस पैसे को नॉन प्लान में खर्च किया गया है। उस पैसे को ऐशो आराम में लगा दिया गया। लेकिन हम, जो भारत सरकार से पैसा आयेगा, उससे विकास करेंगे। उस पैसे का पूरा उपयोग करेंगे। मान्यवर, यह जो इस प्रदेश को 90 प्रतिशत का कोटा औद्योगिक विकास पैकेज के लिए दिया है माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उसको भी खत्म कर दिया है कांग्रेस सरकार ने। उसका गला घोंट दिया है।

मान्यवर, कांग्रेस की सरकार ने उत्तरांचल को गर्त में झोंक दिया है, उन्होंने उत्तरांचल की जनता के साथ छल किया है। जिस प्रकार से इन्होंने कार्य किया है उससे यहाँ त्राहि-त्राहि मच जायेगी। श्रीमन्, इनकी सरकार ने विकास के नाम पर खूब लूटा, खूब खाया। मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि 53 साल में उत्तर प्रदेश उतने कर्ज में नहीं डूबा जितना 5 साल में उत्तरांचल सरकार कर्ज के बोझ में दब गई है। मान्यवर, हमारी डेढ़ साल की सरकार थी, उस समय यहाँ के राजस्व में वृद्धि हुई थी, आर्थिक स्थिति ठीक थी, उसके बाद इन पाँच सालों में इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था और भी जर्जर हो गयी। ये जो विकास कह रहे हैं, इन लोगों ने खाली अपना विकास किया।

मान्यवर, कांग्रेस की सरकार ने उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से 50 साल पीछे छोड़ दिया है। श्रीमन्, विकास हम करेंगे। श्रीमन्, यह जो कांग्रेस की सरकार ने राजस्व का घाटा दिखाया है उसको हम शून्य करेंगे। श्रीमन्, शून्य भी करेंगे और विकास भी करेंगे। श्रीमन्, इसलिए यदि आदरणीय जनरल खण्डूड़ी जी ने अपनी सरकार में यह तय किया है कि पहले श्वेत पत्र जारी करेंगे और पिछली सरकार के कारनामों से लोगों को अवगत करायेंगे, जिन्होंने चौराहे पर लाकर खड़ा किया है, जिससे आम जनता को पता चल सके। मान्यवर, हमने भी शून्य से शुरू किया था।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपने घाटे को कम किया था तो जनता ने क्यों हराया?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक–

मान्यवर, आपने कहा कि 2 साल लोगों को नौकरी देंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप यही रोना रोते रहेंगे

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक–

मान्यवर, आपने कहा कि एक वर्ष में 2 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे और नौजवानों को धोखा दे दिया गया, हर बार मौका नहीं मिलता है। इस बार 20–21 हैं, अगली बार कितने पहुँचते हैं देखियेगा। श्रीमन्, हमें दुःख हुआ, आदरणीय श्री हरक सिंह जी और मैं एक साथ यू0पी0 विधान सभा में और 1991 में माननीय कोनिया जी 91 की सरकार में मंत्री बने और श्री हरक सिंह जी राज्य मंत्री बने और उन्हें पर्यटन मिला और राज्य मंत्री के रूप में पर्यटन मंत्री के रूप में गढ़वाल आये तो हमने भव्य स्वागत उनका किया, मैं उस समय विधायक था, तो माननीय पर्यटन मंत्री जी ने कहा कि मैं इसे पर्यटन नगर के रूप में विकसित करूँगा। चलिये उस समय काम नहीं हो पाया होगा, लेकिन पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी तब नहीं किया। हमने राज्य भी बनाकर दे दिया है। मान्यवर, इन्होंने राज्य कभी चाहा ही नहीं। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं इस बात की निन्दा करता हूँ, बिना कांग्रेस के सहयोग से उत्तराखण्ड नहीं बन सकता था, क्योंकि बहुमत नहीं था। मैं माननीय सोनिया जी का आभारी हूँ, पंजाब के माननीय सांसदों के विरोध को झेलने के बाद भी माननीय श्रीमती सोनिया गाँधी जी ने पंजाब के माननीय सांसदों को बुलाकर कहा कि कल राज्य सभा और लोक सभा में उत्तराखण्ड का प्रस्ताव करना होगा, कांग्रेस ने समर्थन किया।

(घोर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आप विरोधी थे या नहीं थे, बिन्दु यह नहीं था, बिन्दु 16 हजार करोड़ में पहुँच गया है।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इस पर घोर आपत्ति है। संसद राज्यसभा की कार्यवाही है। उत्तराखण्ड राज्य का प्रस्ताव आप पास नहीं कर सकते थे। आप यह नहीं कर सकते कि कांग्रेस ने विरोध किया।

(घोर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि तब भी कहते रहे कि संसद में साथ दिया था, तो उसके लिए धन्यवाद बोल दिया। मगर यह कहते रहे हैं कि 5 साल में जो राज किया उसमें भी आपने विरोध सिद्ध कर दिया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इन्होंने यह नहीं कहा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि इसे कार्यवाही से निकाला जाए। मान्यवर, कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में सहयोग दिया था।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी–

मान्यवर, यह ऐसा सहयोग है कि जब लोकसभा में उत्तराखण्ड का प्रस्ताव आया था, तो मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में था और वहाँ बिल पर चर्चा हुई, उसकी शुरुआत हमने की थी। आप जो कह रहे हैं सही है हम अपने आप पास नहीं कर सकते थे। मान्यवर, लेकिन यह भी सही है कि उस दिन को छोड़कर बतायें तो पाँच साल–दस साल कांग्रेस उत्तराखण्ड विरोधी रही है। आपको वे दिन भी याद होंगे, जब हम सब रात में माननीय नरसिम्हा राव जी से मिलने गये थे, तो उन्होंने साफ कहा था कि हम उत्तराखण्ड नहीं बनाना चाहते हैं। तिवारी जी ने क्या कहा था। .... (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, हमने राज्य निर्माण में कितना सहयोग किया, यह माननीय दिवाकर भट्ट जी भी जानते हैं। (व्यवधान)

श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी–

मान्यवर, मैं सिर्फ वास्तविक स्थिति का वर्णन कर रहा हूँ। जो कहा गया है कि कांग्रेस बराबर उत्तराखण्ड की विरोधी रही है। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी भी उत्तराखण्ड विरोधी रही है। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी के 50 ऐसे बयान पढ़े जा सकते हैं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय नेता सदन, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि कांग्रेस उत्तराखण्ड की लगातार विरोधी रही है। मान्यवर, लोकसभा और राज्य सभा में उत्तराखण्ड राज्य के पक्ष में बात कही है। मैं आपके माध्यम से माननीय खण्डूड़ी जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मैं पहले 1991 में भारतीय जनता पार्टी में था, तब भारतीय जनता पार्टी भी उत्तराखण्ड की घोर विरोधी थी। मान्यवर, सबसे पहले स्वर्गीय शोभन सिंह जीना जी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में एक बैठक हुई थी, मैं उस बैठक में मौजूद था। मैंने उस समय कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखण्ड का सम्मान करना चाहिये, तब भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तराखण्ड राज्य के पक्ष में बात कही थी। मान्यवर, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तराखण्ड विरोधी रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कोई चर्चा का विषय नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, सदन में गलत बात कही गयी है कि पंजाब के सांसदों द्वारा उत्तराखण्ड बनने का विरोध किया है, यह सरासर गलत है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने जो कहा शायद आपने सुना नहीं। मैंने कहा था, पंजाब के कांग्रेस के सांसदों ने माननीय सोनिया गांधी जी से विरोध किया था। मान्यवर, मैंने सिर्फ पंजाब से कांग्रेस के सांसदों की बात कही थी।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर कभी चर्चा अलग से रख ली जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष

अगले सत्र में दो घंटे की चर्चा इस पर रख ली जाय। (व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह राणा–

मान्यवर, 01 सितम्बर, 1994 को खटीमा काण्ड न होता तो उत्तराखण्ड न बनता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि यह कोई चर्चा नहीं हो रही है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जब नेता सदन बोल रहे थे, तो हमने एक शब्द भी नही कहा, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो बीच में टोका–टोकी हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कोई वाद–विवाद का विषय नहीं है। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, एक तो राजस्व घाटे की बात है। श्रीमन्, मैं नेता प्रतिपक्ष के उन भाषणों को जरूर–जरूर करके आपकी टेबिल पर रखूँगा। मेरा वादा है, नेता प्रतिपक्ष के उन भाषणों को कि "कांग्रेस उत्तराखण्ड की घोर विरोधी है," यहाँ लाने की जिम्मेदारी मेरी है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं मानता हूँ कि मैंने कहा होगा। (व्यवधान)

*कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

मान्यवर, आप पौड़ी में बहुत रोये थे, बहुत आँसू बहाए थे। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इन्टर में इंग्लिश में मर्चेन्ट ऑफ वेनिस पढ़ी थी, उसमें इन्सान के लिए कहा गया है कि हमको रोल मिलता है। आज हमको प्रतिपक्ष का रोल मिला है, इसका रोल निभाएंगे। तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो उसका रोल निभाया। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय निशंक जी, कृपया संक्षिप्त करें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। मैं संक्षिप्त कर दूँगा। लेकिन यह जो पर्यटन की बात है, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली और जितनी चालू योजनाएं हैं, इनको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बन्द नहीं किया है। इनका विस्तार करने की बात सरकार कह रही है। श्रीमन्, ऊर्जा के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ, मुझे दुःख होता है कि ये लोग 1304 मेगावाट बिजली पैदा करने की बात करते हैं। जो सरकार 5 साल में एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं कर पाई आज उसके नेता कह रहे हैं कि 2007 में, एक साल में 1304 मेगावाट बिजली पैदा करने की बात करते हैं। (व्यवधान) श्रीमन्, हमारा वादा है कि हम इसको ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे। मान्यवर, हमारे प्रदेश में पूरी डेढ़ हजार किलोमीटर नदियां हैं, उन पर छोटी–छोटी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनका विकास हम करेंगे। श्रीमन्, अच्छे नियोजन, अच्छे नेतृत्व और अच्छे प्रबन्धन की बात आयी। मान्यवर, पिछले 5 सालों में हमने अच्छा नियोजन किया। अब अवसर आया है तो अच्छा नेतृत्व करेंगे। प्रबन्धन हमने पहले भी किया और अब भी करेंगे। (व्यवधान)

मान्यवर, इस सदन का सौभाग्य है, आदरणीय खण्डूड़ी जी जब केन्द्र में परिवहन राज्य मंत्री थी, तो इन्होंने पूरे प्रदेश के अन्दर इतने काम कराए कि आधुनिक शेरशाह सूरी के रूप में आपने ख्याति पायी। विद्युतीकरण के क्षेत्र में हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ, प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो या तकनीकी शिक्षा हो, श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। महिलाओं को उच्च शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हमें भरोसा है कि हमारी सरकार के समय में प्रदेश विकास की नई ऊँचाईयों को छुएगा। मुझे आश्चर्य है, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सी0बी0एस0ई0 का जो पाठ्यक्रम है, वह लागू कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री जी ने लागू कर दिया था लेकिन माननीय मंत्री जी ने आपको क्यों नहीं बताया मुझे नहीं पता।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जितनी इच्छा शक्ति हमने दिखाई है और जो कार्य करने की योजना हमारी है, निश्चित रूप से उससे उत्तराखण्ड को शिक्षा का बड़ा केन्द्र बनाएंगे। मान्यवर, विकल्पधारियों की बात की जा रही है, एक कहावत है कि "हजार चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।" मान्यवर, इनके द्वारा कहा गया था कि चौबीस घंटे के अन्दर सभी विकल्पधारियों को वापस उत्तर प्रदेश भेज देंगे। इन पाँच सालों में इन्होंनें पता नहीं क्या किया, लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के सभी विकल्पधारियों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 3 दिन पहले ही निर्देश कर दिये गये हैं कि दो महीने के अन्दर उनको कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, श्रीनगर, मेडिकल कॉलेज के बारे में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने बहुत कोशिश की, उसने बहुत कोशिश की, यह किया वह किया तो मैं यह

कहना चाहता हूँ कि जब केन्द्र में माननीय खण्डूडी जी मंत्री थे तो उनके प्रयासों से यह मेडिकल कॉलेज बना है। माननीय नेता प्रतिपक्ष का घर भी उसी जनपद में है, शिरकोट गंगानाली साथ–साथ ही हैं। मान्यवर, एम्स की बात है .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

एम्स के बारे में भी बता दीजिए।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, एम्स की घोषणा हुई थी और माननीय नेता प्रतिपक्ष की सरकार को केन्द्र में ढाई साल हो गये हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अध्यक्ष पीठ का बहुत सम्मान करता हूँ और आप भी मेरे बड़े भाई की तरह हैं। लेकिन मुझे कभी–कभी लगता है कि .... ।

श्री अध्यक्ष–

आपने चिकित्सा के बारे में कहा और यह हमारे जनपद से सम्बन्धित है, इसलिए हमने पूछा है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, शायद नजर में कमी हो गई है। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं एक संशोधन करना चाहता हूँ, चूँकि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारे दल की पूरे 14 साल तक सरकार रही है और यह कार्यवाही में भी आ गया है तो उसमें संशोधन होना चाहिए। मान्यवर, 1992 में हमारी सरकार थी और 1993 में चुनाव हुये, उसमें हमारी सरकार नहीं थी। हाँ 1996 में हमारी सम्मिलित सरकार आयी, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुश्किल से 6–7 साल ही हमारी सरकार रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें, काफी हो गया।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, यह भी पहली सरकार की ही नाकामी रही है कि आज इस प्रदेश में इतनी बेरोजगारी हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष क्या आप अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, हमने पहले भी कहा और .... ।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय निशंक जी, अब तो आप बैठ जायं, माननीय अध्यक्ष जी पीठ से निर्देश आ गया है, कम से कम पीठ के निर्देशों का तो पालन करें।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जितने भी संशोधन मैंने दिये हैं, उनको अभिभाषण में जोड़ दिया जाय और मैं पुनः अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य माननीय सदस्यों ने जो संशोधन यहाँ पर प्रस्तुत किये और अन्य संशोधन जो प्रस्तुत किये माने गये, से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2007 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री सुरेन्द्र राकेश, हाजी तस्लीम अहमद तथा श्री शैलेन्द्र सिंह रावत की कुल 4 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं अलकनन्दा नदी में धारकोट, तल्लानागपुर एवं रतूड़ा पट्टी धनपुर जनपद रुद्रप्रयाग में क्षतिग्रस्त पुल के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री मातबर सिंह कण्डारी, हसनवालागाँव में प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्ग व एक छोटे पुल के अतिवृष्टि में बह जाने के कारण पुनः निर्माण के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश, जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग के चमरिया, समसपुर, कटेबड़, डाल्लुपुरी एवं रसूलपुर, मिट्टीबेरी, पैलीपड़ाव, गाजीवाली, इब्राहिमपुर एक्कड़कला, एक्कड़खुर्द, गुज्जरबस्ती, गैन्डीखाता में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में माननीय सदस्य हाजी तसलीम अहमद तथा कोटद्वार भाबर– पट्टी मोटाढांग क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र सिंह रावत की सूचनाओं के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

जनपद रुद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली में विधायक निधि से मिलन केन्द्र 1–सेरा भरदार 2–सौंराखाल 3–नौली भरदार 4–सेम बाडमा 5–भुनालगाँव पूर्वी बांगर के निर्माण के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

[विधायक निधि के अन्तर्गत मिलन केन्द्र सेरा भरदार, मिलन केन्द्र सौंराखाल भरदार, मिलन केन्द्र नौली भरदार, मिलन केन्द्र सेम बाडमा तथा मिलन केन्द्र भुनालगाँव पूर्वी बांगर के निर्माण कार्य विगत 4–5 वर्षों में पूर्ण न होने के कारण मुख्य विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा सम्बन्धित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

मिलन केन्द्र सेरा भरदार–इस मिलन केन्द्र का कार्य पूर्ण हो चुका है भवन पर चूना एवं रंग का कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य पर विलम्ब के लिये कार्य प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (वन) के विरुद्ध चार्जशीट तैयार कर प्रभारी वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग को प्रेषित की गई है एवं खण्ड विकास अधिकारी जखोली को चेतावनी जारी की गई हैं। मिलन केन्द्र सौंराखाल–इस मिलन केन्द्र का कार्य प्रगति पर है, भवन का लैण्टर पड़ चुका है एवं प्लास्टर का कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य में विलम्ब के लिये कार्य प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (वन) के विरुद्ध चार्जशीटें तैयार कर प्रभारी वनाधिकारी रुद्रप्रयाग को प्रेषित कर दी गई है एवं खण्ड विकास अधिकारी जखोली को चेतावनी जारी की गई है। मिलन केन्द्र नौली भरदार–इस मिलन केन्द्र का कार्य प्रगति पर है, भवन का छत डालने की तैयारी चल रही है। निर्माण कार्य पर विलम्ब के लिये कार्य प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (वन) के विरुद्ध चार्जशीट तैयार कर प्रभारी वनाधिकारी रुद्रप्रयाग को प्रेषित कर दी गई है एवं खण्ड विकास अधिकारी जखोली को चेतावनी जारी की गई है। मिलन केन्द्र सेम बाडमा–इस मिलन केन्द्र का कार्य प्रगति पर है, भवन पर छत डालने की तैयारी चल रही है इस भवन का निर्माण कार्य संविदा पर कार्यरत अभियन्ता द्वारा किया जा रहा है। कार्य पर विलम्ब के लिये संविदा अभियन्ता के विरुद्ध आर0सी0 जारी की गई है।

मिलन केन्द्र भुनालगाँव पूर्वी बांगर–इस मिलन केन्द्र का कार्य प्रगति पर है। भवन की छत पड़ चुकी है। निर्माण कार्य प्रभारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया है कि इस माह में 28 तारीख तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। विलम्ब के लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को चेतावनी जारी की गई है।

उपरोक्त सभी निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को इसी माह में कार्यों को पूर्ण करने के कड़े निर्देश जारी किये गये एवं प्रत्येक दिन निर्माण कार्यों की समीक्षा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की जा रही है। उक्त निर्माण कार्य इस माह के अन्त तक पूर्ण कर लिये जाने का प्रयास है। उक्त निर्माण कार्यों को इसी माह के अन्त तक पूर्ण किए जाने के निर्देश निर्गत कर दिए गये हैं।]

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। जिस अधिकारी ने यह रिपोर्ट भेजी, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने विषयक प्रस्ताव

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।
भारत–भाग्य विधाता।।
पंजाब–सिंध–गुजरात–मराठा,
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही 08 बजकर 28 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुई।)

महेश चन्द्र
सचिव, विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

देहरादून,
दिनांक 16 मार्च, 2007

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 40 वि0रा0 / 637–30–1–2008–200 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।